

UFTEIFE Yaanighoartka

भाग II—एण्ड 3—उप-एण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394]

मई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 1980/अग्रहाधण 20, 1902

No. 394] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1980/AGRAHAYANA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा तक

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compliation

विदेश मंत्रालय अधिमुचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1980

सा॰का॰िक 691(अ).—केन्द्रीय यरकार पासपोर्ट श्रिधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदक्त पक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्निसिखित नियम बनाती है, श्रथीत् :---

- 1. (1) गंक्षिण्त नाम श्रीर प्रारम्म इन नियमों का नाम पास-पोर्ट नियम, 1980 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे।
- 2. परिभाषाएं .--इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से भ्रन्यथा भ्रपेक्षित न हो :--
 - (क) "प्रधिनियम" से पामपोर्ट ग्रधिनियम, 1967 ग्रभिप्रेत है,
 - (च) "प्ररूप" से अनुगूची-III में दिया गया प्ररूप प्रभिन्नेत है,
 - (ग) किसी पासपोर्ट या याक्षा दस्तावेज के बारे में "प्रकीण सेवा"
 के श्रन्तर्गेस निम्नलिखित है, प्रथित :---
 - (i) किसी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में प्रविष्टियों का परिवर्तन,

- (ii) विदेशों की बाबत किसी पासपोर्ट या याद्रा दस्तावेज में श्रीतिरिक्त पृष्टीकन करना,
- (iii) जब किसी विद्यमान पामपोर्ट पुस्तिका के सभी पृष्ट लगभग समात हो चुके हैं तब प्रतुपुरक पासपोर्ट या यात्रा दस्ताथेज पुस्तिका जारी करना, या
- (iv) किसी पासपोर्ट या याच्चा दस्तावेज की बाबत कोई ग्रन्थ मेजा करना जिसकी उसका धारक ध्रपेक्षा करे,
- (ध) "अनुसूची" से इन नियमों से उपायत अनुसूची अभिन्नेत है,
- (इ) "धारा" से प्रधिनियम की धारा प्रभिन्नेत है।
- 3. पासपोर्ट प्राधिकारी .--(1) केन्द्रीय सरकार के प्रतिरिक्त प्रनुसूची 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधिकारी, उपनियम (2) के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए प्रधितियम ग्रीर इन नियमों के सभी प्रयो-जनों के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी होंगे।
- (2) अनुमूची 1 के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी किसी पासपोर्ट या यान्ना दस्ताबेंज के जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में मामूली लौर से निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए आवेदनों की बाबत अधिकारिना का अयोग करेगा:

परन्तु ग्रपनादिक और अर्जेंट मामलों में जन्त अधिकारी पासपोर्ट या याद्वा दस्तावेज के जारी किये जाने के खिए भारत के किसी अस्य राज्यक्षेत्र में सामली और में निवास करने वाले किसी व्यक्ति में प्रावेदन यहण कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को बास्त्र साम ने धर्माधक को धर्माध के लिए पासपोर्ट या याझा दरनावेज जारी कर सकेगा और ध्रावेदन को उस पासपोर्ट प्राधिकारी को धर्मास्त कर सकेगा जिसकी उस राज्य क्षेत्र में प्रधिकारिता है जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर से निवास करना है:

परन्तु यह भीर भी कि पानपोर्ट के लिए ध्रावेदन का पूर्वगामी परन्तुक के मधीन कोई ऐसा भ्रन्तरण नहीं किया जाएगा यदि श्रावेदक ने उस स्थान से जहां का वह भूल रूप से निवासी था, उस पासपोर्ट प्राधिकारी की प्रधिकारिता के भ्रधीन, जिसने पूर्वगामी परन्तुक के श्रधीन पासपोर्ट जारी किया था, राज्य क्षेत्र के भीतर बस जाने के भ्राध्य से प्रवास कर लिया है।

- 4. उन बर्गों के व्यक्ति जिल्हें विभिन्न वर्ग के पासपोर्ट श्रीर यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे .——उन वर्गों के व्यक्ति जिनको धारा 4 की उपधारा (1) श्रीर उपधारा (2) में निर्विष्ट वर्ग के पासपोर्ट या याद्रा दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे वे क्षेगे जो अनुसूची-II के यद्या-रिविल, भाग I या भाग II में विभिन्दिएट हैं।
- 5. श्रावेदनों का प्ररूप .—पामपोर्ट या याजा वस्तावेख या उसके नवीकरण या किसी श्रन्य प्रकीण सेवा के लिए श्रावेडन उसके लिए श्रानुसूची-III के भाग I में दिए गए उपयुक्त प्ररूप में श्रीर ऐसे प्ररूप में श्री गई प्रक्रिया और श्रनुदेशों के श्रनुसार किया आएगा:

परन्तु धारा 5 की उपधारा (2) के प्रधीन किसी जांच के दौरान कोई पासपोर्ट प्राधिकारी किसी भावेदक से ऐसी श्रनिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या प्रमाणपत्नीं की भ्रपेक्षा कर सकता है जो भ्रावेदन के उचिन निपटार के लिए ऐसा प्राधिकारी भावज्यक समझे।

6. वित्तीय प्रत्याभृति --(1) साधारण पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए ग्रावेदन के साथ प्रमुसूची-III के भाग II में दिए गए प्रत्य में निष्पादित एक वित्तीय प्रत्याभृति भी होगी:

परन्तु किसी भावेदक के मामले में ऐसी प्रत्याभृति भावश्यक नहीं होसी यदि वह:

- (i) किसी संसद सदस्य या किसी राज्य, संघ राज्यकेल की विधान सभा के सदस्य या किसी राज्य विधान परिषद् के सदस्य या दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्य या दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्य, या किसी प्रक्रिकारी जी सरकार के उप सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति का प्रक्षिकारी न हो या किसी प्रथमवर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी जपदं जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिला मजिस्ट्रेट का इस प्रभाव का प्रमाणपत्न दे देता है कि उसने ग्रपण यह समाधान कर लिया है कि आवेदक की विनीय स्थिति श्रव्छी है;
- (ii) ब्राय-कर या सम्पत्ति-कर या कृषि आय कर देता है;
- (iii) किसी राजस्य प्राधिकारी से, जो तहसीलघार की पंक्ति से नीचे का न हो इस प्रभाव का गोधनअमता प्रमाण-पत्न पेण करता है कि प्रावेदक 10,000 रुपये या उससे प्रधिकतक विसीय रूप में गोधनक्षम है;
- (iv) किसी विदेशी सरकार द्वारा श्रपने पक्ष में जारी किया गया प्रवेश परिमट देता है;
- (v) उल्प्रवास भाषितियम, 1922 (1922 का 7) के अधीन भारत के बाहर जाता है और उस भाषितियम के उपबन्धों का भन्-पालन किया गया है;
- (vi) नियोजन बाउजक पर या नियोजन की प्रस्थापना पर भारत के बाहर जाना है;
- (vii) छात्रपति या प्रश्रीतावित पर भारत से बाहर जाता है;

- (viii) विदेशों में तीर्थ याला पर या पड़ोसी विदेशों में बाबा पर जाना है.
 - (iX) किसी विदेश को भौर वहां से थापसी यात्रा के सकृत में टिकट पैश करता है;
 - (X) किसी विदेश में आवेदक के निम्निसिखित नानेदारों को मिलने के लिए जाना है, अर्थात् पिता, माता, पित, पत्नी, भाई, बेहिन, पुत्र या पुत्री और आवेदक के ऐसे नानेदार द्वारा प्रायोजन घोषणा पेश करना है जो (क) स्थानीय सरकार के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षरित हैं और उस देश में भारतीय मिणन या पोस्ट के कींमलीय आफिसर द्वारा सत्यापित या (ख) भारतीय मिणन के कींस-लीय आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित है;
 - (xi) अवयस्क होते हुए अपने माला-पिता या विधिक संरक्षक के साथ, जो पूर्वगामी खण्डों में से किसी की अपेक्षानुसार वित्तीय प्रत्याभृति देने से छुट प्राप्त है, जाता है:

परन्तु यह ग्रीर कि विदेश में मीजृद ग्रावेदक की बाबन ऐसी कोई प्रस्थाभनि भ्रावश्यक नहीं होगी यदि :—

- (i) विदेश में पासपोर्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाना है कि उसके पास प्रपत्ते भरण-पोषण के लिए विदेश में पर्याप्त साधन हैं; या
- (ii) उसे मूल पासपोर्ट जारी करने के समय विलीय प्रत्याभृति पेण करने में छुट दी गई थी।
- 2. प्रत्याभूति दाता द्वारा विलीय प्रत्याभृति नव तक बापस नहीं ली जाएगी जब तक कि प्रत्याभूति के प्रमुमण्ण में भारत सरकार को संदेय या प्रतिपूर्ति योग्य सभी खर्चे, प्रभार ग्रीर व्यय पूर्ण क्ष्म से नहीं चुका दिये जाने हैं या जब तक कि पासपोर्ट धारक द्वारा नई स्वीकृति योग्य प्रत्याभूति महीं दे वी जानी है।
- 7. नामिन विवेश निम्निलिखिन देशों में से प्रत्येक धारा 5 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए नामिन विदेश होगा, प्रयोज :—
 - (i) यंगला देश, भौर
 - (ii) श्रीलंका
- 8. श्रावेदनों के लिए संदेय फीस .—श्रम्भूची IV के स्तरभ (2) में बर्णित प्रत्येक मायेदन के लिए फीस वह होगी जो उस धनुसूची के सवास्थित स्तरभ (3), (4) या (5) की नत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्विष्ट करों पर संदेय हैं।
- 9. फीम का संग्रहण ऐसे आवेवनों की बाबत संदेय मधी फीस सम्बन्धिम पामपोर्ट प्राधिकारी को मनीआईंग द्वारा भेजी जाएगी या उसके काउन्टर पर सकद जमा की जाएगी या पामपोर्ट फीम टिकट आवेदन पत्न पर विपका कर दी आएगी। कूपन या रसीद में उन विजिष्टियों का कथन करना जाहिए जिन की बाबन ऐसी फीम भेजी गई है या जमा की गई है।
- 10. फीस का प्रतिदाय यदि जमा करने की नारीख से एक वर्ष के भीतर श्रावेशन किया जाता है तो निम्निर्णिशन दणाश्रों में फीस का प्रतिदाय किया जाएगा :—
 - (i) यदि फीस को जमा कराने के पश्चात् कोई व्यक्ति, यथास्थिति पासपोर्ट या याक्षा दस्तावेज जारी करने के लिए अथवा उसके द्वारा पहले ही धारित पासपोर्ट या दस्तावेज पर किसी सेवा के लिए श्रावेदन नहीं करता है:
 - (ii) यदि संदत्त फील विहित फील से श्रधिक है; और

alanda, segui, alang segui ang engar engar ang tanggan at tanggan ang tangga

- (iii) यदि फीस ऐसी सेवा के लिए संदत्त की गई है जिसके लिए कोई फीस विहित नहीं की गई है।
- 11. पासपोर्ट या याख्रा दस्तावेज के प्रकृष ---- प्रधिनियम के प्रधीन जारी किया गया पासपोर्ट या याख्रा दस्तावेज श्रनुसूची III के भाग III में विए गए उपयुक्त प्रकृष में होगा ।
- 12. पासपोटी या यात्रा दस्तिवेजो की ग्रस्तित्वाविध (1) साधारण पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीक्ष में पांच वर्ष की श्रविध के लिए प्रवृत्त रहेगा ।
- (2) भारत-अगलादेश पासपोर्ट जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की श्रवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।
- (3) भारत, श्रीलंका पासकोट जारी किए जाने की नारी **स** में **प**ार वर्ष की श्रवधि के लिए प्रवृत् रहेगा।
- (4) स्नापान प्रमाण-पन्न जारी किए जाने की नारीस्थ् से छ. मास की अविधि के लिए प्रवृक्त रहेगा।
- (5) पहचान पत्र जारी किए जाने की नारी क्या से दी वर्ष की स्रविधि के निए प्रयुक्त रहेगा।
- (6) राजनिथक भीर सरकारी पासपोर्ट प्रश्येक दणा में केन्द्रीय सरकार या उस पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जो पासपोर्ट जारी करना है बिनिश्चिम की जाने वाली भवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

गरन्तु बहु कि राजनिधिक या सरकारी पासपोर्ट की कुल अवधि जारी किए जाने की तारीख से दस सर्प की होगी।

13. विशेष परिस्थितियों में भितिरिक्त पासपोर्ट या प्राला दश्ताकेज का जारी किया जाना .---पासपोर्ट या याला दश्ताकेज धारण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पासपोर्ट या याला दश्ताकेज के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह धपने द्वारा पहले ही धारित पासपोर्ट या याला दश्ताकेज को पासपोर्ट शाधिकारी को समर्पित नहीं कर देता है:

परन्तु यदि ऐसे देशों में उनके परिदर्शन को सुकर बनाने के लिए ऐसा करना अध्यक्ष्यक है तो एक ही व्यक्ति को विक्षिण देशों की बाबन प्रक पासपोर्ट या बाला दस्ताक्षेत्र जारी किए जा सकें_{से स}

14. अवील प्राधिकारी .— प्राधितियम भीर इन तियमों के प्रयोजन के लिए वह अभील प्राधिकारी जिसको नींच दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रादेण से अवील होगी वह होगा जो उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविध्दि में जिनिर्दिष्ट है और प्रत्येक ऐसी अवील उस आदेश की तारीखासे जिसके विकक्ष अपील की जा रही है आवेचक की संस्थित किए जाने की नारीखा से नीस दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

सारणी

ग्रादेश, जिनके बिस्ड प्रपील की गई

भ्रपील प्राधिकारी

2

1

. ... ---- _ -

- वेन्द्रीय सरकार में भिन्न गायवोर्ट मुख्य पासपीट ग्राधिकारी, विवेश प्राधिकारी का निम्निलिखन मंत्रालय, वर्ड दिल्ली। भाराक्री के श्रभीन ग्रादेश--
 - (i) धारा 5 की उपसारा (2)
 का खण्ड (क) या खण्ड (ग) या
 - (ii) धारा 7 के गरिन्तुक का खण्ड (स) या

(iii) धारा 10 की उपधारा (1) या उपधारा (3) ।

____ . . .

- 2. जुम प्राह्मिकारी का धारा 10 की अंदर मिलव या मिलव बिदेश मोबालय, उपश्चारा (७) के अधीन भादेग नई दिल्ली । जिसका पासपीर्ट प्राधिकारी अर्धानस्य है।
- 15. अपोल का बाबन संदेय फीस :— अपीका के लिए प्रत्येक बाजिक के साथ पत्रजीस रूपए की फीस होगी जो बजाने में लक्का संदत्त की जाएगी और रसीवी जालीन की एक प्रति ऐसी बाजिका के साथ भेजी जाएगी।
- 16. अपील प्राधिकारी द्वारा अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया .—
 अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी उस प्राधिकारी से जिसने वह
 आदिश परित किया था, जिसके विश्व अपाल की गई है, मामले का
 अभिलेख संगा सजेगा और अपीलार्थी को अपने मासले का अभ्यावेदन
 करने के लिए उचित अवसर देने के पण्चात श्रतिम आदेश पारित कर
 सकेगा।
- 17. धारा 19 के मधीन विजेष पुथ्यक्तिन के लिए प्राधिकारी सीर प्रकण :--
- (1) धारा 19 के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधि-कारी होगा।
- (2) धारा 19 में निर्दिष्ट प्रस्येक विशेष पृष्ठाकन निम्मलिश्वित प्ररूप में होगा, श्रर्थात् :--

प्ररूप

18 पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेश का निरीक्षण.—धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे—

- (i) कोई पायपोर्ट प्राधिकारी;
- (ii) कोई पुलिस अधिकारी जो उप-निरीक्षक की पविष से नीजे का न हो; श्रीर
- (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा माधारण या विशेष द्वारेण द्वारा इस निमित्त संगक्त कोई सीमा-णुस्क श्रधिकारी।
- 19 पासपोर्ट या यात्रा दस्तावित के लिए शर्ते .--शर्ने जिनके श्रधीन कोई पासपोर्ट या यात्रा दस्पावित जारी किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा वे होंगी जो श्रनुसूची V में दी गई है।
- 20. निरसन .—पासपोर्ट नियम, 1967 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है।

परन्तु ऐसा निरसन उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी यात या अर्जिन, स्वीकृत या उपमत किसी अधिकार विलेबाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रवास वहीं कालेगा।

	अमुसूची 1		1	2	3
	(नियम 3 देखिए)		 ()	ग्रधीक्षक, चंडीगढ़ (क्षेत्रीय	
 ऋ०सं०	पासपोर्ट प्राधिकारी		(7)	पासनोर्ट कार्यालय, चंडीनढ़)	~यथो नत−
1		3	4. (ii)		पंजाब राज्य में जलन्छर, कपूरथला,
1. (क)	श्रहमदाबाद (क्षेत्रीय पामपोर्ट	गुजरात राज्य भ्रौर चादरा श्रौर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	(-)	जलन्धर (पासपोर्ट ग्रीर उत्प- वासन कार्यालय, जलन्धर)	गुरदासगुर जिले ।
(ख)	कार्यालय, अहमदाबाद) । सहायक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधि- कारी श्रहसदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शहमदाबाद)	- यथोक्त-		सहायक पासपोर्ट श्रधिकारी, जनस्यर (पासपोर्ट ग्रीर उत्प्र- श्रासन कार्यानय, जलन्धर) जन सम्पर्क श्रधिकारी, जलन्धर	
(ग)	जन सम्पर्क ग्रधिकारी, भ्रहमदा- बाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय,	-प्रयोक्त−	·	(पासर्गार्ट और उत्प्रवासन, कार्यानय, जलन्धर)	
(ঘ)	अहमदाबाव) अधीक्षक, अहमदाबाद (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद)	⊸यथोक्त~	(घ)	म्रधीक्षक, जलन्धर (पासपोर्ट मौर उत्प्रवासन कार्यालय जलन्धर)	
এ (ক)	क्षेत्रीय पासपोर्ट प्रधिकारी, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट मीर उत्प्रवासन कार्यालय,	प्राप्त्रम बंगास, तिपुरा ग्रौर सिक्किम राज्य ।	5. (क्र)	क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रधिकारी, मुद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट श्रीर उरप्रवासन कार्यालय, मद्रास)	
(ख)	कलकत्ता) जन सम्पर्क भ्रधिकारी, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रोर उत्प्रवा-	यथोक्त-	(ন্দ্ৰ)	सहायक पासपोर्ट ग्रधिकारी, मद्रास (क्षेत्रीय पासपोर्ट श्रौर उत्प्रवासन कार्यालय, मद्रास)	•
(ग)	सन कार्यालय कलकत्ता) प्रधीक्षक, कलकत्ता (क्षेत्रीय पासपोर्ट प्रौर उत्प्रयक्षन	यथोक्त	(ग)	जन सम्पर्क श्रीधकारी, मधास (क्षेत्रीय पासपोर्ट जौर उत्प्रया- सन कार्यालय, मधास)	
3. (転)	कार्यालय, कलकत्ता)) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रीर	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	(ঘ)	भ्रधीक्षक, मद्रास (क्षेत्रीय पान- पोर्ट भ्रीर उत्प्रवासन कार्यालयः मद्रास)	
(অ)	उत्प्रवासन कार्यालय, नर्ष दिस्सी)। सहायक पासपोर्ट ग्रधिकारी, दिस्सी (क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रौर उत्प्रवासन कार्यालय, नर्ष	– यथोक्स		(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट शिक्षकारी, कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवासन कार्यालय, काचीन) सहायक पासपोर्ट श्रीककारी,	जिलों को छोड़कर) ग्रौर लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ।
(ग)	दिल्ली) । जन सम्पर्क अधिकारी, दिल्ली (क्षेत्रीय पासपीर्ट और उत्प्रया-	– यथोक्त-	(4)	कोचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट भौज उत्प्रवासन कायलिय, कोचीन)	
(ष)	सन कार्यालय, नई विल्ली) ध्रधीक्षक, विल्ली (क्षेत्रीय पास- पोर्ट धौर उत्प्रवासन कार्यालय,	− यथोक्त−	(4)	जन सम्पर्क प्रधिकारी, कांचीत (क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रौर उत्प्रवा- सन कार्यालय, कोचीच)	
4. (i)	मई दिस्सी))(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट प्रश्रिकारी. पंजाब राज्य (जलन्धर, कपूर- चंडीगढ़ (क्षेत्रीय पासपोर्ट प्रश्रिकारी थला, होशियारपुर, ग्रमुतसर	(घ)	प्रधीक्षक, कांचीन (क्षेत्रीय पासपोर्ट ग्रीर उत्प्रदासन कार्ना- लय, कांचीन)		
	कार्यालय, चं डीग ड)	श्रीर गुरदासपुर जिलों को छोड़कर ग्रीर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र)	6. (ii)	(क) पासपोर्ट अधिकारी, कोओकोड (पासपोर्ट गायीत्व, कोजोकोड)	, कंरल राज्य में केतासोर, कांजो- कांड, मांतुरम श्रीर पालवाट जिले श्रीर पाडिवेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला।
(ख)	सहायभ पासपोर्ट प्रधिकारी, चंडीगढ़ (केंद्रीय पासपोर्ट कार्याखय, चंडीगढ़)	यथोक्न−	(শ্ব)	जा सम्पर्क पश्चिकारी, फोली- कोड (पासपोर्ट कार्यान्त्र	−यथीक्त−
(ग)	जन सम्पर्के श्रीधकारी, चंडानक् (क्षेत्रीय पानपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	प्रयोक्त	(ग)	कांजीकोड) अधीक्षर, बोजीकोड (पामोर्ट कार्यालय कोजीकोड)	प्रथोक्त -

ागा। ख	ण्ड 3 (1)]	·	भारत का राजपन्न : असाधारण	142,
1	2	3	1 2	3
7. (年)	पासपोर्ट प्रधिकारी, मुस्पई (पासपोर्ट और उत्प्रवासन	महाराष्ट्र राज्य	12. (क) पासपोर्ट प्रधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	मध्य प्रवेश राज्य
(ख)	कायणिय, सुम्बई) सहायक पासनोर्ट प्रधिकारी,	यथोक्त−	(ख) जन सम्पर्क प्रधिकारी, भोपाल (पासपोर्ट कायलिय, भोपाल)	- यथं(पत्-
	मुम्बई (पारापोर्ट ग्रीर जन्त्रवा- सन कार्यालय, मुम्बई)	.	(ग) स्नर्धाक्षक, भोपाल (पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)	– यथं।क्त −
(ग)	जन सम्पर्क प्रशिकारी, मुम्बई (पासपोर्ट प्रोर उत्प्रवासन कार्या- लय, सुम्बई)	–यथो््सन–	13. (क) पामनोटं ग्रिधनारी, भूवनेश्वर (पामपीटं नार्यालय, भूवनेश्वर)	उ ≸ ीसा राज्य
(ঘ)	प्रश्रीक्षक, मुम्बई (पासपोर्ट ग्रीर उत्त्रवासन कार्यालय, मुम्बई)	–पर्याक्तर-	(ख) सहायक पासपोर्ट घा धकारी, भुवनेष्वर (पासपोर्ट कायानिय, भुवनेष्वर)	यथो ४ त -
8. (布)	्र । पासपोर्ट मधिकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ)	उत्तर प्रवेश राज्य	(ग) अन सम्पर्क प्रधिनारी, णुदनेश्वर (पामपोर्ट कार्यानय, भुदनेश्वर)	–यथोक्त⊸
(শ্ব)	सहायक पानजोर्ट श्रविकारी, लखनऊ (पासपोर्ट कार्यानय,	- यथोक्त-	(घ) श्रधीक्षक, भुवनेश्वर (पासपोर्ट कार्यालय, मुवनेश्वर)	− मर्थाकत≃
(ग)	नखनऊ) जन सम्पर्क ग्रिधिकारी, लखनऊ	– यथॉक्त -	14. (क) पारापोर्ट अधिकारी, पटना (पासपोर्ट कार्यालय, पटना)	बिहार राज्य
	(पासपोर्ट कायलिय, लखनऊ)		(ख) सहायक पासपोर्ट र्याधकारी, पटना (पासपोर्ट कार्यालय,	- यथो न त-
(घ)	ग्रधीक्षक, सखनऊ (पासपीर्ट कार्यालय, सखनऊ)	- यथाबन-	पटना)	
(事)	पासपोर्ट प्रधिकारी, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	आन्ध्र प्रदेश राज्य	(ग) जन सम्पर्क धाविकारी, पटना (पामपोर्ट कार्यालय, पटना)	−यथं।क्त <i>−</i> -
(ন্দ্ৰ)	सहायक पासपोर्ट प्रधिकारी, हैवराषाद (पासपोर्ट कार्यालय,	-यथाकत-	(ष) स्रक्षीक्षक, पटना (पासरोार्ट कार्यालय, पटना)	- यथाक्त-
(ग)	हैवराबाद) जन सम्पर्क भ्रधिकारी, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	यथोक्त-	15. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट म्रधिकारी, गोहाटी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यानय, गोहाटी)	मणिपुर राज्य श्रीर ग्रहणाः प्रवेश तथा मिजोरम स
(घ)	ग्रधीक्षक, हैदराबाद (पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद)	– यथोक्न-	(स्र.) महायक पासपोटी अधिकारी, (क्षेत्रीय पामगोर्ट कार्यालय,	राज्य क्षेत्र । –यथोक्त∸
০. (ক)) पासपोर्ट श्रक्षिकारी, बंगलीर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलीर)	कर्नाटक राज्य	गोहाटी)	
(অ)	सहायक पासपोर्ट मक्षिकारी, बंगलीर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलीर)	- यथें (वर्-	(ग) जन सम्पर्क र्याधकारी, गोहाटी (क्षेद्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	– यशीक्त–
(ग)	जन सम्पर्क प्रधिकारी, बंगलीर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलीर)	–यथोक्त-	(घ) ग्रधीकक, गोहाटी (केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गोहाटी)	- य थोक्स -
(घ)	प्रश्रीक्षक, बंगलीर (पासपोर्ट कार्यालय, बंगलीर)	वर्षाक्त	। ७. (क) पासनोर्ट म्रधिकारी, श्रीनगर (पासनोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	जम्मू भ्रौर कश्मीर राज्य
) पासपोर्ट प्रधिकारी, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	राजस्यान राज्य	(ख) सहायक पासपोर्ट श्रीधकारी, श्रीनगर (पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर)	–यथोक्त÷
(ख)	सहायक पासपीटे प्रधिकारो, जयपुर (पासपीटे कार्यालय, जयपुर)	– यथाक्त -	(ग) जन सम्पर्क प्रधिकारी, श्रीनगर (पामगोर्ट यागलिय, श्रीनगर)	- य थो क्त∹
(ग)	जन सम्पर्के ग्राधिकारी, जयपुर (पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर)	- गर्थस्तन	(घ) श्रवीक्षक, श्रीनगर (पानपोर्ट कार्यानय, श्रीनगर)	-यर्था क् त्र⊸
(খ)	भधीक्ष हे, जयपुर (पासनाट कार्यालय, जयपुर)	-थथानः	17. (५:) मुख्य मचिव, शोधा, उमग धौर दीव सरकार, पणजी ।	गोता, यगण भोर कोल संघ र क्षेत्र

प्राणक्षण के लिए फिसो सरकारी विभाग द्वारा प्रायो-

किन व्यक्ति, जब ऐसे व्यक्ति अध्यतन छुट्टी पर था किसी अन्य

प्रकार की छुट्टी पर जाते हैं ;

1 (ख) पास पोर्ट प्रक्षिकारी, गृह विभाग गोवा, दमण और वीय संघ राज्य (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैक, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों , राज्य के (पासपोर्ट) गोवा, दमण और क्षेत्र स्वामित्वाघोन या नियंत्रणाधीन उपक्रमी दीव सरकार, पणजी श्रीर घन्य संस्थाओं के पदधारी धीर 18. (क) मुख्य आयुक्त, अंडमान और अंडमान और निकंखार राज्य द्वारा स्थापित स्वराक्षीय विकासी निकोषार द्वीप समृह संघ राज्य समृह सघ राज्य क्षेत्र के पदधारी जो अपनी संस्थाओं के शास-क्षेत्र, पार्टब्लेयर कीय कर्तव्य पर भारत से बाहर जाते --- यथोक्त--(ख) उपायुक्त, ग्रंडमान और निका-हैं ग्रीर उनके कुटुम्बों के सदस्य जब ऐसे धार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, सदस्य भी ऐसी संस्थाओं के खर्चे पर पोटब्लयर भारत से बाहर जाते हैं। (iii) विदेशी सरकारों, सथ्क राष्ट्र सगठन --यथोक्त**--**(॥) मुख्य सचिय, श्रंडमान और श्रौर उसके विशिष्ट श्रीभकरणों में प्रति-निकोबार प्रणासन, पोर्टब्लेयर निथुक्ति पर घौर अन्य अन्तर-सरकारी -- ययास---(घ) न्यायिक सचिव, भ्रंडमान और संगठनीं/प्रभिकरणों के जो भारत सरकार द्वारा निकोचार प्रशासन, पोर्टस्तेयर मान्यता प्राप्त हैं, के स्थाकी सरकारी पदधारी (इ) सहायक सचिव, (गापनीय –यथोक्त--श्रीर उसके कुटुम्बों के सदस्य, परन्तु यह एकक) श्रंडमान श्रीर निकोबार क्षत्र ज्ञान ऐक प्रतिनियुक्ति भारत सरकार प्रणासन, पंर्टब्लेयर के मध्यम में का जाती है। (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेननीं, विकार गोज्डवीं 19. विदेश स्थित भारतीय मिशनों या सर्वेधित भारतीय मिशन ग्रथवा ग्रीर श्रधियेणनों में उपस्थित होते के लिए पंस्टों की कीमनीय अधि-पास्टों के कॉमजीय अफिनर अथवा या स्थायी रूप से या तत्समय प्रवृत्त कारिता में ग्राने वाला क्षेत्र कांसलीय अभिकर्ता किसी छात्रपुत्ति स्कीम के प्रधीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के 20. (४) उप सचिव (पी०वी०खण्ड), राजनीयक ग्रीर सरकारी पास-भंजानय द्वारा या उनके विभागों द्वारा पोर्टी के मामले में सम्पूर्ण विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली प्राथोजिय सरकारी पदधारो । परन्त भारत यहत्तव जब भारत के खारह प्रक्षानेतृतिक --**५भाक्त-**--(ख्रा) भ्रवर संभिष्ठ, पी० वी० खण्ड, कर्तव्य मानो जानी है ग्रीर सरकारी थिदेश मंत्रानय, नई दिल्ली पदधारी भारत में भ्रपना कर्तव्या वेतन ग्रांर भक्ते लेते के लिए प्रमुक्तात किए --यथं।सा--(ग) अनुभाग अधिकारी, पी० वी० अाते हैं भीर ऐसे पदवारो के, जो भारत खण्ड, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के बाहर कम से कन बहार माम के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, कुटुम्ब के सदस्य श्रनुसची⊶∐ जब व ऐसे पद धारी के साथ याता करते हैं या विदेश में उसके गदस्थान पर (नियम 🗚 देखिए) उसके साथ रहते हैं। भाग-I पासपोर्ट (v) भारतीय विदेश सेवा (माखा खा) के अधिकारी की पूर्ण रूप से आर्थित व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें जारी किया जा मकता है माता/पिता/माम/गाई/बहिन और भारतीय पासपोटी के वर्ग विदेश सेवा (शास्त्रा क) के प्रधिकारी को पूर्ण का से आध्यत साम/भाई/बाहुन जब वे गरकार का मनुका से मधिकारी साषारण पासपंदि भारत के नागरिक के विदेश में तैनातों के स्थान पर भ्राधिकारी 2. भारत बगलादेण पासपोर्ट --यथांक -के साथ रहने के लिए भारत के बाहर जाते हैं। भारत-श्रीलंका पामपार्ट ----यथांक ---(vi) जोई अन्य व्यक्ति जिसे भारत सरकार की भारत-श्रीलंका पासपोर्ट रायमें विवेश में कर्तव्य की प्रकृति के कारण (1964 और 1974 के वे व्यक्ति जिन्हें भारत-श्रीलंका सप्रस्यावर्तन सरकारी पासपोर्ट मिलना चाहिए । करार 1964 ग्रीर 1974 के श्रशीन धराशों के अधीन देश-टिप्पण - निम्नांकिष्यत व्यक्ति, गरकारी पामगोर्ट आरो किए जाने भारतीय नागरिकता दी गई है। प्रत्यावित्यां के लिए) हकदार नहीं होंगे, प्रथान् .--(क) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनी, विवास गीतकारी भीर अधियेगनी में (i) सरकारी पदधारी श्रीर गैर-सरकारी सरकारी पासपोर्ट उपस्थित होने के लिए या अध्ययत के लिए या स्वतन्नं रूप से व्यक्ति जब उनकी यावा के लिए किराया या तत्समय प्रवृत्त किसा छात्रधृत्ति स्कीम के प्रधीन किसी सरकार द्वारा शदल किया जाता है

श्रीर उनके तुट्म्बी के ऐसे सदस्य भी

जा भरकार के खर्जे पर भारत से बाहर

जाते हैं।

1

(ख) ऐसे व्यक्ति जो वाणिज्यिक या प्रत्य प्रयोजनों के लिए भारत से बाहु आपने खर्चे पर अति हैं चाहे सरकार का कोई विभाग यह प्रमाणित करना है कि ऐस। प्रयोजन सरकार के हिन में होगा ।

राजनियक पामपोर्ट :--

- (i)(क) भारतीय विशेश सेव। (णःखाक) के अधिकारी जय वे गामकीय कारोबार पर भारत से बाहर जाते हैं।
- (ख) भारतीय विदेश सेव। णाखा (ख) के ग्रीर विदेश मंतालय या अन्य मंत्रालगों या भारत सरकार के विभागों के अन्य अधिकारी जो शासकीय कारोदार पर बाहर जाते हैं विदेश में भारतीय मिणनों या पोस्टों पर तैनात किए जाते हैं, जो विदेश मैनालय के विदेश सेवा बार्ड हारा अवशासित किए जाएं।
- (ग) ऊपर (क) और (ख) में निविध्य किमी ग्रिधकारी की यथा-स्थित, पत्नी या शासकीय यजमानिन या पनि, 21 वर्ष की अन्य से कम के ग्राधित पृक्ष ग्रीर ग्राधित अविवाहिता प्रोक्षयां भाभित पिता, धीर आश्रिता माता जब वे ऐसे प्रधिकारी के साथ याला करते हैं या विदेश में उसके पद स्थात पर उसके साथ रहते हैं।
- टिप्पण : (i) किसी श्रिकारी के, जो विदेश में राजनियक पद वास्तव में धारण करता है, ऊपर (ग) में निर्दिष्ट कट्म्ब के किसी सदस्य को अधिकारी के प्रत्यायन के देश से भिन्न देश में अध्ययन के लिए या केन्द्रीय संरक्षार द्वारा धनुमें दिव प्रयोजनीं के लिए, ठहरने के लिए राजनियक पामपोर्ट जारी किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे मामले में जारी किया गया राजियक पासपोर्ट, श्रधिकारी के राजनियक कर्तव्य की समाप्ति पर या जब प्रधिकारी मुख्यालय में वापस नैनात किये जाने है, समर्पित किया जाएगा ।
 - (ii) (क) ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनियक प्रास्थिति है या उसे उसके विदेणी कर्तंध्य के कारण या उसके पद के कारण, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रवधारित किया जाए, राजनयिक प्रार स्थिति दी गई है।
 - (क) उपर (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति की, यथास्थिति, पत्नी या पति जब यह उक्त व्यक्ति के साथ जाता है।

भाग 🛚 याम्रा दस्तावेज

व्यक्ति केवर्गजिन्हे अरीकियाआ सकता है यास्त्रादस्ताक्षेत्रों के वर्ग

आपासी प्रमाण-पद्म

- (i) विदेश में भारत के नागरिक जिन्हें पास-पोर्ट इंकार किया जा चुका है या जिनके पासपोर्ट परिवार या प्रतिसहत किए जा चुके हैं या जो भारत में संप्रत्यावर्तित किए जान हैं।
- (ii) वे व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेण किया है किन्त् ग्रनिरिक्त मत्यागन के बिना पासपोर्ट जारी करने के घोषित्य के लिए वह साक्ष्य ग्रपर्थाप्त समझाजाता है।

(iii) विदेश में भारत के नागरिक जिन के पासपोर्ट खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हो गए है घौर जिन्हें जारी करने वाले कार्यालयों को उनकी पासपीर्ट विशिष्टियों के सत्यापन के लिए निर्देश किए बिना नए पासपोर्ट जारी नहीं किए जा सकते हैं।

(iv) बिदेश में भारतीय उदभव के व्यक्ति जब उन्हें भारत में बसने के लिए आने की श्रम्जाबी जाली है।

- 2. पहुंचान प्रमाण पत्र— (i) भारत में निवास कर रहे राज्य विहीन व्यक्ति, विदेशी जिनके देश को भारत में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है या जिन की राष्ट्रीय प्रास्थिति संदेहपूर्ण है।
 - (ii) धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपवंधों के प्रवर्तन से घारा 22 के श्रधीन एट प्राप्त व्यक्ति।

अनुसुची III

(नियम 5, 6 घीर 11 देखिए)

भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्रकृप ई, ए (पी) 1

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

पासपोर्ट स्रावेदन पक्ष प्रारूप

(साधारण भौर भारत-श्रीलंका पासपोटौं के लिए)

पासपोर्ट शन्क डाकटिकट लगाने के लिए स्थान

चेतावनी . जानब्रह्मकर मिथ्या जानकारी देना या कोई तास्विक जान-कारी छिपाना पासपोर्ट प्रधिनियम, 1967 के प्रधीन प्रपराध है।

इस आवेदन पत्र प्ररूप का उपयोग किसी भी वयस्क व्यक्ति द्वारा भपने लिए या माना-पिना/विधिक सरक्षक के रूप में 18 वर्ष से कम धाय के किमी व्यक्ति को मधारण बन्तरिष्ट्रीय पासपोर्ट/भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए किया जा सकता है।

केवल कार्यालय के उपयोग के पासपोर्ट कार्यालय/स्टेट बैंक काउंटर पर संवाय के लिए रसीव मं० ' ' ' ' ' ' नारीखः रोकड़िये के आधक्षर

मेवामं. पामपोर्ट प्रधिकारी (यहां कार्यालय का नाम भरें) क० फीसः

- जमा की गई एकम ६०
- 2. जमा करने की तारीख

3. श्रापने किस प्रकार इसको जमा किया है--

(क)	(ख)	(ग)	(घ)
(पासपोर्ट फीम	(पासपोर्ट कार्या-	(पासपोर्ट कार्या-	(मनीग्राप्टंर द्वारा
स्टाम्प द्वारा)	लय काउंटर पर)	नय में स्टेट बैंक	रगीद संलग्न की
•		काउंदर पर.)	आएगी ।)

ख. फोटो

कुल पांच प्रतियां श्रवेक्षित हैं----एक यहां चिपशाई जाएगी श्रीर चार श्रावेदन-पत्न के साथ संगयन की जानी है। फोटो का श्राकार 50 मि० मी० x 60 मि० मी० से जम नहीं होनी चाहिए श्रीर उसमें पूरा चेहरा विखाई देना चाहिए।

कृपमा फोटो के सामने के भाग पर कोई चिन्ह न श्वयाएं।

फोटो चिपकाने का स्थान
Mercanian constant

- ग. आवेदक/अवयस्त की विशिष्टियां जिसके लिए पासपोर्ट अपेक्षित है :
 - साफ प्रक्षरों में पूरा नाम (कृपया प्राचक्षरों का प्रयोग न करें)
 - यदि श्रानेवक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पूर्व का नाम
 - 3. उपनाम (यदि कोई हो)
 - (क) क्या प्रापने कभी अपना नाम बदला है ? 1
 - (ख) यदि हों, तो भ्रापका पहले का नाम क्या था ?

5. जन्म की तारीख			
	तारी ख	मास	वर्ष
6. जस्म-स्थान			
	(ग्राम/नगर)	(जिला)	(राज्य)

- पिता का पूरा नाम
 (कृपया भ्राचक्षरों का प्रयोग न करें)
- यदि श्रावेषक विवाहिता/विधया स्त्री है तो पति का पूरा नाम '

व. वैयक्तिक विवरण:

- 1. व्यवसाय श्रीर वर्तमान उपजीविका
- 2. कंचाईमी०मी० मी०
- 3. घांग्यों का रंग
- 4. बालों का रंग
- पहचान के प्रकट जिल्ह
- इत. पासपौर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम प्रायु के बालक बालक का नाम जन्म स्थान जन्म की नारीन्द्र ध्रावेदक से नाने-दारी
- 1;
- 2.
- 3.

कृषया वालकों के जन्म प्रमाणपत्रों की या विद्यालय में उनकी श्राय के प्रमाणपत्र की अन्ध्रमाणित प्रतियां संवस्त करें

स. पना:

1. स्थाई पना :

(गृष्ट सं०/गन्ती)	(ग्राम/नगर)	
(जिला)	(राज्य)	

2. (क) यर्तमान पता:

(गृह सं०/गली)	(ग्राम/नगर)
(जिला)	(राज्य)

- (ख) यदि श्राप ऊपर दिए,गए पते पर पिछले दो वर्ष से लगातार नहीं रह रहे हैं तो कृपया उन स्थानों के पते दीजिए जिन स्थानों पर श्राप इस श्रयधि में रहे हैं:
 - 3. उस नानेदार का नाम श्रीर पता दीजिए जिसे पासपोर्ट धारक को जियेश में कोई कठि-नाई होने की दशा में मुचित किया जा मके:

नाम नातेषारी पूरा पना

फोन नं० यदि कोई

छः नागरिकताः

- ा.(क) क्या ग्रापने कभी कोई भ्रस्य नागरिकता प्राप्त की थी ?
 - (ख) यदि हो, तो क्या श्रापने भारतीय नागरिकता रिजस्ट्रीकरण द्वारा या देणीयकरण द्वारा प्राप्त की थी ?

(यदि ग्राप पहली बार पासपोर्ट के लिए श्रावेदन दे रहे हैं तो नागरिकता वस्तावेगों की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

- 2.(क) यदि आप विवाहिता/विधवा स्त्री हैं तो क्या ग्रापके पति भारतीय नागरिक हैं/ये ?
 - (ख) यदि ऊपर (क्ष) उत्तर "नहीं" में है तो भ्रापके पित की राष्ट्रिकता क्या है / थी भौर उतने भ्रापका विकाह कब हुआ था?
- (क) क्या थ्राप किसी ऐसे स्थान से थ्राए हैं जो पाकिस्तान या बंगलादेश में हैं ?
 - (ख) यदि हा, तो ग्राप किस देश से ग्रीर कब ग्राए हैं ?
- 4. (कं) क्या आप का जन्म भारत, पाकिस्तान या बंगलादेण से भिक्ष किसी देश में हुआ था ?
 - (ख) यदि हां, ती आपके पिता की नागरिकाता क्या थी ?
 - (i) श्रापके जन्म के समय; ग्रार
 - (ii) 26-1-1950 時
 - (ग) अगपके पिता का जन्म स्थान क्या है ?
 - क्या श्रापके पिता ने कोई श्रन्य नागरिकना प्राप्त की थी ?
 - (क) यदि हां, तो किस राष्ट्र की ; भौर
 - (स्त्र) कव ?

ज. पहला पासपोर्ट

- 1 क्या आपने पासपोर्ट /पाला वस्तावेज के लिए पहले कभी अविदन किया है ?
- यदि पामपोर्ट/पात्रा दस्तावेज जारी किया गया था तो निम्नलिखिन व्यौरे दें ग्रीर पामपोर्ट/पात्रा दस्तावेज संलग्न करें :---

संख्या--

जारी करने की नारीख :

जारी करने का स्थान :

- 3 यदि पासपोर्ट/श्रात्रा बस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है तो बनाएं इसका क्या हुआ ?
- कृपया अपने द्वारा प्राप्त किए गए सरकारी पत्र की एक प्रति संलग्न करें; यदि
 - (i) श्रापको पालपोर्ट/याल्ला दस्ताबेज देने से पहले इन्कार किया गया था श्रीर श्रम्बीकृति का श्रादेण बाद में बिना किसी गतं के बापम नहीं लिया गया था/रह नहीं किया गया था; या
 - (ii) आपका पामपोर्ट/यात्रा दस्तावेच पहले परिवद किया गया था श्रीर बाद में बिना मर्त श्रापको बापस नहीं किया गया था।
- 5. यदि द्वापका नाम घापके माता या पिना के पासपोर्ट में सम्मिलित या तो नाम कटाने का प्रमाणयत्न प्रस्तुत करें या पासपोर्ट/ यात्रा दस्तावेज नाम कटाने के लिए प्रस्तुत करें ।

झ. पासपोर्ट प्रधिनियम, 1967 की घारा 6 के प्रधीन प्रपेक्षित जानकारी:

- 1. क्या इस झावेदन पत्न को प्रस्तुत करने की सारीख से ठीक पांच वर्ष पूर्व की झवधि में किसी वांडिक अपराध के लिए किसी समय भारत के किसी न्यायालय में झाप दोषी सिद्ध हए थे और कारावास से इण्डादिक्ट किए गए थे ?
- क्या भारत के किसी दण्ड न्यायालय में ग्रापके विरूत कोई कार्यवाही लिम्बित है ?
- 3 क्या किसी न्यायालय द्वारा प्रापको न्यायालय में पेश होने के लिए बारंट या समन या भापकी गिरफ्तारी के लिए बारंट या श्रापको भारत में बाहर जाने से प्रतिषित करने के लिए कोई घादेश जारी किया गया है?
- 4. (क्र) क्या ग्रापको कभी सरकारी खर्च पर विदेश से संप्रत्यावर्तित किया गया है ?
 - (ख) यदि हा, तो क्या ग्रापने गरकार को उपगत खर्च का प्रति-संदाय कर दिया है ?

यदि ऊपर प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर "हा" में है तो कुणया म्नलग कागजा पर सम्यंक रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे प्रस्तुत करें।

ङा. केवल सरकारी/पश्लिक सैक्टर कर्मचारियों के लिए :

- क्या माप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभागः कानूनी निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम मैं कार्य कर रहे हैं?
- यदि हां तो अपने कार्य के पूरे न्यौरे और नियोजक के कार्यालय का पूरा पता और अपने नियोजक से एक "घाक्षेप न होते का प्रसाणपत्न" मूल रूप में संलग्न करें।

ट. पुरक जानकारी :

ग्राप किन-किन देशों का परिवर्शन करना चाहते हैं ?
 1050 GI/80---2

- प्रापके परिदर्शन का उद्देश्य क्या है ?
 (अध्ययन, व्यापार, पर्यटन, तोर्थयाला, नियोजन अर्धिर)
- 3 प्रापकी गैक्षिक योग्यताएं क्या हैं [?]
 - (i) साधारण
 - (ii) व्यावसायिक/नक्तोकी

ठ. परिचित स्पक्ति :

प्रयमे परिक्षेत्र के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पने दें जो भाषकी जमानत देने को नैयार हों

1.

2.

इ. ग्राबेवक की घोषणाः

में निष्ठापूवर्क घोषणा करता हूं कि :

- (i) भेंने स्वेच्छा से किसी अन्य वेश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है;
- (ii) मैंने भारत की भ्रयनी नागरिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है भ्रौर न ही मैं इससे कभी वंचित किया गया हूं; भ्रौर
- (iii) इस प्ररूप में दिए गए प्रथनों के उत्तर में मैंने जो जान-कारी दी है वह सही है।

प्रावेदक के हस्भाक्षर

स्थान:

नारीखः

टिप्पण : क्रुपया श्रांत में दिए गए स्थान पर श्रपने नम्ने के हस्याक्षर करें।

व. यदि पासपोर्ट मनयस्क स्थक्ति के लिए है तो माता-पिता या विधिक संरक्षक की घोषणा :

मैं प्रतिज्ञान करना/करती हूं कि उपरोक्त विशिष्टियां ' ' ' प्रत/पुती है,

के संत्रन्ध में हैं जिस का/की मैं माता-पिता/विधिक संरक्षक हूं : मैं उसके खर्च की पूरी जिम्मेवारी लेता/लेती हूं ।

> मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करमा/करनी हूं कि उसने कभी अपनी नाग-रिकता नहीं खोई है, उसका परित्याग नहीं किया है श्रीर न ही वह इस से कभी वंचित्र किया गया/की गई है श्रीर इस अयेदन पत्र में उसके सम्बन्ध में दो गई जानकारी सही है ।

> > म्रावेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

नारीख:

ण. संस्थापन प्रमाण-पत्र :

(यह प्रमाण-पत्र पासपोर्ट प्राप्त करने की पूर्व णर्ने नहीं है)

पुत्र/परनी/पुत्री हैं ने जो विशिष्टियां दी हैं ये सही हैं।

मैं भायेदक को पामपोर्ट जारी किए जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति रामझन। हूं । मैंने धपना यह समाधान कर लिया है कि भावेदक भारत का नागरिक है ।

2 मैंने अपना समाधान कर लिया है कि आवेदक की आर्थिक स्थिति अच्छो है।

सारीखः

टिप्पण: यदि सन्यापन प्राधिकारी यह प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है कि आवेदक की आधिक स्थिति प्रच्छी है तो वह सन्यापन प्रमाण-पन्न से पैरा 2 को हटा सकता है। ऐसी दशा में आवेदक को वित्तीय प्रत्याभूति प्रस्तुत करनी होगी अब तक कि उसे पासपीर्ट नियम, 1980 के मियम 6 के अधीन ऐसा करने से प्रत्यथा छूट नहीं दे दी गई है।

चेतावनी

यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ग्रौर इस पर ग्रन्छी तरह सोच-विचार कर के हस्ताक्षर किए जाने नाहिए। (इस पर किसी संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य या महानगर गरिषद्, दिल्ली के सदस्य या किसी ग्रधिकारी जो पंक्ति में सरकार के उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है या उप-काण्ड मजिस्ट्रेट ग्रारा हस्ताक्षर किए आएंगे)

श्राबेदन के श्रवयस्क के जिसके निमित्त श्राबेदन किया जाना है नमृने के दो हस्ताक्षर या श्राएं हाथ के श्रंपूठे के निन्ह (यदि पुरुष हो) या दाए हास के श्रंपूठे के निन्ह (यदि स्त्री हो) ।

1.

2.

भ्रनुसूची III भाग I.

(निमय 5 देखिए)

प्ररूप ई०ए० (पी०) 2

भारत सरकार

विवेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए पासपीर्ट अववेदन-पन्न प्रकृप

चेतावनी : जानवृक्ष कर मिश्या जानकारी देना या कोई तात्विक जानकारी छिपाना पासपोर्ट ग्रीधिनियम, 1967 के ग्रीचीन ग्रंपराध है--

इस आवेदन-पत्न प्रक्रम का उपयोग विदेणों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा (यदि वयस्क है तो अपने लिए या यदि किसी अवयस्क बालक के माना-पिना/विधिक संरक्षक में में काई है ता उस बालक की भोर से) साधारण अनरी-ट्रीय भागपोर्ट/भागन — श्रीलंका पासपोर्ट जारी किए जाने के लिए किया जा सकता है।

सेवा में.

(कृपया उस भारतीय मिणन/पोस्ट का नाम भर्गे जिसे आप पासपोर्ट जारी करने के लिए श्रावेदन दे रहे हैं) ।

> फोटो चिपकाने के लिए स्थान

(फोटो की कुल तीन प्रतियां अपेक्षित हैं ----इनमें से एक ऊपर के स्थान पर निपकाई जाएगी और दो इस खानेदन-पत्न के गाथ संलग्न की जाएगो । फोटो का भ्राकार 50 मि०मो० ४ 60 मि०मो० से का का नहीं होना चाहिए भौर क्रममें पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए।)

- (क) फीस
- (1) जमा की गई फीस की रक्तम
- (2) आपने किस प्रकार इसको जना किया है
- (ख) म्रावेदक के/प्रवयस्क की विभिष्टियां जिसके निष्पासपार्ट भनेकिन है।
 - साफ प्रक्षरों में पूरा नाम (कृपचा प्रधक्तरों का प्रयोग न करें)
 - यदि द्वावेदक विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पहने का नाम
 - 3. उपनाम , यवि कोई हो
 - यदि ग्रापने पहले कभी भपना नाम बदला है तो अप्तका पहला नाम क्या था
 - 5. जन्म की तारीख
 - जन्म स्थान
 - पिता का पूरा नाम
 (कृपया अधक्षरों का प्रयोग न करें)
 - माना का पूरा नाम
 - 9. यदि भ्रावेकक विवाहिमा/विधवा स्त्री है तो पति का पूरा नाम
 - 10. व्यवसाय ग्रौर वर्नमान उपजीविका
 - 11. लम्बाई

मोटर

मेंटीमीटर

- 12. ग्रांखों का रंग
- बानों का रंग।
- 14. पहचान के प्रकट चिन्ह
- (ग) पासपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कम भायु के बालकः

बालकका नाम	जन्म स्थान	जन्म की नारीश्व	
			दारी —
1			
2			
3			
4			

कृपया जन्म प्रमाण-पत्न/पत्नों या विद्यालय प्रमाण-पत्न/पत्नों की प्रतिया, जिनमें जन्म की नारीन्द्र दी गई हो ग्रीर मान-ापिना दोनों के पामपोर्ट संलग्न करें।

- (ध) पता
 - ा वर्तमान पना
 - 2. स्थादी पना
 - 3. टेलिफोन मंख्या, यवि कोई हो
 - उस नानेदार की विशिष्टियां दीजिए जिसे पासपोर्ट धारक को विदेश में कोई कठिनाई होने की देशा में सूचित किया जा सके।

न(म:

नानेवारी

पूरा पना

टेलीफोन संख्या, यदि कोई हो

(इ.) नागरिकना:

क्या आप जन्म/वंण/राष्यद्रीकरण/वेशीयकरण से भारत के नःगरिक है?

(पासपोर्ट के लिए प्रथम भावेदन की दशा में कृपया नागरिकमा दस्तावेज की प्रमाणित पति संलग्न करें)

- (च) पहला पासपंति ।
 - श्र. मंक पास जा पहला पासपोर्ट/यात्रा दस्तानेत्र है उसे संख्या करें श्रीर निस्तिलिखित व्यौरें दे :---

सस्या

जारी करने की नारी ७

जारी करने कः स्थान

- 2 क्या भापको कभी पामपोर्ट दिए जाने से इन्कार किया गया था ?
- 3. क्या कभी श्रापके पत्मपोर्ट को परिवाद किए जान या प्रतिपदत्त किए जाने का श्रादेश जारी किया गया था ?

(यदि अपर 2 या 3 का उत्तर "हा" में है तो कृपया उस सरकारी पत्र की प्रति संलग्न करें जो क्रांगको प्राप्त हुन्ना था)

- (छ) मानेदक की घोषणाः
 - मैं निन्टापूर्वक घोषणा करता हूँ कि --
 - (i) मैंने स्थैच्छा से किसी ग्रन्थ देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है;
 - (ii) मैंने भारत की नागरिकता नही खोई है, उसक परिस्थाग नही किया है धौर न ही मैं इससे कभी बंचित किया गया हूं; धौर
 - (iii) इस प्ररूप में दिए गए प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है वह सही है।

स्थान :

तारीखः:

ग्रावेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण : कृपया श्रंत में दिए गए स्थान पर भ्रपने नम्ने के हस्ताक्षर करे।

(ज) यवि भावेदन अवयस्क की भोर से है तो माना-पिना या विधिक संरक्षक की घोषणा:

में प्रतिकाल करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण-----

में उसके खर्च की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं/लेती हूँ।

में निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हैं कि उसने कभी भारत की नागरिकता नहीं खाई हैं, न उसका परित्याग किया है धौर न ही वह कभी इससे बंचित किया गया है धौर कि इस धावेदनपत्र में उसके बारे में दी गई जानकारी सही है।

पिता-माता/विधिक संरक्षक के हस्साक्षर

प्राविदक/प्रवयस्क जिसकी श्रीर से श्राविदन किया गया है के नमूने के दो हस्ताक्षर या बागे हाथ के श्रंगुठे के चिन्ह (यदि पुरुष हो) या दायें हाथ के श्रंगुठे के चिन्ह (यदि स्त्री हो)।

2

अनुसूची 🌃 भाग 🛚

(नियम 5 देखिए)

[प्र≉पईक(पी) 3]

राजनियक/सरकारी पासणोर्ट जारी करने के लिये ग्रावेदन-पन्न

· . _= .= .

(इस ब्रायेशन-पत्र के साथ पासपोर्ट बाकार के दो कोटो भेगे जाने चाहिए--धनमें से एक कोटो सम्यक रूप से सत्थापित होनी चाहिए)

- 1.(क) पूरानाम (माफ प्रक्षारों में)
 - (ख) उपनाम, यदि कोई हो (साफ प्रक्षरों में)
 - 2. व्यवसाय
 - 3. धर्तमान नियोजन
 - 4. घर का स्थादी पता
 - वर्तमान पता
 - 6. अन्म स्थान
 - 7 जन्म की तारीख
 - 8. पिसः/पनिकान।म
 - दैयक्तिक विशिष्टियो ।
 - (क) लंबाई
 - (ख) आखीं का रंग
 - (ग) बालों का रंग
 - (घ) पहचान के प्रकट चिन्ह यदि कोई हों तो ?
- 10. पानपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले 15 वर्ष से कव आयु के बालकों को विशिष्टियां

न(म	जन्म की नारीख	जन्म स्थान	नानेदारी
1			
2			
3			
l			

- 11. (क) क्या प्रापने किसी धन्य प्राधिकारी को किसी धन्य पागपोर्ट के लिए आवेदन किया है?
 - (स्व) यदि हां, तो ब्यौरे दीजिए:
- 12. यदि श्रापके पास पहला कोई पासपोर्ट है तो उसकी विणिष्टियां:
 - (क) संख्य
 - (ख) जारी करने की मारीख
 - (ग) जारी करने वाला प्राधिकारी सौर स्थान
 - (थ) यदि भ्रावेदक ने अपना पहला राजनियक सरकारी पामपोर्ट विदेश मंत्रालय या किसी भ्रन्य प्राधिकारी को वापस किया है तो कृपया बताएं कि वह कहां भ्रीर कब लौटाया गया था।

विशेष टिप्पण :

13. पहला पासपोर्ट यदि भावेदक की भ्रभिरक्षा में है तो उसे इस भावेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता चाहिए।

सरकारी कार्य से जिन देशों सरकारी कार्य का सही संभावित तारीख देते मे जाना है उनका नाम स्वरूप हुए ठहराने की प्रविध

14. याला का ढग और मार्ग

स्पानः

तारी**व**ः

भ्रावेदक के या, यदि भ्रावेदन भ्रवयस्क के लिए है तो, माता/पिता के हस्ताक्षर

प्रसाण-पत्न
 *मैं इसके हारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी: सरकारी कर्तव्य पर विदेश जा रहे/रही है,
(पूरा नाम और पदनाम) जैसा कि ऊपर मद संख्या 13 में दर्शित हैं।
2. *मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ' '
2. "म इसके ब्राग प्रमाणित करता हूं कि श्रा/श्रानता/भुनारा का
(पूरा नाम) (पूरा नाम श्रौर पदनाम)
पुत्त पस्ती पुत्री है, जो सरकारी कर्त्तव्य पर विदेश जा रहे हैं जैसा कि अगर सद सं० 13 में दर्शित हैं।
कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
पदनीम
*जो लागून हो उमे काट दें।
भ्रावश्यकः उन व्यक्तियों के प्रवर्गों का उम्लेख, जिन्हें सरकारी भौर राजनियक पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, पासपोर्ट नियम, 1980 की भ्रनुसूची II के भाग-I में किया गया है। जो व्यक्ति उक्त श्रनुसूची के भ्रन्तर्गत नहीं आने हैं वे सरकारी भौर राजनियक पासपोर्ट के लिए पान्न नहीं होंगे।
क्रुपया ऊपर दिए गए स्थान में प्रावेदक के नमूने के हस्ताक्षर या श्रंगुठे के चिन्ह (पुरुष की दणा में वाएं श्रंगुठे के शौर स्त्री की दशा में दायें श्रंगुठे के)
श्रनुसूची-III भाग Ⅰ
्रियम 5 वैश्विष्
प्रारूप ईए.(पी) 4
आपाती प्रमाणपत्न जारी करने के लिए आवेदन पत्न
(इस ब्रावेदन पत्र के साथ पासपोर्ट श्राकार के सीन फोटो भेजे जाने चाहिए)
I. फीस:
1. जमा की गई रकम
2. जमा करने की नारी ख
3. जमा करने का ढंग
11. वैयवितक विणिष्टियां
1. (क) पूरा नाम
(साफ प्रक्षरों में)
(ख) उपनाम यदि कोई हो (उपन कर्कों रू
(म।फ अक्षरों में 2. पहले का नाम, यदि स्रापने कभी श्रपना नाम बद ला है।
 वहार पान, पान जाना अवता नाम अवता है। विवाहिता/विभ्रवा/विच्छिप्त विवाह स्त्री की देशा में विवाह के पहले
का नीम
4. पिता का नाम
5 विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पनि का नाम
6. मारत में स्थाई पता
7. विदेश में धर्समान पता
8. वर्तमान राष्ट्रीय प्रास्थिति 9. व्यवसाय
9, व्यवसाय 10. जन्म की स्थान
10. जन्म की नारी ल
12. लंबाई
13. प्रांखों का रंग
1.4. बालों का रंग

15 पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों।

III. श्रापाती प्रमाण-पत्न में सम्मिलत श्रापु के बालक-बालकों की वि	ा किए जाने वाले 15 वर्ष से कम गण्डियां:
··-—— नाम जन्म की तारीक	
<u> </u>	
2.	
3	
4	
IV. यदि श्रापकं पास पहले कोई विशिष्टियां :	पासपोर्ट/यान्ना दस्तावेज है तो उसकी
1. क्या भ्रापके पास पहले को	ई पासपोर्ट/यान्ना दस्तावेज था ?
2 यदि हां, तो क्रुपया निम्न	निश्चित विशिष्टियां दे:
(क) सं ग ्या	
(खा) जारी करने की ता	
(ग) जारी करने वाला प्र	गधिकारी भौर स्थान
विशेष टिप्पण : यदि पासपोर्ट/यास्ना दर पस्न के साथ प्रस्तुन वि	नावेज उपलब्ध है तो उसे इस धावेदन ज्या जाना चाहिए।
 यदि भ्राप उस पासपोर्ट/यात्र में नहीं है तो कृपया इसं 	ा दस्ताबेज को प्रस्तुत करने की स्थिति । के कारण अनुसर्
V. श्रापाती प्रमाणपत्न के लिए श्रा	
VI. भ्रावेदक की घोषणा:	
मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता	हं कि:
ा. 1. मैं भारत का नागरिक/भा	
	देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है;
 इस प्ररूप में दिए गए प्रक है वह सही है। 	में के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी
स्थान :	
तारीख:	म्रावेदक के हस्ताक्षर या मंगूठें का चिन्ह
	(पुरुष की दशा में बाएं ग्रंगूठे का ग्रौर
	स्त्री की दशा में दाएं भ्रंगूठें का)
श्रावेदक के समूने के वो हस्ताध में बाएं अंगूटें के भौर स्त्री की व	तर या धंगूठें के चिन्ह (पुरुष की दशा सा में दाएं म्रंगूठें के)
1	
	-——
प्राप्त की है तो कृपया ब्यौरे दें	

भनुसूची III भाग I (नियम 5 देखिए) प्ररूप ईए (पी) 5

पहचान प्रमाणपन्न जारी करने के लिए बावेदन पत्न

(इस मावेदनपत्न के साम पासपोर्ट भाकार के तीन फोटो—एक स्मानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भीर मावासीय परिमट, भेजे जाने चाहिए)।

- I. फीस :
 - て毎日

2. जमा करने की तारीख 	(ग) इस प्ररूप में दिने गए अण्लों के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी है,वह गही है।		
3. जमा करने का ढंग	स्थान ••••••		
II वैयक्तिक विशिष्टियां :	तारीश्वः		
ा. (क) पूरा नाम (माफ प्रक्षरों में)	 स्रावेदक के हस्ताक्षर या संग् ठे का		
(ख) उपनाम, यदि कोई हो (साफ श्रक्षरों में)	चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं स्रंगूठे का		
2. पहला नाम, यदि श्रापने कभी श्रपना नाम बदला है	स्रौर स्त्री की दशा में दाए झंगूठे का)		
 विवाहिता/विश्ववा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम 			
4. पिता का नाम	च वाए अपूर्व के बार स्त्रा का प्या संपाप अपूर्व के) 		
 विवाहिना/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम 	· _ 1		
6. निदेण में पिछला स्थाई पता			
7. <mark>वर्तमा</mark> न पता	श्रनसुची III भाग I		
8. उद्भव का स्थान/देश	(नियम 5 देख्िए) प्ररूप ईए (पी) 6		
9. वर्तमान राष्ट्रीय प्रास्थिति	निष्य पर्या पर्या पर्या विश्वासाय्यता के नवीकरण के लिये झावेदनपत्न 1. (क) पूरा नाम		
10. भारत में श्रावास की श्रवधि			
11. व्यवसाय	(साफ ब्रक्षरों में) (स्थ) उप नाम, यदि कोई हो		
12. जन्म का स्थान			
13. जन्म की नारीख	 विकाहिता/विधवा/विच्छित्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पहले का नाम 		
1.4. लम्बाई	 पिता/पित का नाम वर्तमान पता स्थाई पता पासपोर्ट/याला दस्तावेजों की विणिष्टियां (क) संस्था		
1.5. भांखों का रंग			
16. बालों का रंग			
17 पहचान के प्रकट चिह्न, यदि कोर्ड हो			
III. पहचान प्रमाणपत्न में सम्मिलित किये जाने वाले. 15 वर्ष से कम द्यायु के बालक/बालकों की विशिष्टियां	(ख) जारी करने की तारीख (ग) जारी करने वाला प्राधिकारी ग्रीर म्थान (घ) कब तक विधिमान्य है		
नाम जन्मकी तारीस्न जन्मस्थान नातेदारी	 (क) प्रविध जब तक नवीकरण ध्रेपेक्षित है 		
1	(खः) नवीकरण के निये कारण		
•	৪. जमा की गई फीस की रकम		
3	 जमा करने का ढंग (यदि फीस मनीश्रार्डर द्वारा भेजी यई थी तो कृपया मनीश्रार्डर की रसीद संलग्त करें)। 		
4	10. घोषणा		
	मैं घोषणा करता हूं कि जब से मुझे ऊपर वालापासपोर्ट या बाह्रा बस्तावेज जारी किया गया या मैंने घारत की मागरिकता नहीं खोई है या उसका परित्याग नहीं किया है***** मैं यह भी घोषणा करता है		
 JV. 1. पहचान प्रमाणपक्ष के लिए धावेदन करने का प्रयोजन 2. देश जिनके लिए पहचान प्रमाणपक्ष घरेकित है 			
V धावेदक की घोषणा	कि मेरे पास कोई भ्रन्य पासपोर्ट या याद्रा दस्तावेज नहीं है।		
मैं निष्ठावृर्वज घोषणा करता हूं कि	*जो लागू न हो उसे काट दें। स्थान		
(क) मैं ' ' ' राष्ट्रियकता का हूं/राज्य-विहीन हं ।	तारीख ''''		
(ख) मैंने पहले भारतीय/बिदेशी याज्ञा दस्तावेज प्राप्त नहीं किया है क्योंकि	प्रावेदक के हस्ताक्षर या अंगुठे के चिन्ह		
	आयर्थक के इस्ताबार या अगृठ के। चस्ह (पुरुष की वसा में आएं अंगृठे का स्रौर		
	स्त्री की दला में वाएं ग्रंगठे का ।		

ग्रनमू**की ∏** भाग [

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईग् (पी) 7

मभी प्रकार के पासपोटौं/याज्ञा दस्तावेओं पर भ्रांगिरिक्त पृथ्यांकन के लिये भ्रावेदनपत्र

- (क) पूरां नाम (साफ ग्रक्षशों में)
 - (७) उपनाम, यदिकोई हो
- विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दणा में विवाह से पहले का नाम
- 3. वर्तमान पता
- 4. स्थाई पता
- पासपोटं/याचा दस्तावेज की विशिष्टियां
 - (i) संख्या
 - (ii) जारी करने की नारीख
 - (iii) जारी करने धाला प्राधिकारी भौर स्थान
 - (iv) कब नक विधिमान्य है
- देश जिस/जिनके लिये अतिरिक्त पृथ्ठांकन अपेक्षित है
- अपेक्षित अतिरिक्त पृष्टांकन के लिये कारण
- 8. जमा की गई फीस की रकम
- 9. फीस के जमा कराने का ढंग

विशेष टिप्पण . यदि फीस मनीग्राउंग द्वारा भेजी गई थी तो कृपया मनीग्राउंग की ग्यीद संलग्न करें।

स्थान ''''' नारीख्

> द्यावेदक के हस्ताक्षर या मंगूठे का चिन्ह (पुरुष की वक्षा में बाएं मंगूठे का भौर स्त्री की दणा वाएं मंगूठे का)

भन्सूची III भाग I (नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 8

्, सभी प्रकार के पासपोटों/याज्ञा दस्ताबेओं पर प्रकीर्ण सेवाम्रों के लिए आवेदन पन्न

- (क) पूरा नाम (साफ प्रकारों में)
 - (श्वा) उपनाम,यविकोई हो (साफ मक्तरों में)
- 2. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विधाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम
- 3. वर्तमान पता
- 4. स्थाई पता
- 5 पासपोर्ट/पान्ना दस्तावेज की विशिष्टियां
 - (i) संख्या
 - (ii) जारी करने की तारीख 🦠

- (iii) जारी करने वाला प्राधिकारी ग्रीर स्थान
- (iv) कब तक विधिमान्य है।
- 6 (i) भ्रपेक्षित मेवाकी वास्तविक प्रकृति
 - (ii) सेवाकी प्रार्थनाके शिये कारण
- 7. जमाकी गई फीस की रकम
- 8. जमा करने का छंग

विशेष टिप्पण :

यदि फीस मनीक्रार्डर द्वारा भेजी गर्ड थी तो क्रुपया मनीश्रार्डर रुतीव संलग्न करें।

स्थान

प्रावेदक के हस्ताक्षर या प्रंग्ठे का चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं प्रंग्ठेका ग्रोश स्त्री की दशा में वाएं प्रंग्ठेका)

भ्रत्मूची III भाग I (नियम 5 देखिए) प्ररूप ईए (पी) 9

जब प्रावेदक के पासपोर्ट (मर्भा प्रकार के) या यात्रा दस्तावेज के सभी पृथ्ठ समाप्त हो गए हैं तो नई पुस्तिका या श्रतिरिक्त पन्नों के लिए श्रावेदनपत्न

[इस अध्वेदन पन्न के साथ पासपोर्ट आकार के वो फोटो होने चाहिये। यदि शक्त-सुरत में कोई परिवर्तन श्राया है तो फोटो को (पृष्ठ भाग में) किसी राजपितन श्रधिकारी/नोटरी पश्चिक क्षारा मत्यापित किया जाना चाहिए]

- (क) पूरानाम (साफ ग्रक्षरों में)
 - (ख) उप नाम. यदि कोई हो (साफ ग्रक्षरों में)
- 2 विवाहिता/विधवा/िक िछन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम
- 3 वर्तमान पता
- 4. स्थाई पना
- पासपोर्ट/याला दस्माधेज की विणिष्टियां
- 6 (i) संस्था
 - (ii) जारी करने की तारीख
- (iii) जारी करते वाला प्राधिकारी और स्थान
- (iv) कब तक विकिमान्य उै
- 7. जमा की गई फीस की रकम
- 8. जमाकरने का ढंग

विशेष टिप्पण :

यदि फीस मनीधार्डर द्वारा भेजी गई घी तो कृपया मनीधार्डर की रसीद संलग्न करें।

> धानेदक के हस्ताक्षर या ग्रंगूठे का चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं ग्रंगूठे का भौर स्त्री की दशा में दाएं ग्रंगूठे का)

प्रावेदक के नमृते के दो हस्ताक्षर या प्रंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं प्रंगूठे के प्रौर स्त्री की दशा में दाएं प्रंगूठे के) भ्रन्युकी III भाग I (नियम 5 देखिए) प्ररूप की (पी) 10

सभी प्रकार के पामपोर्ट/याहा दस्तावेजों के खोनं/चोरी होने या क्षति-ग्रस्त होने पर उसकी दूसरी प्रति जारी कराने के लिये ग्रावेदन-पन्न

(यह आवेदन-पत्न दो प्रतियों में होना चाहिये भीर इसके साथ पामपोर्ट ग्राकार के तीन फोटो होने चाहियें)

∫ फीस

- ा जमाकी गई रकम
- 2. जमा कराने की तारीख
- 3 जमाकराने का दंग

विशेष टिप्पण:

यदि फीम मनीग्राइंग्द्वारा भोजी गई थी तो क्रुपया मनीग्राइंग्रसीद संलग्न करें।

II. वैयक्तिक विशिष्टियां

- 1 (क) पूरानाम
 - (साफ प्रक्षरों में)
 - (ख) उप न(म, यदि कोई हो (साफ श्रक्षारों में)
- 2. विवाहिता विश्ववा/विष्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में विवाह से पूर्व का नाम
- 3. पिताका नाम
- 4. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की वणा में पति का नाम
- भारत में स्थाई पना
- 6. वर्तमान पता
- 7. व्यवसाय
- 8. लम्बाई
- 9. जन्म स्थान
- 10. जन्म की न।रीख
- 11. आंखों का रंग
- 12. बालों का रंग
- 13. पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों

111 उस पामपोर्ट/याला दस्तावेज में बालक/बालकों की विशिष्टियां, जो खो गया है/चोरी हो गया है या क्षानिग्रस्त हो गया है

 नाम	 जन्म की तारीख	 जन्म स्थान नातेदारी
1.		
2.		
3.		
4.		,

IV. उस पासपोर्ट/याज्ञा वस्तावेज की विशिष्टियां जो खो गया है, चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है

- संख्या
- 2. जारी करने की तारीख
- 3. जारी करने वाला प्राधिकारी ग्रीर स्थान
- 4. कब तक विधिमान्य है
- नंक्षिण में उन परिस्थितियों का कथन करें जिन में पासपोर्ट/याजा दस्तावेज खो गया था, चोरी हो गया था या क्षतिग्रस्त हो गया था।

त्रिणेष टिप्पण :

	खो	जाने	या	मोरी	की	दशा	में	कुपया	पुलिस	में	रिपोर्ट	की	एक	प्रति	मंलग्न
करे	t														
	.														

तारीखः ''''

भावेदक के हस्ताक्षर या मंगूठे का चिन्ह (पुरुष की दशा में बाएं मंगूठे का भौर स्त्री की दशा में दाएं मंगूठे का)

भावेदक के नमूने के दो हस्ताक्षर या मंगूठे के चिन्ह (पुरुष की दशा में बांए भंगूठे के भीर स्त्री को दशा में वाएं भंगूठे के)

> भ्रनुमूची III भाग I (नियम 5 वेखिए) प्ररूप ईए (पी) 11

भारत-बंगलावेश पासपोर्ट के लिये ब्रावेदन-पद

इस धानेदन-पत्न का प्रयोग वयस्क द्वारा घपने लिये या किसी माना-पिता/ विधिक संरक्षक द्वारा 18 वर्ष से कम धायु के व्यक्ति के लिए किया जा सकता है।

(इस भावेदन-पत्न के साथ पासपोर्ट श्राकार के चार फोटो होने चाहिएं जो किसी राजपितन ग्रधिकारी या नोटरी पश्चिक द्वारा सस्यक रूप में सस्यापित होने चाहिएं)

- 1. फीस
 - 1. जमा की गई रकम
 - 2. जमाकरने की तारीख
 - 3. जमा करने का ढंग

II. भावेदक/भवस्क की विशिष्टियां जिसके लिये पासपोर्ट भपेक्षित है

- (क) पूरा नाम (माफ प्रक्षरों में)
 - (ख) जपनाम, यदि कोई हो (साफ श्रक्षरों में)
- विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की देशा में विवाह से पूर्व का नाम
- पहले का नाम, यदि ग्रापने कभी अपना साम बदला है
- 4. पिताकानाम
- 5. विवाहिता/विधवा/विच्छिन्न विवाह स्त्री की दशा में पति का नाम
- भारत में स्थायी पता
- 7. वर्तमास पता
- 8. व्यवसाय
- 9. लम्बाई
- 10. जन्म स्थान
- 11. जन्म को प्रारोख
- 12. शांखों का रंग
- 13. बालों का रंग
- 14. पहचान के प्रकट चिह्न, सदि कोई हैं),

नाम	जन्म की तारीख ——-	जन्म स्थान	नानेवारी
2		.,,.,,,,,	• • •
3	,		
4			
[V. पहला पासपीर्ट/यार	ना द स्तावेज की विशिष्टि		
1. क्या आपके पास क	भी पासपोर्ट/यःता वस्तावे	ज थी	
2. यदि हो तो कृपया नि	तस्तलिखिम विशिष्टियां दें	:	
(क) संख्या			
(छा) जारी करने क	ती तारीख		
(ग) जारी करने व	ाला प्राधिकारी <mark>ग्रौ</mark> र स्थान		
विभेष टिप्पण :			
इ.स. भावेदन पत्न के स	राथ पामपोर्ट/यान्ना दस्तावे	ज प्रस्तुत किया जान	चा हिये
यदि उपलब्ध न हो सं	ो कृपयाकारण बनाएं)	:	
		- , , , , , , , , , , ,	• •
V. आवेदक द्वारा घोषणा	:		
(तक प्रनेक्षित है जब प्रा	वेदक वयस्क है)		
मैं निष्ठापूर्वक घोषणा	करता हूँ कि :		
(i) मैंने स्वेच्छया	किसी अन्य देश की नागि	रकता प्राप्त नहीं व	ते हैं ;
	नागरिकना नहीं खोई हैं, उ त नहीं किया गया हूं ;	सका परित्याग नहीं	किया है
(iii) इस प्ररूप में ि है वह मही है।	देये गये प्रश्नों के उस्तर	में मैंने जो जान	कारी दी
यान . , .			
ारीखा ,			
	(पुरुष की व	स्ताक्षर या ग्रंगूठे व णा में बायें ग्रंगूठे में दायें ग्रंगूठे का	का ग्रौर
VI. यदि पासपोर्ट इ सरा घोषणा	प्रवयस्क के लिये है सा मा	-	
	न करता हूं कि ःः		
ii	ा करता हूं। ∵∵ंकापुत्र/पुत्री हैं पेता/विधिक संरक्षक हूं।	जिसकी विशिष्टिय	ां ऊपर

वर्तित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपगत किसी भी प्रकार के खर्च

🛊 संवाय की पूर्ण जिम्मेवारी लेता/लेती हूं।

EXTRAORDINARY	[PART IISEC. 3(i)]
नहीं खोई है, उसका परिन्याग न	
स्थान	
तारीख	
	माना-पिना/विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का जिन्ह
	(पुरुष की दशा में बायें ग्रंटिक। ग्रौर स्त्रीकी दशामें दायें भ्रंगुठेका)
मानेदक के/मनयस्क के, जिसकी	भोर में प्रावेदन किया गया है, नमूने के

दो हस्ताक्षर या फ्रंगूठे के चिन्ह् (पुरुष को दशामें बायें फ्रंगूठे के फ्रौर स्त्री की दशामें दायें भ्रंगूठे के)

2

अनुसूची III---भाग I

(नियम 5 देखिए)

प्ररूप ईए (पी) 12

भारत-श्रीलंका पासपोर्ट के लिये प्रावेदनपत्न

(संप्रत्यावर्तियों के लिए ' : : : 1964 भीर 1974 के करार) भावेदक के पासपोर्ट भाकार के बिना महे तीन भावक्ष-फोटो, जिनमें पूरा बेहरा दिखाई देता हो, संलग्न करने चाहिए। सभी फोटो के पिछले भाग र "···· का फोटो" प्रमाणित होना चाहिए जो यवि ग्रावेदक वागान । है तो उसकी फोटो पर बागान प्रधीक्षक ग्रौरग्रन्य की दशा में डीग्रारक्रो, ामसेवक या संसद सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिएं।)

चेतावनी

माधेदकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि उनके हारा नीचे दी ई कोई जानकारी मिथ्यायागलत पाई जाती है तो न केवल उनके ग्रावेदन-ब्र ही नामंजूर कर दिए जाएंगे या उनके पासपोर्टयदि पहले ही दे दिए ए हैं तो उन्हें रहकियाजासकता है,

ग्रपितु उन पर भाभियोजन भी चलायाजा सकता है।

- 1. (i) पूरा नाम, उपनाम सहित, यदि कोई हो, (साफ प्रक्षरों में)
 - (ii) क्या कभी घापने घपना नाम बचला है? यदि हातो भ्रापका पहले कानाम क्याया।
- 2. क्या ग्राप विवाहित हैं या भविवाहित हैं?
- 3. यदि विवाहिता/विधवा स्त्री है तो विवाह से पहले का नाम
- 4 जन्म स्थान (ग्राम, नगर, जिला श्रावि) श्रीर जन्म की तारीख (इसके प्रमाण में दस्तावेज संखन्त करें यदि संभव हो)
- 5. व्यवसाय
- श्रीक्षक प्रह्ताएं
- 7. वर्तमान उपजीविका
- s. (i) ग्रावेदक की वैयक्तिक विणिष्टियां
 - (क) लंबाई मीटर मेंगी ०
 - (ख) आंखों का रंग
 - (ग) बालों का रंग
 - (ध) पहचान के प्रकट चिन्ह, यदि कोई हों

(⊞) 1.5 वर्षसे कम प्राय्के में सम्मिलित किया जा	वालकों की विणिष्टियांयदि उन्हें पासपीर्ट सहै।	श्रनुसूची III—भाग-II (नियम 6 देखिये)
· · पूरा नाम पुर	ः पयास्त्री जन्मकीनारीख	'प्रत्याभूति का प्ररूप''
1 2. 3. 4. 5.		"न्यासिकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्यादित किया धूजाएगा" जो का पुन्न/पत्नी/पुन्नी है प्रपत्ने* के साथ विदेश जाने का इंडण्ड्र है। मैं/हम जो में निवास
9. पिता का नाम ग्रीर जन्म की		कर रहे हैं (जिन्हें इसमें इसके पण्चान प्रत्याभृतिदाता कहा गया है) इसके द्वारा उक्त ::: के लिए उस ध्रवधि ने दौरान जिसमें वह/वे विदेश में होंगे उचित भरण-पोषण धौर याता खर्च
न।म श्रौर जन्म स्थान	ा हो तो पति या स्वर्गीय पति की राष्ट्रिकता,	का संदाय करने का संयुक्तनः धौर पृथक्तः करार, त्रवन धौर बचनवन्त्र काने हैं और भेरे/हमारे क्षारा ऐसा भरण पोषण धौर उपरोक्त यात्रा खर्च की व्यवस्थ करने या कराने में धमफल रहने की दला में मैं हम संयुक्तनः धौः
ा । श्राप श्रीलंका में कथ से लगा	•	पृथक्तः भारत के राष्ट्रपति भ्रौर उनके पद उत्तरवर्तियों भ्रौर समनुदेशितिये को (जिन्हें इसमें इसके पश्चान ''भारत सरकार'' कहा गया है) किर्म
भी है, रहे हैं? देशों के व		विलम्ब के बिनः ऐसे खर्चे और व्यय काजो भारत सरकार द्वारा उक्त के भरण-पोषण और संक्रत्यावर्तन पर और उपकी परनी/क्षालकों पर उनके
	रहते समय घापकी उपजीविका क्या थी ?	भारत में संप्रस्थावर्सन पर उपगत किए जाएं, संदाय करने का करार करते हैं ।
श्रीर उसमे इंकार किया गय। में ?	स्तावेज के लिए ग्रावेदन किया है? है?यदि हां तो कब भीर किन परिस्थितियों	उक्त की विदेश में मृत्यु हो जाने की दशा मे, सै हम इसके द्वारा भारत सरकार की उस सभी खर्च ग्रौर ब्यय की प्रतिपृश्चि करने के लिए बचनबन्ध होते हैं ग्रौर करार करने हैं जो उसके /उनके
या रह् किया गया था? यदि	(सपोर्ट जारी किया गया है जो बाद में परिबद्ध हाँ तो विणिष्टियां दीजिए ।	दफत/मवदाह पर उपगय किया जाए ।
16. श्रीलंका में वर्तमान पता		भ्रोर इसके द्वारा मैं/हम संयुक्ततः ग्रीर पृथक्तः यह भी करार करते हैं:
 भारत में दो जिम्मेदार व्यक्ति देने के लिए सैयार हों। 1. 2. 	ध्यो केन(संभ्रीर पते जो भ्रःपके लिये जमानत	(1) कि भारत सरकार इसके अधीन मेरे/हमारे दायित्व को निर्मोचन या ह्नाग किए बिना उक्त को के प्रति कोई ऐसं उदारता करने के लिए स्वतंत्र होगी जो यह उकित समझे, और
प्रत्वेदकको नम्नेकोबो हस्ताक्षरया प्रश् ^{टे} केचिन्छ मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करत	पासपोर्ट चाहना है या भाषानी प्रमाणपत्न ? पत्नी के नमूने के दो हरूनाक्षर या श्रीहठे के चिन्ह यदि पासपोर्ट में सम्मिलित की जानी है। है कि मैं भारतीय नागरिक हूं और मैंने	(2) ऊपर निर्दिश्य भैंसे मामलों में खर्चौ/प्रभारों/व्यय का भ्रवक्षारण करने के लिए प्राधिकार भ्रतन्य रूप से भारत सरकार में होन भ्रौर वह मुझ पर/हम पर और मेरे/हमारे वारिसों, निष्पायके प्रणासकों भ्रौर विधिक प्रतिनिधियों पर ऐसे खर्चें/प्रभार भ्रौ व्यय का संदाय जो भारत सरकार द्वारा श्रवक्षारित किया जा किसी भी भ्राक्षेप के बिना चलित प्रत्याभृति के रूप में बाब्यक होगा ।
	, उसका परित्याग नहीं किया है भौ र उससे श् नावली के उत्तर में मैंने जो जानकारी दी	यह प्रत्याभृति तब तक ग्रस्तित्वशील रहेगी जब तक सरकः द्वारा प्रभावोन्मुक्त नहीं कर दी जाती हैं । प्रत्याभृतिदाला द्वारा हस्ताक्षरित :
स्थान : नारीख :	श्रावेदक के हस्ताक्षर या भ्रंगृठे के चिन्ह	(1)
निवास कर रहा हूं श्रीर भारत तारीख का पामण	ं जो ''' में । श्रीलंका पासपोर्ट/ग्रापाती प्रमाणपत्न संख्या ''' का धारक, इसके द्वारा गेर्ट दिए जाने के लिए ग्रावेदन करना हूं, क संरक्षक हूं। मैं उसके संपूर्ण खर्च के लिए हैं।	(2) पनाःकेः मास कें दिनकों
	माना-पिना/संरक्षक के हस्ताक्षार/भंगटे के चिन्ह	पता
*(यह प्रमाणपव नभी घ्रमो के व्यक्ति की घोर से किया जा 1050 GI/80—3	क्षेत है जब म्राधेदन 18 वर्ष सेकम म्राय् ता है)	(2)····································

***************************************	(पृष्ठ-2)	
प्रत्याभृति का स्थान	विवरण	पत्मी
की उपस्थिति में हस्ताक्षरित 	- व्यवसायः	
*यहां पत्नी भौर/या पत्नी भौर बालकों के नाम भन्तः—स्थापित करें	जन्म स्थान भौरः ः ः ः ः ः ः ः ः ः	
यदि संयुक्त पासपोर्ट जारी किया जाना है ।	जन्म की तारीख	
विशेष टिप्पण :	घधिवास · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
इस प्ररूप के सःय तिन्तरिखित होताचाहिए∵──	कदः ः ः ः ः ः 'मी० ः ः सें०मी०	∵ंमी० ∵ं में ०मी०
	श्रीखों का रंग · · · · · · · · · · ·	
(1) इस प्रमाग का दस्तावेजी साक्ष्य केहरूनाक्षरकर्ना श्रायहर, मंगीत कर स्रोट कृषि स्नायहर देनाहै,या	धालों का रंग पहचान के प्रकट चिन्ह	
(2) किसी राजस्व प्राधिकारी से, जो तहसीलदार की	पहचान क अकटा जन् _{हि} बक्वे	
पंक्षित से तीचे का न हो इस प्रभाव काशोधन क्षमता		
प्रमाणपश्च कि प्रत्याभूतिदाता 10,000 रुपये या उससे ग्रधिक के लिए ग्राथिक रूप से ऋण शोधक्षम है।	मास जन्मकी तारीख	लड़का/लड़की ,
 ऐसे शब्द और पद जो प्ररूप में लागून हों प्रत्याभृति में नहीं लिखे जाने चाहिए। १ 	·	
 म्यायिकेतर स्टाम्प पेपर का मृत्य वह होगा जो उस राज्य में, जहां 		
बंधपल निष्पादित किया जाता है, प्रवृत्त स्टाम्प श्रधितियम में विनिर्दिष्ट है ।	(पृष्ठ-3)	
	बाह्म का फोटो	†
	— — — फीटो	वाहक के हस्ताक्षर
भनुमूची III —माग III।		
(देखें नियम 11)	पत्नी ः	
प्ररूप पीर-ा	फोटो 	पत्नी के हस्ताक्षर
राजनियक पामपोर्ट का प्ररूप		•
(मुख भ्रावरण)	(पुष्ठ-4)	
राजनसिक पासपोर्ट	पह पामपोर्ट इन देशों के लिए वैद्य है	
संप्रती क	***************************************	
भारत गणराज्य		
(धान्सरिक मुख घावरण)		* ^ ^ ^
इसके द्वारा, भारत गणराज्य संप्रतीक के राष्ट्रपति के नाम पर उन	• भवधि बढ़ाई न जाये तो इस पासपोर्ट की ->	विश्रेता निम्ने निधिको समाप्त
सबसे जिनका इस बात से मरोकार हो, यह प्रार्थना एवं ग्रपेक्षा की जाती	होती है	
है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, माजादी से भागे-जाने दें, भीर		
उसे हर तरह की सहायलाधीर सुरक्षाप्रदान करें जिसकी उसे घावश्यकता हो ।	जारी करने का स्थान · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	nida — — —	
······································	(পৃষ্ঠ– হ	5)
·····································	घर क	ा पना
भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के ध्रादेश से दिया गया	भारत में स्थायी पता :	
	(श्र र्थात् -गांव या कस्बे का नाम, जिला भौर र	лэл) ·
(पृष्ठ 1)	(अभाष्गाप भा गरम गर्म गाम् गण्या जार	.144)
श्म पामपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं।		
राजनयिक पासपोर्ट	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
भारत	पिता/पित का नाम भीर पता	
पासपोर्टं का नम्बरः		1.
बाह्क का नाम	(स्रथीन्-गांव या कस्बे का नाम, जिला स्रौर राज	u):
माथ हैं उसकी पत्नी (जन्म नाम)		
भीर • • • • • • • • वण्ये • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
राष्ट्रिकता 	टि प्पणी	
·		

 						_	
		(पृ न	ष्ठ∽6) वीकरण				
 		-					 _
		(पूर	ठ 7 से	29)			
			वीजा				
 			- १ष्ट ३०	— _31)		-	
	2	ा स्फर- ख र्च			मद्रा		
 				—			
	,			c			 _

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के अलावाऔर कोई न भरे।

 तारीख	दी गई या लौटाई गई रकम (निकटलम पौंड प्रथला रुपये के बराबर पौंड या रुपयों में)	व्यवसायी की मुहर

(पुष्ठ-32)

विनियम

राजनियक पासपोर्टकी वैधता

- 1. राजनियक पासपोर्ट की वैधना उस समय स्वतः समाप्त हो आएसी जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाये, जिसके कारण वह राजनियक पासपोर्ट पाने का प्रधिकारी हुआ था । ऐसी सूरत में, राजनियक पासपोर्ट को विदेश संत्रालय, नई विस्त्री, में प्रथवा विदेश में भारतीयों को पासपोर्ट जारी करने के लिए प्रधिकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा ।
- 2. यह पामपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए है, जिनका उल्लेख पृष्ट 4 पर है, लेकिन इस पर और वेशों के लिए भी पृष्टांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्टांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट धारी को उस बात की छूट मिल जाती है कि वह किसी वेश में लागू प्राप्रवास कानूनों को पलान न करें, प्रथवा जहां वीजा हासिल करना धावश्यक हों, वहां उसे न ले।
- 3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सिम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्टपर भकेली याजा नहीं कर सकेगी।
- (खा) पन्द्रहमाल से उपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए म्रलग-म्रलग पासपोर्टलेना जरूरी होगा।
- 4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी प्रविध के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेशा।
 - पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना चाहिए।

चे तावनी

- 1. यह पासपार्ट मूल्यवान प्रपत्न है। इसे किसी धनिधकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात की धौर इसके कारणों की सूचना तत्काल विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, या. (यदि पासपार्ट धारी विदेश में हो तो) मिकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी चाहिए।
- 2. इस पासपार्ट में न तो किसी प्रकार की ग्रदल-ग्रदल करनी चाहिए, न इसे विक्रत करना चाहिए और न विधिवत ग्रधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के श्रतिरिक्त किसी ग्रन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए।

3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रद्द किया प्रथवा वापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले ग्राधकारी को यह पासपोर्ट दे दे।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इसलिए उसको चाहिए कि वह इसे घपने साथ रखे।

(पृष्ठ ग्रावरण का ग्रांतरिक भाग)

विनियम (मंग्रेजी में) चेतावनी (मंग्रेजी में)

मनुसूची III—भाग III (वेखें नियम 11) प्ररूप पी-2

मरकारी पासपोर्ट का प्ररूप

(मुख भावरण) सरकारी पासपोर्ट संप्रतीक भारत गणराज्य

(भ्रांतरिक मुख ग्रावरण) संप्रतीक

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं प्रपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, प्राजादी से प्राने-जाने दें, धीर उसे हर तरह की सहायता धीर सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे प्रावश्यकता हो ।

>में**को**

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के भावेश से दिया गया।

पुष्ट 1

इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं सरकारी पासपोर्ट

भारत

त्रियरण पत्नी व्यवसाय.... जन्मकास्थानभौर....

	'	-
जन्म की नानिस्त		
र्गेज कर्म		******
L		मी० ' ' ' में ल्मी० ' ' '
प्राखीकारंगः		
प्राप्तीकारंगः		
प्रह्मान के प्रकट मिन्ह	_	
	असच्चे	
र्नाम 	अन्म की तारी 	।ख लड़का/लड़की
,		
	 (पृष्ठ	3)
	्राहक का भाहक का	
	थ।हकाका	
फोटो		वाहक के हस्ताक्षर
पर्स्ती		
फोटो		पत्नी के हस्माक्षर∏े
	(de	5 5)
	घर क	ा पता
भारत में स्थायी पना	:	
(भ्रयीत् -गाव या कस्बे	ोका नाम, जिल। भौ र	राज्य) :
पिता/पति का नाम भ	ोर पता	
•	े कि। नाम, जिला भी र	राज्य):
		•
	 टिप्पणी	· ·
	ाटपणा	
• • • • • • • • •		•
		,
	(पृष्ठ नवी	- 6) करण
	(पुष्ठ ७ से	•
	यी ज	II

(पुन्ठ ३०-३१)

सफर-धर्च के लिए विवशी मुद्रा

इस पृष्ठ के खानों को ि. ेशी मुद्रा के अधिकार प्राप्त व्यवसायी के प्रानावा ग्रीर कोई न भरे।

नारीख -	दश का नाम जिसकी याल्ला के लिए मुद्रा बेची गई	दी गई ग्रथमा लौटाई गई रकम (निकटनम पौड या रुपये के खराबर पौड़ या रुपयों में)	व्यवसायीकी मुहर
	<u> </u>	<u> </u>	 :

(.पृष्ठ ३२)

विनियम

सरकारी पासपोर्ट की वैधता

- 1. सरकारी पासपोर्ट की बैधना उस समय स्वतः समाप्त हो आएगी, जब कोई व्यक्ति, जिसके नाम यह पासपोर्ट जारी किया गया है, उस कार्य से हट जाये, जिसके कारण वह सरकारी पासपोर्ट पाने का प्रधिकारी हुमा था । ऐसी सूरत में, सरकारी पासपोर्ट को विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, में अथवा विदेश में भारतीयों का पासपोर्ट जारी करने के लिए ब्रिधकार प्राप्त किसी भारतीय मिशन में जमा कर देना होगा ।
- 2. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यान्ना के लिए है, जिनका उस्लेख पृष्ट 4 पर है, लेकिन इस पर झौर देशों के लिए भी पृष्टांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्टांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्ट झार का इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी वेश में लागू भाप्रवास कातृनों का पालत न करे, प्रथवा जहां वीजा हासिल करना आवस्यक हो, वहां उसे न ले।
- 3. (क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पतनी का विवरण सम्मिलित होने पर भी, वह उसके पासपोर्ट पर धकेली यास्ता नहीं कर सकेती ।
- (ख) पन्द्रह्माल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भ्रालय-भ्रालय पासपोर्ट लेना जरूरी होगा।
- 4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधना की गम। ित के बाद, उसे, उसकी पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा ।
 - पश्मपोर्ट किसी भी देश में बाहर डाक द्वारा नहीं भेजना खाहिए ।

चेतावनी

- ा यह पासपोर्ट एक मृत्यवान प्रपन्न है। इसे किसी प्रनिधकारी के हाथों में न पहुंचने देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात की और इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपार्ट जारी करने वाले श्रीधकारी" को या (यदि पासपोर्टशारी विदेश में हो तो) निकटनम भारतीय मिशन को नथा स्थानीय पुलिस को वे देनी चाहिए।
- 2. इस पामपोर्ट में न तो किसी प्रकार की श्रदल-बबल करनी चाहिए, न इसे विक्कत करना चाहिए और न विधित्रत श्रधिकार प्राप्त सरकारी कर्मचारी के श्रतिरिक्त किसी भ्रन्य व्यक्ति को इस पर पृष्टांकन ही करना चाहिए।
- 3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पामपोर्ट किसी भी समय रह किया अर्थवा त्रापस लिया जा सकता है, ऐसी सूरत में, पामपोर्टधारी की चाहिए कि यह निकटतम पामपोर्ट जारी करने त्राले अधिकारी की यह पासपोर्ट े दें।

4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्ष (मलिए उसको चाहिए कि वह इसे प्रय ने सार		बा लों का रंग · · · ·		
		पहचान के प्रकट चि	_	
(पृष्ठ भावरण का भार	र्गिक भाग)		ब च्चं	
विनियम		न्म	जन्मकी तारीख	ल≛का/ल ड़की
(ध्रयेजी में)				
(चेतावनी) (: २०००)				
(ग्रंग्रेजी में) 				
यनुसूची 111	भाग 111			
(देखी नियम 1	1)			
प्ररूप पी-3	ı		(पृष्ठ 3)	
रामान्य पासपोर्ट का प्रकप			वाहक का फोट	ជា
(मु ल ंघावरण)		फोटो	वाहक के हस्ताव	ब र
े पामपोर्ट पामपोर्ट		— —ः परमी		
संप्रतीक		—,		
भारत गणराज्य	,	फोटो		पत्नी के हस्ताक्षर
	·		(पृष्ठ 4)	
(भातरिक मुख भाव	रण)	यह पासपोर्ट इन वे	गों के लिए वै ध है:	
संप्रतीक				
इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्र	र्पात के नाम पर, उन सबसे			
जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थन				
वे बाहक को बिना रोक-टोक, ग्राजादी से ग्र		भवधि बढ़ाई न	जाये तो इस पासपोर्टकी है	धिता सिम्न तिथि को समाप
की महायता <mark>घौर</mark> मुरक्षा प्रवान करें जि	मिकी उसे द्यावस्यकता हो।	होती है :		
• • • •	· · · · · · · · · में			
	· · · · · · · • को	कारी करते का गा	ा न · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A-T-				
41	रत गणराज्य के राष्ट्रपत्तिके श्रावेश से दियागया	तारीखः ः ः ः ः	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
/ 				·
(पृष्ठ I) इस पासंपीर्ट में 32	* ·		(पृष्ठ 5))
४स पासपाट म 32 पासपीर्ट	पृष्ठ ह ।		घर का पत	Г
		भारत में स्थायी प	ताः ⁻	
भारत पासपोर्टका नम्बरः · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(भ्रषात—गांव य	। कस्बे का नाम, जिला धौर र	ाज्य) :
				_
बाहक का नाम · · · · · · · · · · · · · · · · साथ हैं उसकी पत्नी (जन्म नाम) · · · · · · · ·	****	पिसा/पति का नाम	 । ग्री र पता	
भीर सन्ते		·	कस्बे का नाम, जिला भौ र राज	ar) .
राष्ट्रिकता		(अवार्-गाय जा	गरम गा गाम, जिला भार राज	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
×(1754)	• •			
		ि	प्पणी	
(पृष्ट	2)			
विवरण	<i>'</i> प त्नी			
व्यवसाय * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			(q = 5 6)	
जन्म-स्थान ग्रोर र्	*******			
जन्म की तारीखं रे	**********		नबीकरण	ī
ग्रधिवास · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***********			
कदः ः ः मी० ः ः सें०मी .	मी० ' ' ' सें०मी० ' ' '		(पृष्ठ ७ मे	29)
प्रांखो का रंगः	41° 40410		वीजा	

(पुष्ट 30-31)

सकर खर्च के लिए विवेशी मुद्रा

इस पृष्ठ के खानों को विदेशी मुद्रा के ग्रधिकार प्राप्त व्यवसायी के अरुलावा और कोई न भरे।

तारीख देश का नाम दी,गई अथया औटाई गई मुद्रा के प्रधिकार प्राप्त जिसकी यात्रा के रकम (निकटनम पींड व्यवसायी की मुहर लिए विदेशी मुद्रा या रुपये के बराबर ग्रीर उसके बेची गई पींड या रुपयों में) हस्ताक्षर

(पुष्ठ 32)

वि ,नयम

- 1. यह पासपोर्ट केवल उन देशों की यात्रा के लिए हैं, जिनका उल्लेख पृष्ठ 4 पर हैं, लेकिन इस पर भीर देशों के लिए भी पृष्ठांकन किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठांकित पासपोर्ट होने से पासपोर्टधारी को इस बान की छूट नहीं मिल जाती कि वह किसी देश में लागू श्राप्रवास कानृनों को पालन न करें, ग्रथवा जहां बीजा हासिल करना श्रावण्यक हो, वहां उसे न ले।
- 2.(क) पासपोर्ट में पासपोर्टधारी की पत्नी का विवरण सम्मिलित होने पर भी वह उसके पासपोर्ट पर अकेली यात्रा नहीं कर सकेगी।
- (ख) पन्द्रह साल से ऊपर की उम्र के प्रस्थेक व्यक्ति के लिए ग्रक्ष-अन्तर पासपीर्टलेना जरूरी होगा।
- 3. पासपोर्ट की वर्तमान वैधना की समाप्ति के बाद, उसे, उसकी पूरी ग्रवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।
 - 4. पासपोर्ट किसी भी देश से बाहर डाक ब्राटा नहीं भेजना चाहिए।

रजिस्दो

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यह नितान्त प्रावश्यक है कि वे यथाशीझ निकटतम भारतीय मिशन में प्रपने नाम और पने रिजस्टर वर्ज कराएं। पने में परिवर्तन की या उस देश से रवानशी की सुवाा भी मिशन को दे देनी चाहिए।

चेतावनी

- 1. यह पामपोर्ट म्ल्यवान प्रपन्न है। इसे किसी अनिधकारी के हाथों में न पहुंचन देना चाहिये। यदि यह खो जाये या नष्ट हो जाये तो इस बात की धीर इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में मबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले धिकारी" को या (यदि पामपोर्टधारी विदेश में हो तो) निकटतम भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को देवेनी चाहिए।
- 2. इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की श्रदस-बदल करनी चारिए, न इसे विक्रस करना चाहिए भीर न विधिवत श्रक्षिकार प्राप्त सरणारी कर्मचारी के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य व्यक्ति को इस पर पृष्ठांकन ही करना चाहिए!
- 3. भारत सरकार की इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया प्रथका घापस लिया जा सकता है; ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले प्रधिकारी को यह पारापोर्ट दे थे।
- पासपीर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पास पोर्ट होता है, इसिलए उसको चाहिए कि वह इसे अपने साथ रखे।

	(पृष्ठ श्रावरण का श्रांतरिक भाग)	
	विनिमय	
	(भ्रंग्रेजी में)	
	रजिस्द्री	
	(अंग्रेजी में)	
	चेतावनी	
	(कांग्रेजी में)	
	भनुसूची III भाग III	
	(वेखें नियम 11)	
	ू प्रकप पी-4	
भाषाती प्रभाज-पत्र		
	(मुच घावरण)	
	भारत सरकार	
	आपाती प्रमाण पत्र	
	पृष्ठ I	
	संप्रतीक	
	म्रापाती प्रसाण पत्र	
नम्बर		
	किया जाता है	• • ने
	पाने के लिए मुझे आवेदन पन्न दिया है और मेरे	
ऐसा कोई कारण	नहीं है कि मैं उनके बयान पर सन्देह करूं।	
मोहर	जारी करने वाले ग्रधिकार	ते के
तारीख		
	育工:デリステ	
-	हस्ताक्षर 	
-		
	(বৃহ্ব 2)	
-	(নৃচ্চ 2) শ্বিকাশ্য	
(क) व्यवसाय	(पृष्ठ 2) विवरण	
ं (क) व्यवसार (ख) राष्ट्रिक	(पृष्ठ 2) विवरण य	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पा	(पृष्ठ 2) विवरण य	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पा (घ) जन्म क	(पृष्ठ 2) विवरण य' तिता	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (ङ) भारत	(पृष्ठ 2) विवरण प प ताः ति का नामः प स्थात और तारी व ः	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (ड) भारतः (च) प्रकट वि	(पृष्ठ 2) विवरण य' तिता	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (ड) भारत (च) प्रकट वि	(पृष्ठ 2) शिवरण य ति का नाम स्थान और तारीखः भे पता	
(क) व्यवसार (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (ड) भारतः (च) प्रकट रि (छ) कव	(पृष्ठ 2) विवरण प ताः ताः ति का नामः प स्थात स्रोर तारीखः में पताः विशिष्ट चिन्ह, यवि कोई हों तोः	
(क) व्यवसार (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (ड) भारतः (च) प्रकट रि (छ) कव	(पृष्ठ 2) शिवरण य ति का नाम स्थान और तारीखः भे पता	
(क) व्यवसार (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (ड) भारतः (च) प्रकट रि (छ) कव	(पृष्ठ 2) शिवरण य ति का नाम स्थान और तारीख में पता विशिष्ठ चिन्ह, यिव कोई हों तो	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (फ) भारतः (च) प्रकट वि (छ) कदः (ज) बालों व	(पृष्ठ 2) विवरण य ति का नाम स्थान और तारीखः विविद्ध चिन्ह, यवि कोई हों तो का रंग (पृष्ठ 3)	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पां (घ) जन्म क (फ) भारतः (च) प्रकट वि (छ) कदः (ज) बालों व	(पृष्ठ 2) शिवरण य ता ति का नाम स्थात ग्रीर तारीखः में पना विशिष्ट चिन्ह, यिव कोई हों तो का रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ विशेष विचेष विच्चे हैं जि	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बालों व (झ) प्रांचों व	(पृष्ठ 2) श्विवरण य जिता ति का नाम स्थान और तारीखः में पता विशिष्ट जिन्ह, यिव कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक यथ्या है/ विया गया है:	
(क) व्यवसार (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (ङ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बालों व (झ) प्राखों व प्रमाणपक्रधारी जनका ब्यौरा नीचे	(पृष्ठ 2) विवरण य प ति का नाम स्थान और तारीख में पता विशिष्ट जिन्ह, यवि कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक सच्चा है/ विया गया है: सम्बों का क्योरा	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारतः (च) प्रकट वि (छ) कदः (ज) बाकों व प्रमाणपत्रधारी जिनका ब्यौरा नीचे	(पृष्ठ 2) शिवरण प प प ति का नाम स्थान और तारीखः में पता विशिष्ट चिन्ह, यवि कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ विया गया है: बस्सों का व्योरा म जन्म की तारीखा प	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारतः (च) प्रकट वि (छ) कदः (ज) बाकों व प्रमाणपत्रधारी जिनका ब्यौरा नीचे	(पृष्ठ 2) शिवरण प प प ति का नाम स्थान और तारीखः में पता विशिष्ट चिन्ह, यवि कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ विया गया है: बस्सों का व्योरा म जन्म की तारीखा प	
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बाह्रों व (झ) प्रांचां वे प्रमाणपह्मधारी जनका ब्योरा नीचे कमांक नाव	(पृष्ठ 2) शिवरण य ति का नाम स्थान और तारीखः में पता विशिष्ट जिन्ह, यिव कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक यण्या है/ विया गया है: अध्यों का क्योरा म जन्म की तारीखा लड़का/न	स्यका/
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बालों व (म) प्राचों व प्रमाणपत्रधारी जिनका ब्योग नीचे कमांक ना	(पृष्ठ 2) विवरण य ताः ताः ति का नाम स्थात और तारीखः में पताः विकार जिल्हे, यिव कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ विया गया है: बच्चों का क्योरा म जन्म की तारीखा लड़का/ल	 स्तका/
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बालों व (म) प्राचों व प्रमाणपत्रधारी जिनका ब्योग नीचे कमांक ना	(पृष्ठ 2) विवरण प प ति का नाम स्थान और तारीखः में पता विशिष्ट चिन्ह, यवि कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ बच्चे हैं जि विया गया है: बच्चे का स्यौरा म जन्म की तारीखा लड़का/ह	 स्तका/
(क) व्यवसाय (ख) राष्ट्रिक (ग) पिता/पाँ (घ) जन्म क (इ) भारत (च) प्रकट वि (छ) कद (ज) बालों व (म) प्राचों व प्रमाणपत्रधारी जिनका ब्योरा नीचे कमांक ना	(पृष्ठ 2) विवरण य ताः ताः ति का नाम स्थात और तारीखः में पताः विकार जिल्हे, यिव कोई हों तो हा रंग (पृष्ठ 3) के साथ एक बच्चा है/ विया गया है: बच्चों का क्योरा म जन्म की तारीखा लड़का/ल	 स्तका/

(पृष्ठ 4)	(पुरु-2)
यह प्रमाणपत्र केवलः ः ः मे होकरः ः 'तक की	व्यक्तिका विवरण
माला के लिए वैध है।	व्यवसाय
भ्रविध बढाई न जाए तो इस प्रमाणपन्न की वैधना निस्नलिखित	अन्य की तारीखः
तारीख को समाप्त होती है:	जन्म-स्थान
	पिता/पति का नामः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः
नारीख, जिस तक नवीकुन किया : : : : : : : : :	मा का नाम
जारी करने का स्थान	कद ः
नारीखः	श्रास्त्रीकारंग
(पृष्ठ 5)	
थी जा	(पुच्ह-3)
(পুল্ড 6)	थि। भिष्ट चिन्ह
वीजा	वर्तमः न कार्यः
	थिवेश में पिछल। स्थार्या पताः
टिप्पसी :	वर्तम्।न पर्रा
इस फ्रापाती प्रमाणपत्न को पास रखने से प्रमाणपत्न दारी को यह छूट	/nex 1\
नहीं मिल जानी कि वह गल्तक्य देश में लागू श्राप्रवास विनियमों का	(पृष्ठ-4)
पालन न करे ग्रार्थवा जहां बीजा लेना ग्रावश्यक हो, बहां उसे न ले।	पासपोर्ट्यारी के साथ एक जन्मा है/ खन्ने हैं:
धनुसूची III भाग III	क्योग नीचे दिया भया है:
(देखें नियम 11)	बच्चों क; ब्यौरा अस्मांक नाम जन्मकी सारीख लडका/लडकी
प्रकल−पी 5	
पहचाम प्रभाणपत्र का प्रकप	1
(मृ ख भ्र ं(वरण)	2
भारत सरकार	3
संप्रतीक	4
पहचान प्रमाण पत्न	5
(ग्रांतरिक मुख ग्रावरण)	प्रमाणपत्रधारी का फोटो
संप्रतीक	प्रमाणपक्षधारी के हस्ताक्षर
पहुंचान प्रमाणपत	
प्रमाणपक्षधारी को राष्ट्रीय पासपीट के स्थान पर पहचानपत्र देना	(पृष्ठ-5)
ही इस प्रमाणपत्र को जारी करने का एकमात्र उद्देश्य है। यह न तो	पृष्ठोकःभ
प्रमाणपत्नधारी की राष्ट्रिकता में प्रभावित है और न उसकी राष्ट्रिकता को	— (पुष्ठ ६ म्रोर 7)
प्रभावित करता है। यदि प्रमाणपश्रधारी राष्ट्रीय पामपोर्टप्राप्त कर लेगा	रपूर्ण निर्माण निर्माण
तो यह प्रमाणपत्र वैध न रह जाएगा भौर उमें इस प्रमाणपत्र को पासपीर्ट	
जारी करने वाले निकटतम भारतीय ग्रिधिकारी केपास जमा कर देना	(पृष्ठ ८ से १३)
होगा ।	यो ज्ञा
यह प्रमाण-पत्न पुष्ठ 5 पर लिखित देशों की यात्रा के लिए वैश्व है	
भौर इसकी वैधता निम्नलिखित तिथि को समाप्त होती है:	श्रनुमूची III म⊦ग III
जारी करने वाले अधिकारी के	(देखों नियम 11)
हस्ताक्षर भौर उसकी मृहर	प्ररूपि-७
म्थान : ''''	भारत एवं वंजलादेश के बीच यात्रा के लिए भारत-बंजलादेश पासपीर्ट
निषि : ''''	वा प्ररूप
	(ন্ৰাণ্ড)
(पृष्ठ-1)	भारत-बंधनादेग प्रत्य गेर्ट
इस पहचान प्रमाणपत्र में 13 पृष्ठ हैं।	संप्रतीवः
पहचान प्रमाणपत्र	भार्त भणराज्य
भारत	· · · ·
पहुंचात प्रमाणपत्र का नम्बर	(स्रांतिस्क सुख पुष्ठ)
प्रमाणपत्रधारी का नाम	भारतीय भगतंत्र के राष्ट्रपति की ग्रीर में उन मजसे जिलन इसका
मृत राष्ट्रिकर्नाः	सरोकार हो, यह अनुरोध एवं अपेक्षा की जाता है कि वे धारक का बिना

[PART II-SEC. 3(i)]

			
रोक टीक या बाधा के मुक्ततशपूर्वक चले '			(বৃচ্চ-5)
नुसार उसे हर प्रकार की सहायता एवं	मुरक्षा प्रदान करें।		पिता का नाम ए वं पू रा पता
		् (म	र्मात्⊸गांव या शहर का नाम, जिला और राज्य)
	की भारत भणराज्य के राष्ट्रपति के स्रादेण से दिया भया ।		
		• • • • • •	
इस पासपार्ट में 32 पुष्ट हैं।			ार घारक विवाहित ग्रथवा विधवा महिला है नो उसके पति । ध्यवसाय भीर पना या पिछला पता वीजिए
भारत सरक	ार		
पामपोर्ट			
यह पासपोर्ट भारत और बंधनावेश के है और इसे फिशी श्रन्य देश की याद्रा सकता।			(पृष्ट 6 से 16) बीका
पास पोर्टका नम्बरः			(पुष्ट 17 से 30)
थ(हक का नाम	1		पुर्व्हांकन
भारत में स्थायी			(पूष्ट 31 एवं 32)
साव यः नगरथान			विदेशी: मुद्रा एवं सफर-खर्च
थाना जिलाःराज्यः साथ हैं			। पृष्ठ के खानों को विदेशों मुद्रा के श्राधकार प्राप्त व्यवसायी और कोई न भरे।
राष्ट्रिकत। 		 हाशीख	वी गई या लौटाई गई रकम मुद्रा के प्रशिकार प्राप्त व्यवस (निकटनम पींड या रुपये के बराबर- की मुहर और उसके हस्ताध पींड या रुपयों में)
(पच्छ-2)			715 41 5441 H)
(. / . स्रिकरण			
व्यवसायः ' ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः			1
जन्म-स्थानः जिला एवं राज्य			(पुष्ठ भावरण का भान्तरिक भाग)
जन्म की हारीखाः			महरद्भपूर्ण
ग्रधिवास लम्बाईः		1.	यह पामपोर्ट भारत सरकार की सम्यक्ति है भीर यह सरका
श्रास्त्रों का रंग	40410		[सार किसी। भी। समय चाहे तो इ स पासपोर्ट को रद्द कर सकत
बालों का रंगः			तं पासपोर्ट इस तरह रह कर दिया भया हो सरकार के लिए य
पहचान के प्रकट चिन्ह			ता कि पासपोर्टको ग्रापने पास रखाले,यदि यह उसके कटने में दि उसके पास न हो तो उस पर ग्रापता कब्जा करले।
ब्रम्मे			'
साम जन्मकी तारीख 1	लड़का/लड़की;	की सूच	यदि यह पासपोर्ट खो जाए तो इस कान की धौर इसके कारण हा तरकाल पासपोर्ट जारी करने वाले ध्रीधकारी को तथा निकटन स्टेशन को ध्रथवा यदि वगलादेश में खोए तो निकटनम भारती
3		मिशन	त्या स्थानीय पुलिस को वे देनी चाहिए।
4			इस पासपोर्ट में न नो किसी प्रकार को घदल-बदन करनो चाहि। विक्रत करना चाहिए भीर न विषयत् घोषकार प्राप्त सरकाः
(पुष्ट-3) सहित का फो	Ē.) के भ्रतिरिक्त किमी भन्य व्यक्ति को इस परपृष्ठकित हो कर
 			विनियम
' फाटा	- Company of the second		
 ਟਿਾਪਾਸੀ	वाहक के हस्ताक्षर 	पहले क	नवीकरण के लिए बावेदन पासपोर्ट को बनाध समाप्त हो। रता चाहिए लेकिन सामान्यभया इसकी श्रवांध समाप्त होने से र्व से ब्रधिक पहले नहीं।
(पुष्ट्-4)	-	2.	इस पासपोर्ट के होने से बाहक को इस बात की छूट नहीं मि
प्रयाध बढ़ाई न जाय सो इस पासपी समाप्त होती है.	र्टकी वैधना सिम्न विभिन्न को	জার্ব। বি	क अह बंगलादेश के बीसा एवं घाप्रवास वितियमों एवं भार वासन नियमों का पालन नंकरे।
नर्जीकरण			(1) पत्कहमाल से अध्यय के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रला-प्रव हे लेना जलरी होगा।

(2) पण्डह साल से कम अध्य के धण्डों का नाम उनके मार अथवा पिता के पासपोर्ट में शामिल किया जा सकता है जिसके भी सा ने जो रहे हों। 4- धम पासपोर्ट को अपने सावास बाले देश से बाहर डाक डारा नह भेजना चाहिए।	व नों का रंग पहचान के प्रकट चिह्न पिता का नाम व उसका पता				
	यदि महिला विवाहितः ग्रथवा विश्वना है तो पति हा नाम और पता				
ग्रनृपू वी-III-भाग-III	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(देखों नियम 11)	य प सं				
प्रकथ पी—7					
भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का प्ररूप	नाम जन्मकी थादीख लड्डा/सहकी				
(मुख-पृष्ठ)	1.				
भारत-श्रीलंका पासपोर्ट	2.				
संप्रतीक	3.				
भारत गणराज्य	4.				
(भ्रांतरिक मुख-गृष्ट)	(deg 3)				
इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सबसे	नाहक का फोटो				
जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं धरेक्षा की जाती है कि	फीटो				
वे वाहक को विना शेक-टोक, श्राजादी से श्रामे-जाने दें, श्रीर उसे हर तरह की सहायता भीर सुरक्षा प्रदान करे जिसकी उसे श्रावक्यकता हो।	वाहक के हस्साक्षर				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	हिप्पणी				
····· म् ····· को					
भारत गण <i>राज्य</i> के राष्ट्रपति के					
फल्टेंग में विया गया।	(পৃন্ত 1)				
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
इस पासपोर्ट में 32 पृष्ठ हैं। भारतः सरकार	धवधिबढ़ाई न जाए तो इस पासपोर्टकी वैधता निस्त तिथि को समाप्त होतीहै:				
·					
भारतः सरकार	होती है :				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत धौर श्रीलका के बीच सीधी यास्रा के लिए बैध है ग्रीर इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की यात्रा के लिए न किया जाए ।	होती है : नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत भीर श्रीलका के बीच सीधी याल्ला के लिए वैध है ग्रीर इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की याल्ला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) मधीकरण (पृष्ठ 6 से 16)				
भारत सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत धौर श्रीलका के बीच सीधी याला के लिए बैध है घौर इसका उपयोग किसी घन्य देण की याला के लिए न किया जाए । पासपोर्ट का नम्बर बाह्रक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना	होती है : नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत भीर श्रीलका के बीच सीधी याल्ला के लिए वैध है ग्रीर इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की याल्ला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी याला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की याला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर बाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) थीजा (पृष्ठ 17 से 31)				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी बाला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देंग की बाला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्वा थाना जला राज्य प्रांत	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी बाला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी श्रन्य देंग की बाला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नन्वर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या करवा थाना जिला राज्य प्रांत	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) थीजा (पृष्ठ 17 से 31)				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी बाला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की बाला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्वा थाना जिला राज्य प्रांत साथ है वक्षे	होती है: नवीकरण (पुष्ठ 5) मबीकरण (पुष्ठ 6 से 16) थीजा (पुष्ठ 17 से 31) पुष्ठांकन				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी बाला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी अन्य देंग की बाला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्वा थाना जिला राज्य प्रांत साथ है वक्षे	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32)				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी बाला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी ग्रन्य देंग की बाला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्वा थाना जिला राज्य प्रांत साथ है वक्षे	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) बीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) विनिथम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की याद्या के लिए है।				
भारत सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी याला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी श्रन्य देंग की याला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पंता यांव या कंस्वा धाना जिला राज्य प्रांत साथ है राष्ट्रिकता (पुष्ट 2) विवरण	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) विनिधम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की याता के लिए हैं। 2. इस पासपोर्ट के प्रपने पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के बीजा नथा स्नाप्रशास विनिधमों ग्रीर				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी याला के लिए वैध है और इसकः उपयोग किसी श्रन्य देंग की याला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्वा थाना जिला राज्य प्रांत साथ है वक्षे राष्ट्रिकता (पृष्ट 2) विवरण	होती है: नवीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) विनियम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की याद्या के लिए है। 2. इस पासपोर्ट के अपने पास होने से बाहक को इस बात की छूट				
भारत सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी याला के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी श्रन्य देंग की याला के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नम्बर वाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पंता यांव या कंस्वा धाना जिला राज्य प्रांत साथ है राष्ट्रिकता (पुष्ट 2) विवरण	त्वीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) विनियम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है। 2. इस पासपोर्ट के अपने पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के बीजा नथा भ्राप्रवास विनियमों ग्रीर भारत के परावास विनियमों का पालन म करें। 3. (i) पण्डह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत और श्रीलका के बीच सीधी यात्रा के लिए वैध है और इसका उपयोग किसी श्रन्य देंग की यात्रा के लिए न किया जाए। पासपोर्ट का नत्वर बाह्रक का नाम भारत/श्रीलंका में क्यार्यी पना गांव या कस्वा थाना जिला राज्य प्रांत साथ हैं वक्षे राष्ट्रिकता (पृष्ट 2) विवरण व्यवसाय जन्म स्थान और जन्म की तारीख	त्वीकरण (पृष्ठ 5) प्रवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) थीज़ा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) वितियम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है। 2. इस पासपोर्ट के प्रपने पास होने से वाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के बीजा नथा भ्राप्रवास विनियमों ग्रीर भारस के परावास विनियमों का पालन म करें। 3. (i) पत्वह साल से ऊपर की उम्र के प्रस्थेक व्यक्ति के लिए ग्राम्भ-ग्रक्षम पासपोर्ट सेना जरूरी होगा।				
भारतः सरकार पासपोर्ट यह पासपोर्ट केवल भारत भीर श्रीलका के श्रीच सीधी याला के लिए वैध है भीर इसकः उपयोग किसी भ्रन्य देंग की याला के लिए न किया जाए । पासपोर्ट का नम्बर बाहक का नाम भारत/श्रीलंका में स्थायी पना गांव या कस्बा धाना जिला राज्य प्रांत साथ है वक्षे राष्ट्रिकता (पृष्ट 2) विवरण	त्वीकरण (पृष्ठ 5) नवीकरण (पृष्ठ 6 से 16) श्रीजा (पृष्ठ 17 से 31) पृष्ठांकन (पृष्ठ 32) विनियम 1. यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की यात्रा के लिए है। 2. इस पासपोर्ट के अपने पास होने से बाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि वह श्रीलंका के बीजा नथा भ्राप्रवास विनियमों ग्रीर भारत के परावास विनियमों का पालन म करें। 3. (i) पत्बह साल से ऊपर की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए				

1444 THE GAZETTE OF TODAY				
4. पासपोर्ट की वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद उसे, उसकी पूरी प्रवधि के दौरान में किसी भी समय फिर से वैध किया जा सकेगा।	से हर तरह की महायना भौर भुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे भावप्यकता हो।			
ं 5. जिस देश में निवास हो, उससे दूसरे देण को पासपोर्ट डाक द्वारा	·····································			
कर जिल्ला प्राहिए । महीं भेजना पाहिए ।				
चेतावनी	को			
 ग्रह पासपोर्ट मूल्यवान प्रपन्न है । इसे किसी अनिधकारी के हाथों 	भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के भादेश से दिया गया ।			
में न पंहुचने देना चाहिए । यदि यह खो जाए या नष्ट हो जाए तो इस	(पृष्ठ 1)			
बात की ग्रीर इसके कारणों की मूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के ''पासपोर्ट जारी करने वाले ग्रधिकारी'' को या (यदि पामपोर्टधारी	इस पासपोर्ट में 16 पृष्ठ हैं।			
श्रीलंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्थानीय पुलिस को दे देनी	भारत संरकार			
चाहिए ।	. पासपो र्ट			
 इस पासपोर्ट में न तो किसी प्रकार की ग्रवल-श्रवल करनी चाहिए न इसे विकृत करना चाहिए और न विधिवत ग्रधिकार-प्राप्त सरकारी 	यह पासपोर्ट केवल भारत भीर श्रीलंका के बीच सीधी यात्रा के लिए वैद्य है भीर इसका उपयोग किसी भ्रत्य देश की यात्रा के लिए न किया			
कर्मचारी के झतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को इस पर पृथ्ठांकन ही करना	द:।ए ।			
चाहिए ।	प्रतापोर्ट का सम्बर्ग			
 भारत सरकार की इंच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह 	बाह्क का नीमः			
किया प्रयवा वापस लिया जा सकता है। ऐसी सूरत में, पासपोर्टधारी को	पत्।			
च।हिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले झधिकारी को यह पासपोर्ट वे दें ।	भारत में श्रीलंका में			
 4. पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, सलिए उसकी चाहिए कि वह इसे प्रपने साथ रखे। 				
(पृष्ठ भावरण का भ्रांतरिक भाग)	<u></u>			
विनियम	साथ हैं बज्बे			
(भ्रंग्रेजी में)	राष्ट्रिकसा			
चेतावमी	भारत के नागरिक			
(ध्रंगेजी में)	(q.55 2)			
घनुसूची III-भोग–III	विवरण			
(देखों नियम II)	व्यवसाय			
प्ररूप पी- 8	जन्म स्थान और जन्म की तारीचः			
भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का प्ररूप	मधियास			
(1964 भीर 1974 के करारों के मधीन देश प्रत्यावनियों के लिए)	कदःसं०मो०			
(मुखं भावरण)	म्रांखों का रंग			
(नुक आवरण) भारत-आंसंका पासपार्ट	बास्तों का रंग			
· · ·	पहुंचात का प्रकट चिह्न			
(1964 और 1974 के करारों के मधीन देश प्रत्यावर्तियों के लिए)	यदि महिला विवाहिता मधवा विधवा है तो उसके पति का नाम			
संप्रतीक	सक्ते			
भारत गणराज्य	नाम अन्य की तारी ल लड़का/लड़की			
/ states are are	1			
. (भा तरिक मुख पृष्ठ)	2			
संप्रतीक	3			

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन मक्से जिनका इस बाद से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं प्रपेक्षा की जाती है कि व वाहक को बिना किसी रोक-टोक, ग्राजादी से भाने-जाने दें, ग्रीर

<u> </u>	7
(বৃচ্ছ 3)	
वाहक का फोटो	
फोटा	
वाहक के हस्ताक्षर	
टिप्पणी	
(पृष्ठ ४)	-
भवधि बढ़ाई न आय तें। इस पासपोर्ट की वैधता निम्न निधि को समाप्त होती है :	
	-
(पृष्ठ 5)	
टिप्पणी	
भारत का हाई कमीशन,कोलस्बो (श्रीलंका)	

भारत का सहायक हाई कमीणन, कैंडो (श्रीलका)

पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

(1964 मोर 1974 के भारत-श्रीलंका करार)

प्रमाणित किया जाता है कि पासपोर्ट में जिस व्यक्ति के विवरण दिए गये हैं उसे मैंने भारत के नागरिक के रूप में सं० ' ' ' दिनांक ' ' ' हारा नागरिकता प्रधिनियम 1955 की घारा 5(1)(च) के प्रावधानों के ग्रंतर्गत पंजीकृत किया है।

तृतीय सचिव/प्रसागो/सक्षम प्राधिकारी

 			 . ~	
	(•	पृष्ठ ६ में 11)		
		पृष्ठोकन		
 	(— - पूष्ठ 12 से 15		
		र्व)जा		

(पुष्ट 16)

विनियम

- यह पासपोर्ट केवल श्रीलंका की याजा के लिए है।
- इस पासपार्ट के बाहक के पास होने से बाहक को इस बात की छूट नहीं मिल जातो कि वह श्रोलंका के वोजा तथा ग्राप्रवास विनियमों भौर भारत के उत्प्रवास विनियमों का पालन न
- (i) पन्द्रह साल से ऊपर की उन्न के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चलग-द्यलग पासपोर्ट लेना अरूरी होगा ।
 - (ii) पन्द्रह साल से कम उम्र के बच्चे माना या पिता के पासपीटें में, जिसके भी माथ वे जा रहे हों, शामिल किए जा सकेंगे।
- पामनोर्ट को वर्तमान वैधता की समाप्ति के बाद, उसे उसकी पूरी ग्रविध के दौरान में किसो भी समय फिर से वैध किया जा मकेगा।

चेतावनी

- यह पासपोर्ट म्ल्यवान प्रपन्न है। इसे किसी अनिधिकारी के हाथों में न पहुंचने देना च।हिए । यदि यह खो जाए या नब्ट हो जाए तो इस धात की भीर इसके कारणों की सूचना तत्काल भारत में सबसे निकट के "पासपोर्ट जारी करने वाले प्रधिकारी" को या (यदि पासवोर्टधारी श्रीलंका में हो तो) भारतीय मिशन को तथा स्यानीय पुलिस की देदेनी चाहिए।
- इस पासपीर्ट में न ता किसी प्रकार को भवल-बदल करनी चाहिए, न इसे विक्रत करना चाहिए भीर न विधिवत भीधकार प्राप्त सरकारो कर्मचारी के ग्रांतिरिक्त किसी ग्रन्थ व्यक्ति को इस पर पृष्ठोकन ही करना चाहिए।
- भारत सरकार को इच्छा पर यह पासपोर्ट किसी भी समय रह किया प्रथव। वापस लिया जा सकता है ; ऐसी सूरत में, पासपीर्ट-धारी को चाहिए कि वह निकटतम पासपोर्ट जारी करने वाले मधिकारी को यह पासपोर्ट वे दें।
- पासपोर्टधारी की पहचान का पक्का प्रमाण पासपोर्ट होता है, इस-लिए उसको चाहिए कि वह इसे ग्रंपने साथ रखे।

अनुसूची 4

(नियम 8 देखिये)

पासपोटौँ और यात्रा दस्तावेजों के लिए भावेदन-पत्रों के बारे में देय फीस की भनसूची

	0.000			मान या फीस	
थम सं∘	ग्राभेदन पक्त की विशिष्टियां	,	भारत	विदेश वर्ग ''क'' देश	विदेश वर्ग "ख" देश (कृपया मृत में टिप्पण 2 देखिये)
1	2		3	4	5
	।।सपोर्टजो पहली बार मधिक से मधिक	5 वर्ष के लिए विधिमान्य है	50 স৹	50 स्०	50 ह०
∙2. साधारण पा	सपोर्टका नवीकरण	,	पांच वर्ष के लिए 50	र ० या प्रतिवर्षं या उस	के भाग के लिए 10 ६०
जामे के वि	ासपोर्टके अदले पासपोर्टकी दूसरी अति के जिए कि यह खो गया है, भोरी हो गया है है या किसी भन्य कारण से।			50 Ho	50 ⁻ ह∘
1. भाषात-प्रमा	णपक्ष को पहली सार छह मास के लिए वि	धिमान्य हें	· · ·	15 To	10 ₹∘

1 2	3	4	5
 श्रापात-प्रमाणपत्न का नवीकरण (एक बार में तीन मास के लिए दो नवीकरण) 		7.25 He	5 হত
6. भ्रापात-प्रमाणपत्र के बदले जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया या नष्ट हो गया है भ्रापात प्रमाणपत्न की दूसरी प्रति ।	· •	15 ক্ত	10 स्०
 पहचान प्रमाणपत्न जो पहली बार ग्रधिक से श्रिष्ठिक दो वर्ष के लिए विधिमान्य 	र है। 20 फ ०	30 £0	20 Ko
 पहचान प्रमाणपत्र का नश्रीकरण (प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए दो वर्ष लिए)। 	কি 10 হ০	15 Fo	1 N Fo
 पहचान प्रमाणपद्ध के बदले, जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिग्रस्त हो व है या नष्ट हो गया है पहचान प्रमाणपक्ष की वृसरी प्रति। 	गयाः 20 ह ः .	30 % e	20 ₹∘
0. (i) साधारण पासपोर्ट पर श्रतिरिक्त पृष्ठोकन या श्रन्य प्रकीर्ण सेवा (ओ प्रिकिट की मद (ii) में निविष्ट प्रकीर्ण सेवा नहीं है) ।	इस 20 रू	30 হ৹	20 বৃ৹
 (ii) अब वर्तमान साधारण पासपोर्ट के सभी पृष्ठ समाप्त हो गए हैं तब उक् पूरक पुस्तिका ओइना । 	नमें 10 ६०	15 সূত	10 ६०
(iii) भाषात प्रमाणपत्र पर भ्रतिरिक्त पृष्ठांकन या प्रकीर्ण सेवा ।		7. 25 %	5 % o
(iv) पहचान पक्ष पर श्रंतिरिक्त पृष्ठीकन या प्रकीर्ण सेवा ।	10 %0	1'5 স০	10 ই০
 भारत भीर बंगला देश पासपोर्ट के बीच यात्रा के लिए भारत बंगलादेश पासपे जो पहली बार श्रधिक ने मिक्क तीन वर्ष के लिए विधिमान्य है! 	ोंट 15 र ०	-	15 रु० (संगला देश में)
2. भारत-बंगला देश पासपोर्ट का नधीक्षरण ।	3 वर्षे के लिए 15 रु० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए		3 वर्ष के लिए 15 रू० ्रया प्रतिवर्ष या ज्सके भाग के लिए
	5 T o	• •	5 ६० (अंगला देश में)
3. भोरत-अंनला देश पासपोर्ट के बदले, जो खो गया है, चोरी हो गया है, क्षतिथ्र हो गया है था नष्ट हो गया है, पासपोर्ट की दूसरी प्रति जारी करना।	स्त 15 ह०		15 र• (अंगला देश में)
4. भारत-बंगला देश पासपोर्ट पर प्रकीर्थ सेवाएं।	5 स ०		5 रु० (बंगला देश से)
5. जब वर्तमान भारतन्वंगलावेश पासपीर्ट के सभी पृष्ठ समान्त हो गए हैं तब न पुस्तिका जारी करना।	ाई 10 र∘		10 रु० (बंगला देश)
 भारत-श्रीलंका प्रासपोर्ट को पहली बार ग्राधिक से ग्राधिक चार वर्ष के लिए विशि मान्य है। 	ù- ৪ ৼ ০	~~	8 कु० (श्रीसंका में)
7. भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का नवीकरण ।	चार वर्ष के लिए 8 क० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2 द०	_	चार वर्ष के लिए 8 फ० या प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिए 2 रु० (श्रीलंका)
 भारत-श्रीलंका पासयोर्ट पर प्रकीण सेवा । 	2 ₩e	~-	2 ५० (श्रीलंका में)
	या ८ रू०	_	8 रु० (श्रीलंका में)
 जब वर्तमान पासपोर्ट के सभी पृथ्ठ समाप्त हो गए हैं तब नया भारत-श्रीलंब पासपोर्ट जारी करना। 	हा ५ ५०		5 ४० (श्रीसंका में)
 नियम 13 के परन्तुक के बाधीन किसी भी देश के लिए बातिरिक्त पासपोर्ट पहली बार एक वर्ष के लिए विधिमान्य है। 	সী 10 র ০	1 চ ব্	10 €∘
2. मद 21 में निर्विष्ट प्रतिरिक्त पासपोर्ट की विविधान्यता का विस्तार ।	प्रतिवर्षं यः। उसके भ	ाम के लिए 10 क∙	कुल दस वर्षकी प्रवृक्ति तक

दिप्पणी :

প্ৰশ্ন কभी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पहली बार विहित भविध से कम भविध के लिए जारी किया गया है तब इस प्रकार की विहित भविध में निःगृत्य अतिरिक्त विस्तार किया जाएगा।

- 2. वर्ग ''क'' में देश है :--
 - (क) उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के सभी देश.
 - (स) यूरोप में सभी देश जिसके अन्तर्गत सोवियत समाज- वादी गणतन्त्र संघ भी है ,

- (ग) परिचमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में सभी देश जिन में यमन जनवादी लोकतान्त्रिक गणराज्य, यमन अरब गणराज्य, सूडान और सोमालिया नहीं हैं।)
- (घ) आस्ट्रोलिया, न्यूजीलैण्ड, जापान, हांगकांग, सिंगापुर।

वर्ग "स" में देश हैं :--

वर्ग ''क'' के अभीन देशों को छोड़कर शंष सभी देश ।

अनुसूची---5

(नियम 19 देखिए)

पासपोर्ट और यात्रा दस्ताबेज जारी करने से संबंधित शर्ते:-

- 1. पामपोर्ट या काका दस्तावेज उसमे विभिद्धि देशों की यात्रा के लिए है और अन्य देशों की यात्रा के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 2. पारूपोर्ट या दस्तावेज का प्रयोग उन देशों की यात्रा के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा मान्यतर प्राप्त नहीं है।
- 3. पासपीर्ट या यात्रा दास्तानेज किसी देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।
- 4. पासपोर्ट या योत्रा दस्तावेज किसी अनिधिकृत व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देश चाहिए।
- 5. पासपोर्ट या यात्रा दस्ताबेज का धारक उसकी स्रक्षा, अभि-रक्षा के लिए स्वयं जिम्मदार है। इसे जानबूक कर खोना नहीं चाहिए, क्षतिग्रस्त नहीं करना खाहिए या नष्ट नहीं करना चाहिए। अस्वैच्छिक खोने या नष्ट होने की दक्षा माँ ऐसे खोने या नाक के तथ्य और परिस्थितियों की रिपोर्ट भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को या (यदि पासपोर्टधारक विदेश माँ हैं) तो निकटतम भारतीय मिक्न या पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तुरस्त करनी चाहिए।
- 6. पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज मों कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और न उसे किसी अकार से दिकृत करना चाहिए और नहीं उस पर सम्यक रूप से प्राधिकृत पदधारी से भिन्न किसी अन्य क्यक्ति को कोई पुष्ठांकन करना चाहिए।
- 7 यदि यथास्थिति, माता-पिता या संदक्षक के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज में बालकों की विशिष्टियां सम्मिलित है तो बालक अकेले यात्रा नहीं करेंगे।
- 8. उन बालकों को जिनके नाम उनके माता-पिता या विधिक संरक्षक के पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज मो सम्मिलित है, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पृथका पासपोर्ट के लिए आवेदन करना जाहिए।
- 9. जब विदेशों में भारत के किसी नागरिक को भारत सरकार के खर्चों पर भारत में संप्रत्याविति किया जाना है तब वह अपना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज उसकी संप्रत्याविति करने वाले भारतिया मिशन या पोस्ट को समिंपित करेगा और भारत में सीधी दावसी के लिए आपात प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- 10. आपात प्रमाणपत्र का धारक भारत में अाने पर उसे आप्र-वास चैकपोस्ट को समर्पित करेगा ।
- 11. यदि वह पामपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारण करने के विष् अपात्र हो जाता है तो वह पामपोर्ट प्राधिकारी को समर्भित किया जाना चाहिए।

12. राजिशियक या सरकारी पासपोर्ट स्वतः ही विधिमान्य होना समाप्त हो जाएगा यदि वह व्यक्ति जिसे वह जारी िकया गया था, ऐसे कृत्य करना समाप्त कर देता है जिनके कारण वह राजिशियक या सरकारी पासपोर्ट पाने का पात्र हुआ था। ऐसी दशा में पासपोर्ट, पासपोर्ट प्राधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

[सं. वी. 1/405/2/18/76]

माध्य केशव मंगलम् ति, संध्यत सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1980

- G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Passports Rules, 1980.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these Rules, unless the context otherwise requires:—
 - (a) 'Act' means the Passports Act, 1967;
 - (b) 'Form' means a form set out in Schedule III;
 - (c) 'Miscellaneous service', in relation to a passport or travel document, includes :---
 - (i) varying the entries in a passport or travel docu-
 - (ii) making additional endorsement on a passport or travel document in respect of foreign countries:
 - (iii) adding a supplementary passport or travel document booklet, when all the pages in an existing passport booklet have been almost used up; or
 - (1v) any other service in respect of a passport or travel document which the holder thereof may require;
 - (d) 'Schedule' means a Schedule appended to these rules;
 - (e) 'Section' means a section of the Act.
- 3: Passport authorities; (1) In addition to the Central Government, the officers specified in column (2) of Schedule I shall, subject to the provisions of sub-rule (2), be the passport authorities for all purposes of the Act and these rules.
- (2) An officer referred to in column (2) of Schedule I shall, for the purpose of issue of a passport or travel document, exercise jurisdiction in respect of applications for such issue made by persons ordinarily residing in the territories specified in the corresponding entries in column 3 of the said Schedule;

Provided that in exceptional and urgent cases the said officer may entertain an application for the issue of a passport or travel document from a person ordin rily residing in any other territory in India and may issue a passport or travel document to such person for a period not exceeding twelve months and transfer the application to the passport authority having jurisdiction in the territory wherein such person ordinarily resides.

Provided further that no such transfer of an application for passport under the preceding proviso shall be made if the applicant has migrated from the territory where he was originally resident with the intention of settling down in the territory within the jurisdiction of the passport authority which issued the passport under the preceding proviso.

- 4. Classes of persons to whom the Different classes of passports and travel documents may be issued: The classes of persons to whom the classes of passports or travel documents referred to respectively in sub-section (1) and sub-section (2) of section 4 may be issued, shall be as specified respectively in part I or part II as the case may be, of Schedule II.
- 5. Form of applications: An application for the issue of a passport or travel document or for the renewal thereof or for any miscellaneous service shall be made in the appropriate Form set out therefor in Part I of Schedule III and in accordance with the procedure and instructions set out in such form.

Provided that, in the course of any inquiry under subsection (2) of section 5, a passport authority may require an applicant to furnish such additional information, documents or certificates, as may be considered necessary by such authority for the proper disposal of the application.

6. Financial Guarantee: (1) An application for the issue of an ordinary passport shall be accompanied by a financial guarantee executed in the Form set out in Part II of Schedule III.

Provided that no such guarantee shall be necessary in the case of an applicant if he:

- (i) furnishes a certificate from a Member of Parliament or Member of the Legislative Assembly of a State or Union territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi, or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government, or a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-Divisional Magistrate or an Additional District Magistrate or a District Magistrate to the effect that he has satisfied himself that the applicant is financially sound;
- (ii) pays income tax or property tax or agricultural income tax;
- (iii) produces a certificate of solvency from any revenue authority, not below the rank of Tehsildar, to the effect that the applicant is financially solvent to the extent of rupees ten thousand or more;
- (iv) furnishes an entry permit issued by a foreign Government in his favour;
- (v) proceeds out of India under the Indian Emigration Act, 1922 (7 of 1922) and the provisions of that Act have been complied with;
- (vi) proceeds out of India on an employment voucher or offer of employment;
- (vii) proceeds out of India on scholarship o fellowship;
- (viii) proceeds on pilgrimage or to neighbouring foreign countries

- (ix) furnishes a ticket in proof of the journey to a foreign country and return therefrom;
- (x) proceeds to a foreign country to join the following relations of the applicant, namely, father, mother, husband, wife, brother, sister, son or daughter and produces a sponsorship declaration by any such relation of the applicant signed (a) before an authorised officer of the local Government or Notary Public and attested by the Consular Officer in the Indian Missions or Post in that country; or (b) before the Consular Officer in the Indian Mission;
- (xi) being a minor, accompanies his parent or legal guardian who has been exempted from producing financial guarantee in terms of any of the preceding clauses;

Provided further that no such guarantee shall be necessary in respect of an applicant abroad if :--

- (i) the passport authority abroad is satisfied that he has sufficient means to maintain himself abroad; or
- (ii) he was exempted from producing financial guarantee at the time original passport was issued to him.
- (2) The financial guarantee shall not be withdrawn by the guaranter so long as all the costs, charges and expenses payable or reimbursable to the Government of India in pursuance of the guarantee are fully discharged or till a fresh acceptable guarantee is furnished by the holder of the passport.
- 7. Named foreign country: Each of the following countries shall be a named foreign country for the purposes of the explanation to sub-section (1) of section 5, namely:
 - (i) Bangladesh; and
 - (ii) Sri Lanka.
- 8. Fee payable on applications: The fee payable on every application mentioned in column (2) of Schedule IV shall be at the rates specified in the corresponding entry in column (3), (4) or (5), as the case may be, of that Schedule.
- 9. Collection of fees: All fees payable in respect of such applications shall be remitted by money order to, or paid in cash at the counter of, the passport authority concerned or by way of passport fee postal stamp, stating in the coupon or receipt the particulars in respect of which such fees have been remitted or paid.
- 10. Refund of fees: Fees shall be refunded if applied for within one year from the date of payment thereof in the following cases:—
 - (i) if after paying the fee, a person does not submit the application for issue of passport or travel document or for any service on a passport or travel document already held by him, as the case may be;
 - (ii) if the fee paid is in excess of the prescribed fee; and
 - (iii) if the fee paid is for a service for which no fee has been prescribed.
- 11. Forms of passport or travel document—A passport or travel document issued under the Act shall be in the appropriate form set out in part III of Schedule III.
 - 12. Duration of passports or travel documents
 - An ordinary passport shall continue in force for a period of five years from the date of its issue.
 - (2) An India-Bangladesh passport shall continue in force for a period of three years from the date of its issue.
 - (3) An India-Sri Lanka passport shall continue in force for a period of four years from the date of its issue.

- (4) An emergency certificate shall continue in ferce for a period of six month, from the date of its issue.
- (5) A certificate of identity shall continue in force for a period of two years from the date of its issue.
- (6) A diplomatic and an official passport shall continue in force for a period to be decided in each case by the Central Government or the passport authority which issues the passport.

Provided that the total life of a diplomatic or an official passport shall be ten years from the date of its issue.

13. Issue of additional passport or travel document in special circumstances—A prerson holding a passport or travel document shall not be entitled to another passport or travel document unless he surrenders to the passport authority the passport or travel document already held by him.

Provided that separate passports or travel documents may be issued to the same person in respect of different countries if it is necessary so to do for facilitating his visits to such countries.

14. Appellate authorities—For the purpose of the Act and these rules, the appellate authority to whom an appeal shall lie from an order specified in column (1) of the Table below shall be that specified in the corresponding entry of column (2) thereof and every such appeal shall be filed within thirty days from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the appellant.

TABLE

IABLE					
Orders appealed against	Appellate authority				
(1)	(2)				
1. An order of the passport authority, other than the Central Government, under— (i) clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of Section 5; or (ii) clause (b) of the proviso sec n 7; or	Ministry of External				
(iii) sub-section (1) or sub- section (3) of section 10,					
 An order under sub-section (6) of section 10 of the authority to whom the passport authority is subordinate. 	Additional Secretary or Secretary, Ministry of Ex- ternal Affairs, New Delhi.				

- 15. Fee Payable in respect of appeal—Every petition for appeal shall be accompanied by a fee of twenty-five rupoes which shall be paid in cash at the treasury and a copy of the receipted challan shall be enclosed with such petition.
- 16. Procedure to be followed by appellate authority—On receipt of an appeal, the appellate authority may call for the records of the case from the authority which passed the order appealed against and after giving the appellant a reasonable opportunity of representing his case, pass final order.
- 17. Authority and form for special endorsement under section 19:
 - The authority for the purposes of section 19 shall be the passport authority.
 - (2) Every special endorsement referred to in section 19 shall be in the following form, namely:

FORM

- 18. Inspection of passport or travel document—The authorities for the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be—
 - (i) any passport authority;

- (ii) any officer of Police not below the rank of a Sub-Inspector; and
- (iii) any officer of Customs empowered by general or special order of Central Government in this behalf.
- 19. The conditions of a passport or travel document—The conditions subject to which a passport or travel document shall be issued or renewed shall be as set out in Schedule V.
 - 20. Repeal-The Passports Rules, 1967 are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the said Rules or anything duly done or suffered, or any right, privilege, obligation or liability acquired, accepted or incurred, thereunder.

SCHEDULE 1

(See rule 3)

Sl. No.	Passport authorities	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1. (a) Regional Passport Off Ahmedabad, (Regional I port Office, Ahmedabad	Pass- and the Union Terri-
(b) Assistant Passport Off Ahmedabad, (Regional I port Office, Ahmedabad 	Pass-
(c) Public Relations Off Ahmedabad, (Regional I port Office, Ahmedabad	Pass-
((d) Superintendent, Ahmeda (Regional Passport O Ahmedabad)	
2.	(a) Regional Passport Off Calcutta, (Regional Pass and Emigration Office, cutta).	sport Bengal, Tripura and
1	(b) Public Relations Off Calcutta (Regional Pas- and Emigration Office, cutta).	-
ı	(c) Superintendent, Calc (Regional Passport Emigration Office, Calcu	and
3. ((a) Regional Passport Off	ficer, The Union Territory of

Delhi, (Regional Passport

and Emigration Office, New

Dolhi).

Delhi.

1	2 ,	3	1 2 3
٠	Delhi (Regional Passport officer, Delhi (Regional Passport and Emigration Office, New Delhi). Public Relations Officer, Delhi, (Regional Passport	The Union Territory of Delhi.	6.(i)(a) Regional Passport Officer, The State of Kerala Cochin, (Regional Passport (excluding the districts and Emigration Office, Cochin) (of Cannanore, Kozhkode, Malapuram and Palghat), and the Union Territory of
(d	and Emigration Office, New Delhi). Superintendent, Delhi, (Re-	do-	Lakshadweep. (b) Assistant Passport Officer, -do- Cochin, (Regional Passport
4.(i)(gional Passport and Emigra- tion Office, New Delhi). a) Regional Passport Officer,	The State of Punjab	and Emigration Office, Cochin).
,	Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	(excluding the districts of Jullundur, Kapurthala, Hoshairpur, Amritsar and Gurdaspur), and the States of	 (c) Public Relations Officer, -do- -cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin).
,		Haryana and Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.	(d) Superintendent, Cochin, (Regional Passport and Emigration Office, Cochin).
-1 (b)	Assistant Passport Officer, Chandigarh, (Regional Pass- port Office, Chandigarh).	-do-	6.(ii)(n) Passport Officer, Kozhikode, The districts of Canna- (Passport Office, Kozhikode) nore, Kozhikode, Malapuram and Palghat in the State of Kerala and
	Public Relations Officer, Chandigarh, (Regional Pass- port Office, Chandigarh).	-do-	the district of Mahe in the Union Territory of Pondicherry.
	Superintendent, Chandigarh, (Regional Passport Office, Chandigarh).	,-do-	(b) Public Relations Officer, -do- Kozhikode, (Passport Office, Kozhikode).
(11)(a)	Passport Officer, Jullundur, (Pasport and Emigration Office, Jullundur).	The districts of Juliun- dur, Kapurthala, Ho- shiarpur, Amirtsar and Gurdaspur in the State	(c) Superintendent, Kozhikode, -do- (Passport Office, Kozhikode).
(b)	Assistant Passport Officer, Jullundur, (Passport and Emigration Office, Jullun-	of Punjab. -do-	7. (a) Passport Officer, Bombay, The State of Mahara- (Passport and Emigration shtra. Office, Bombay).
(c)	dur). Public Relations Officer, Jullundur, (Passport and	-do-	(b) Assistant Passport Officer, -do-Bombay, (Passport and Emigration Office, Bombay).
(d)	Emigration Office, Juliundur). Superintendent, Juliundur,	•do-	(c) Public Relations Officer, -do- Bombay, (Passport and Emi- gration Office, Bombay)
5 . (a)	(Passport and Emigration Office, Jullundur). Regional Passport Officer,	The State of Tamil Nadu	(d) Superintendent, Bombay, -do- (Passport and Emigration Office, Bombay).
	Madras, (Regional Passport and Emigration Office, Madras).	and the Union Terri- tory of Pondicherry (excluding the district of Mahe).	8. (a) Passport Officer, Lucknow, The State of Uttar (Passport Office, Lucknow). Pradesh.
	Assistant Passport Officer, Madras, (Regional Passport and Emigration Office,	-do-	(b) Assistant Passport Officer, -do- Lucknow, (Passport Office, Lucknow).
(c)	Madras). Public Relations Officer, Madras, (Regional Passport	-do-	(c) Public Relations Officer, -do- Lucknow, (Passport Office, Lucknow).
	and Emigration Office, Madras). Superintendent, Madras,	-do-	(d) Superintendent, Lucknow, -do- Passport Office, Lucknow).
,	(Regional Passport and Emigration Office, Madras).	,	9. (a) Passport Officer, Hyderabad, The State of Andhra (Passport Office, Hyderabad). Pradesh.

1		2	3	1		2	3
(ь)	Assistant Passport Officer, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	The State of Andhra Pradesh.	- (d		Superintendent, Patna, (Passport Office, Patna).	The State of Bihar.
(c)	Public Relations Officer, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).	do-	15. (a		Regional Passport Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	The States of Assam Nagaland, Meghalaya and Manipur and the Union Territories o
(d)	Superintendent, Hyderabad, (Passport Office, Hyderabad).					Arunachal Pradesh and Mizoram.
0. (a)	Passport Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	The State of Karnataka	(b		Assistant Passport Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
		Assistant Passport Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	-do-	(c))	Public Relations Officer, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
		Public Relations Officer, Bangalore, (Passport Office, Bangalore).	-do-	(d)	Superintendent, Gauhati, (Regional Passport Office, Gauhati).	-do-
()	d)	Superintendent, Bangalore, (Passport Office, Bangalore)	-do-	16. (a		Passport Officer, Srinagar, (Passport Office, Srinagar).	The State of Jammu and Kashmir,
l. (í		Passport Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	The State of Rajasthan	(b)	Assistant Passport Officer, Srinagar, (Passport Office,	-do-
(1		Assistant Passport Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	-do-	(c))	Srinagar). Public Relations Officer, Srinagar (Passport Office,	-do-
(6		Public Relations Officer, Jaipur, (Passport Office, Jaipur).	-do-	(d) ;	Srinagar). Superintendent, Srinagar, (Passport Office, Srinagar).	-do-
		Superintendent, Jaipur, (Pasport Office, Jaipur).	-do-	17. (a		Chief Secretary, Government of Goa, Daman and Diu, Panaji.	
		Passport Officer, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	Pradesh.	(Ь)]	Passport Officer, Home Department, (Passports) Go-	-do-
(1		Public Relations Officer, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	-do-		•	vernment of Goa, Daman and Div.	
(c	-	Superintendent, Bhopal, (Passport Office, Bhopal).	-do-	18. (a)	7	Chief Commissioner, Union Ferritory of Andaman and Vicobar Islands, Port Blair.	The Union Territory o Andaman and Nicobar Islands.
. (a	1	Passport Officer, Bhuba- neshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	The State of Orissa	(b)	1	Deputy Commissioner, Union Ferritory of Andaman and Nicobar Islands, Port Blair.	-do-
(E		Assistant Passport Officer, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-	(c)	21	Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.	-do-
(0]	Public Relations Officer, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-	(d)	a	udicial Secretary, Andaman nd Nicobar Administra- ion, Port Blair.	-do-
(d	,	Superintendent, Bhubaneshwar, (Passport Office, Bhubaneshwar).	-do-	(e)	đ	Assistant Secretary, (Confi- ential Cell), Andaman and Nicobar Administration,	-do-
. (a		Passport Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	The State of Bihar	19.	F	Port Blair. Consular Officers or Consu-	The area within the
(b]	Assistant Passport Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	-do-	17.	la	ar Agents in Indian Missions or Posts outside India.	consular jurisdiction of the Indian Mission or Post concerned.
(c]	Public Relations Officer, Patna, (Passport Office, Patna).	-do-	20. (a)	Si	Deputy Secretary (PV Divi- ion), Ministry of External Affairs, New Delhi.	Whole of India in res- pect of diplomatic and official passports.

1 2 3 1

(b) Under Secretary, PV Division, Whole of India in res-Ministry of External Affairs, New Delhi.

pect of diplomatic and official passports.

(c) Section Officer, PV Division, Ministry of External Affairs, New Delhi.

-do-

SCHEDULE II (Sce rule 4)

PART I—PASSPORTS

Classes of Passport

Classes of persons to whom issuable

1

1. Ordinary **Passport** Citizons of India

2. India-Bangladesh Passports

-do-

3. India-Sri Lanka

Passports

-do-

4. India-Sri Lanka Passports (For Repatriates -1964 and 1974 agreements)

Persons who have been granted Indian Citizenship under the India-Sri Lanka Repatriation Agreements of 1964 & 1974.

- 5. Official Passports (i) Government officials and non-officials when their passages are paid by the Govt. and the members of their families, when such members of their families also proceed out of India at the expense of Government.
 - (ii) Officials of Reserve Bank of India, the State Bank of India, nationalised banks, Corporation, Undertakings and other institutions owned or controlled by the State and officials of autonomous bodies set up by the State, proceeding out of India on the official work of their respective organisations; and the members of their families when such members also proceed out of India at the expense of such organisations.
 - (iii) Permanent Govt. officials on deputation to foreign Governments, the United Nations Organisations and its specialised Agencies and other inter-Governmental Organisations/ agencies recognised by the Govt. of India, and the members of their families, provided such deputation is arranged through the Govt, of India.
 - (iv) Government officials sponsored by the Ministries in the Government of India and their departments, for attending international conferences. seminars and meetings or for undergoing training either independently or under any of the scholarship

schemes for the time being in force. provided the deputation out of India is treated as duty and the Government official is allowed to draw his duty pay and allowances in India and the members of the family of such official deputed out of India for a period not less than twelve months, when travelling with or joining such official at his post abroad.

2

- (v) Fully dependent mother/father/ mother-in-law/brother/sister of an officer belonging to Indian Foreign Service (Branch B) and fully dependent mother-in-law/brother/sister of an officer belonging to Indian Foreign Service (Branch A), when proceeding out of India, with the permission of the Government, to reside with the officer at the place of his posting abroad.
- (iv) Any other person who, in the opinion of the Govt. of India should have an official passport because of the nature of his foreign mission.
- NOTE:-The following persons shall not be entitled to the issue of official passports, namely:-
- (a) persons sponsored by a Government department for attending international Conferences, seminars and meetings or for studies of training outside India either independently or under any of the scholarship schemes for the time being in force when such persons go on study leave or leave of any other kind;
- (b) persons proceeding outside India at their own expense on commercial or other purposes although a department of the Govt, certifles that such purpose would be to Govt. interest.
- 6. Diplomatic passports :-
- (i) (a) Officers of the Indian Foreign Scrvice (Branch A) when proceeding out of India on official business.
- (b) Such officers of the Indian Foreign Service (Branch B) and other officers of the Ministry of External Affairs or other Ministries or Department of the Government of India who are proceeding abroad on official business or are posted to Indian Missions or Posts abroad, as may be determined by the Foreign Service Board in the Ministry of External Affairs.
- (c) Wife or official hostess or husband. as the case may be, dependent sons under 24 years and dependent unmarried daughters, dependent father and dependent mother of an

2

officer referred to in (a) and (b) above, when travelling with or joining such officer at his post abroad.

NOTE:—Any member of the family referred to in (c) above of an officer who is actually holding a diplomatic assignment abroad may also be issued a diplomatic passport for staying in a country other than the country of accredition of the officer for study or other purposes approved by the Central Government; a diplomatic passport issued in such a case shall, however, be surrendered when the diplor matic assignment of the officer is terminated or when the officer is posted back to the headquarters.

- (ii) (a) A person having or having been g anted a diplomatic status either because of the nature of his foreign mission or because of the position he holds, as may be determined by the Central Government.
- (b) Wife or husband, as the case may be, of a person referred to in (a) above when accompanying the said person

PART II-TRAVEL DOCUMENT

Classes of Travel Documents

1

Classes of persons to whom issuable

2

1. Emergency Certificate

- (i) Citizons of India abroad who have been refused passport, or whose passports have been impounded or revoked, of who have to be repatriated to India.
- (ii) Persons who have produced prima facle evidence of Indian citizenship but the evidence is considered insufficient to justify the issue of a passport without further verification.
- (iii) Citizens of India abroad whose passports have been lost, stolen or damaged, and to whom new passports cannot be issued without verification of their passport particulars by reference to the offices of Issue.
- (iv) Persons of Indian origin abroad when allowed to come to India for settling down here.

2. Certificate of Identity

(i) Stateless persons residing in India, foreigners, whose country is not represented in India, or whose national status is in doubt.

2

(ii) Persons exempted under Section 22 from the operation of the provisions of clause (a) of sub Section (2) of section 6.

SCHEDULE III (See rules 5, 6 & 11)

PART (see rule 5)

FORM FA (P) I Government of India

Ministry of External Affairs

PASSPORT APPLICATION FORM

(For ordinary & Indian-Sri Lanka P. ssports)

space for afflxing passport fee postal stamp

CAUTION: It is an offence under the Passports Act, 1967 to knowingly furnish false information or suppress material information.

This application form can be used for issue of an ordinary international passport/India-Sri Lanka passport by an adult for himself/herself or by a parent/legal guardian for issue of a passport to a person below 18 year's of age.

To

The Passport Officer
(fill in name of office here)

	! A. FE	E : —				
For official use only	1. Amount paid Rs.					
FOR PAYMENT AT PASSPORT OFFICE/ STATE BANK COUNTER	2. Date of payment 3 How have you paid it—					
Receipt No						
Initials of	(a)	(b)	(c)	(d)		
Cashier	(by passport fee stamp) Office	ort State	(by money order- receipt to be atta-		
			Office)	ched)		

B. PHOTOGRAPH

In all, 5 copies are required-one to be pasted here and four to be enclosed with the application.

The photograph must be not less than 50 mm x 60 mm in size and show a frontal view of full face.

PLEASE DO NOT MARK FRONT OF PHOTOGRAPH.

Space for Pasting
photograph

C. PARTICULARS OF APPLICATION/MINOR FOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED:

- Full name in capital letters (Please do not use any initials)
- 2. Maiden name in case applicant is married women/widow.
- 3. Aliases, if any
- 4. (a) Have you ever changed your name?
 - (b) If yes, what was your previous name?

5.	Date	of birth	(Date	Mont	h Year	
6.	Place of birth	(Village/town)				

State

- Father's name in full (Please do not use initials)
- 8. Husband's name in full in case applicant is married woman/widow

D. PERSONAL DESCRIPTION:

- 1. Profession and present occupation
- 2. Heightm......cm
- 3. Colour of eyes
- 4. Colour of hair
- 5. Visible distinguishing marks

E. CHILDREN UNDER 15 TO BE INCLUDED IN PASSPORT:

Name of child Place of birth Date of birth Relationship to applicant

- 1.
- 2.
- 3

Please attach attested copies of birth certificates or school certificates showing dates of birth.

F. ADDRESS:

- (b) If you have not resided at the above address continuously for the last two years, please give the other addresses where you have resided during this period:
- Name and address of relative to be intimated in case passportholder faces any difficulty abroad:

Name:

Relationship.

Full address

Phone No, if any,

G. CITIZENSHIP:

- 1. (a) Did you ever possess any other citizenship?
 - (b) If you, did you acquire Indian citizenship by registration or naturalisation?
 (Please attach a certified copy of the citizenship document in case of first application for passport)
- 2. (a) If you are a married woman/widow, is/was your husband an Indian citizen?
 - (b) If the answer to (a) above is 'No', what is/was your husband's nationality and when were you married to him?
- 3. (a) Did you migrate from the territory included in Pakistan or Bangladesh?
 - (b) If yes, from which country and when did you migrate?
- 4. (a) Were you born in a country other than India, Pakistan or Bangladesh?
 - (b) If yes, what was your father's citizenship?
 - (i) at the time of your birth; and
 - (ii) as on 26-1-1950.
 - (c) what is your father's place of birth?
- 5. Did your father acquire another citizenship?
 - (a) If yes, what nationality; and
 - (b) when?

H. PREVIOUS PASSPORTS

- Have you ever applied for a passport/travel document before?
- If passport/travel document was issued, please indicate the following details and attach the passport/travel document:—

Date of issue:

Place of issue:

- If passport/travel document is not attached, indicate what happened to it.
- 4. Please enclose a copy of the official communication received by you in case:—
 - (i) a passport/travel document was first refused to you and the order of refusal was not unconditionally withdrawn/cancelled subsequently; or
 - (ii) your passport/travel document was first impounded and was not unconditionally restored to you subsequently.
- If your name was included in either parent's passport a certificate about deletion may be produced or passport/ travel document produced for deletion.

I. INFORMATION REQUIRED UNDER SECTION 6 OF THE PASSPORTS ACT, 1967:

- 1. Have you at any time during the period of five years immediately preceding the date of this application been convicted by a court in India for any criminal offence and sentenced to imprisonment?
- 2. Are any proceedings pending against you before a criminal court in India?
- 3. Has a warrant or summons for your appearance, or a warrant for your arrest or an order prohibiting your departure from India been issued by any court?
- 4. (a) Have you ever been repatriated from abroad at Government expense?
 - (b) If yes, have you repaid to Government the expenditure incurred?

If the answer to any of the above question is 'Yes', please furnish details in a separate sheet duly signed.

J. FOR GOVERNMENT/PUBLIC SECTOR EMPLOYEES ONLY:

- 1. Are you working in Central or State Government Department, statutory body or public sector undertaking?
- If yes, please give details of your job and full office address of the employer or enclose a 'No Objection Certificate' in original from the employer.

K. SUPPLEMENTARY INFORMATION:

- 1. What countries do you propose to visit?
- What is the purpose of your visit? (study, business, tourism, pilgrimage, employment, etc).
- 3. What are your educational qualifications?
 - (i) General
 - (ii) Professional/technical.

L. REFERENCES:

Name and address of two responsible persons in your locality who would be prepared to vouch for you:

1.

2.

M. DECLARATION OF APPLICANT:

I solemnly declare that:

- (i) I have not voluntarily acquired the citizenship of another country;
- (ii) I have not lost, surrendered or been deprived of my citizenship of India; and
- (iii) The information given by me in reply to the questions in this form is true.

Place

Date

Signature of applicant

Note:— Please give your specimen signatures in the space provided at the end.

N. DECLARATION OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE PASSPORT IS FOR A MINOR:

I undertake to be entirely responsible for his/her expenses.

I solemnly declare that he/she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true.

Place

Date

Signature of applicant

O. VERIFICATION CERTIFICATE

(This certificate is not a pre-requisite for obtaining a passport)

- I have satisfied myself that the applicant is financially sound.

Telephone:

Residence:

Office:

Place Designation

Date: Office stamp.....

Note:—If the verifying authority is not in a position to certify the financial soundness of the applicant, that authority may delete paragraph 2 from the verification certificate in which event, the applicant will have to produce a financial guarantee unless otherwise exempted from doing so under rule 6 of the Passports Rules, 1979.

CAUTION

This is an important document and should be signed after due consideration (To be signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly of State or Union Territory or Member of Legislative Council of a State or Member of Metropolitan Council, Delhi or an officer not below the rank of a Deputy Secretary to Government or a Judicial Magistrate of the first class or a Sub-divisional Magistrate, an Additional District Magistrate or a District Magistrate).

Two specimen signatures of left thumb impression (if male) or right thumb impression (if female) of the applicant/minor on whose behalf application is made.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 2

GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT APPLICATION FORM FOR INDIANS RESIDING ABROAD

CAUTION: It is an offence under the Passports Act, 1967 to knowingly furnish false information or suppress material information.

This application form can be used by Indian nationals residing abroad (by an adult for himself/herself or by a parent/legal guardian for minor child/ward) for issue of an ordinary international passport/India-Sri Lanka passpotr.

To

(Please fill in the name of the Indian Mission/Post to whom you are applying for the passport).

> Space for Pasting photograph

(In all three copies of the photograph are required—one to be pasted above and two to be enclosed with the application. The photograph should be 50 mm \times 60 mm in size and show a frontal view of full face).

(A) FEE

- 1. Amount of the fee paid :
- 2. How you have paid it:

(B) PARTICULARS OF APPLICANT/MINOR FOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED

- 1. Full name in capital letters: (Please do not use any initials).
- 2. Maiden name in case applicant is married woman/widow:
- 3. Alieses, if any.
- 4. If you ever changed your name, what was your previous name:
- 5. Date of birth:
- 6. Place of birth:
- 7. Father's name in full: (Please do not use initials) :
- 8. Mother's name in full:
- 9. Husband's name in full in case married woman/ applicant is widow:
- 10. Profession and present occupation:
- 11. Height:

Μ

- 12. Colour of eyes.
- 13. Colour of hair:
- 14. Visible distinguishing mark:

(C) CHILDREN UNDER 15 YEARS OF AGE TO INCLUDED IN PASSPORT

Name of child Place of birth Date of birth Relationship to the applicant

Cm:

- 1. 2. 3.

Please attach attested copies of birth certificate(s) or school certificate(s) showing date(s) of birth and both the parents' passports.

(D) ADDRESSES

- 1. Present address:
- 2. Permanent address:

- 3. Telephone Number, if any
- 4. Particulars of the relative to be intimated in case p ssport holder faces any difficulty abroad:

Name:

Relationship:

Full address:

Phone number, if any

(E) CITIZENSHIP

Are you a citizen of India by birth/descent/registration/ naturalisation.

(In case of first application for passport, please attach a certified copy of the citizenship document).

(F) PREVIOUS PASSPORT

1. Please attach the p: ssport/travel document previously held by you, and indicate the following details:

Number:

Date of issue:

Place of issue:

- 2. Were you ever refused passport ?
- 3. Was your passport ever ordered to be impounded or revoked?

(If answer to 2 or 3 above is yes, please enclose a copy of the official communication received by you).

(G) DECLARATION OF APPLICANT

I solumnly declare that:

- (i) I have not voluntarily acquired the citizenship of another country:
- (ii) I have not lost,, surrendered or been deprived of my citizenship of India; and
- (iii) the information given by me in reply to the questions in this form is true.

Place

Date

Signature of applicant

NOTE: -Please give your specimen signatures in the space provided at the end.

(H) DECLARATION OF PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE APPLICATION IS ON BEHALF OF A MINOR

I affirm that the particulars given above are in respect of....son/daughter ofof whom I am the parent/ legal guardian.

I undertake to be entirely responsible for his/her expenses.

I solemnly declare that he/she has not lost, surrendered or been deprived of his/her citizenship of India and that the information given in respect of him/her in this application is true.

> Signature of the parent/legal guardian

The specimen signatures or left thumb impression (if male) or right thum impression (if female) of the applicant/minor on whose behalf the application is made.

 1			2	

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 3

APPLICATION FOR THE ISSUE OF A DIPLOMATIC/ OFFICIAL PASSPORT

(This application must be accompanied by two passport size photographs—one of them duly attested on reverse.)

- 1. (a) Full name (in block fetters).
 - (b) Aliases, if any (in block letters).
- 2. Profession.
- 3. Present appointment
- 4. Permanent home address.
- 5. Present address.
- 6. Place of birth
- 7. Date of birth
- 8. Father's/Husband's name.
- 9. Personal particulars
 - (a) Height
 - (b) Colour of eyes
 - (c) Colour of hair
 - (d) Visible distinguishing marks, if any.
- Particulars of children below 15 years of age, if to be included in the passport.

Nan	ìe	•					Ī)	a	t	c	¢	١	î	b	i	r	tì	1		þ	įε	10	:	•	(oi	f	b	ir	t	h		F	ł	e l	ı	ιt	i	0	n	sl	hi	ir	,		
1,				-	,			,																									,														
2.																																															
3.																																															
4.			,										. ,														,							 											,	,	

- 11. (a) Have you ever applied to any other authority for any other passport?
 - (b) If so, please give details.
- 12. Particulars of the previous passport held, if any:
 - (a) Number
 - (b) Date of issue
 - (c) Authority and place of issue.
 - (d) If diplomatic/official passport previously held by the applicant was returned to the Ministry of External Affairs or any other authority, please indicate where are when it was returned.
- N.B.:—The previous passport, if in the custody of the applicant, should be submitted together with this application.

13.

Date.....

Countries to be visited on official	Exact nature of Official duty		of stay
duty		dates	

4.	Mode	of	travel	and	route	:
Plac	æ.,					

Signature of applicant or parent in case application is for a minor.

CERTIFICATE 1. *I heroby certify that Sh./Smt./Kum.....is

(Full name and designation)
proceeding abroad on official duty as indicated in item 13 above. 2.*I hereby certify that Sh./Smt/Kumis
(Full name)
son/wife/daughter of Sh./Smt.,
*Strike out whichever is not applicable.
Signature of Head of Office
Designation
IMPORTANT: Categories of persons to whome official and

diplomatic passports are issuable are mentioned in Part I of the Schedule II to the Passports Rules, 1980. Persons not covered by the said Schedule shall not be eligible for official and diplomatic Passports.

Please give two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant in the space provided above.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 4

APPLICATION FOR ISSUE OF AN EMERGENCY CERTIFICATE

(This application must be accompanied by three passport otographs.)

1. FEE

- 1. Amount paid
- 2. Date of payment
- 3. Mode of payment.

II, PERSONAL PARTICULARS

- 1. (a) Full name (in block letters)
 - (b) Aliases, if any (in block letters)
- 2. Previous names, if you have ever changed your name.
- Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee
- 4. Father's name
- Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee
- 6. Permanent address in India
- 7. Present address abroad
- 8. Present national status
- 9. Profession
- 10. Place of birth
- 11. Date of birth
- 12. Height

13. Colour of eyes	SCHEDULE III PART J
14. Colour of hair	(See rule 5)
16. Visible distinguishing marks, if any.	FORM EA(PX) 5
, , ,	
III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOW 15 YEARS OF AGE TO BE INCLUDED IN THE EMERGENCY CERTIFICATE.	APPLICATION FOR THE ISSUE OF CERTIFICATE OF IDENTITY (This application must be accompanied by three passport
Name Date of birth Place of birth Relationship	size photographs—one duly attested by local police authority—and Residential permit).
i	I. FEE
2	1. Amount
3	2. Date of payment
4	3. Mode of payment
	II. PERSONAL PARTICULARS
IV. PARTICULARS OF THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT PREVIOUSLY HELD.	1. (a) Full name (in block letters)
1. Did you ever hold a passport/travel document ?	(h) Aliases, if any (in block letters)
 If so, please furnish the following particulars: (a) Number 	2. Previous name, if you have ever changed your name.
(b) Date of issue	3. Maiden name in case of a married
(c) Authority and place of issue.	woman/widow/divorcee
N.B.:—The Passport/travel document, if available, should be submitted together with this application.	4. Father's name5. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee
2 (for at a position to submit the massworthward downward	6. Last permanent address abroad
3. If not a position to submit the passport/travel document, please indicate the reasons therefor:	7. Present address
	8. Place/Country of origin
.,,	9. Present national status
V. REASONS OF APPLYING FOR AN EMERGENCY	10. Period of residence in India
CERTIFICATE:	11. Profession
	12. Place of birth 13. Date of birth
	14. Height.
	14. Height. 15. Colour of eyes
VI. DECLARATION OF APPLICANT	16. Colour of hair
I solemnly declare that :	17. Visible distinguishing marks, if any
(i) I am citizen of India/person of Indian origin;	
 (ii) I have not voluntarily acquired citizenship of another country; and 	III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOW 15 YEARS OF AGE, TO BE INCLUDED IN THE CERTIFICATE OF IDENTITY.
(iii) the information given by me in reply to the question in this form is true.	Name Date of birth Place of birth Relationship
Place	1
Date	3
***************************************	4
Signature or thumb impression (left in case of a male and right in	IV. 1. PURPOSE OF APPLYING FOR THE CERTIFICATE OF IDENTITY.:
case of a female) of the applicant.	2. COUNTRIES FOR WHICH THE CERTIFICATE OF IDENTITY IS REQUIRED.
Two specimen signatures or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.	V. DECLARATION OF APPLICANT.
], solemnly declare that:
	(a) I am ofnationality/stateless,
Ave the contract of a Chilamakia of	(b) I have not obtained an Indian/foreign travel document
*If in possession of a Citizenship of	before because
•	

	सारत का रा
(c) the information in this form is	given by me in reply to the questions
Place	
Date,	
	Signature or thub impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.
of a male and right in case	res or thumb impressions (left in case of a female) of the applicant.
1.	2.
SCHEI	DULE III PART I
C	See rule 5)
FO	RM EA(P) 6
APPLICATION FOR RET TYPES OF PASSPOR	NEWAL OF VALIDITY OF ALL RTS/TRAVEL DOCUMENTS.
1. (a) Full Name	
(in block letters)	
(b) Aliases, if any	
2. Maiden name in case of a man/widow/divorcce	a married wo-
3. Father's/husband's nam	e
4. Present address	
5. Permanent address	
Particulars of the Passpo cument	ort/travel do-
(a) Number	
(b) Date of issue(c) Authority and place	Of igone
(d) Valid until	or issue
7. (a) Period upto which required	enewal is re-
(b) Reasons for renewal.	
8. Amount of fee paid	
 Mode of payment. (Ple money order receipt if sent by money order). 	case enclose the fee was
). DECLARATION	
or more since the above	
Place	
Date	

,	Signature or thumb im- pression (left in case of a male and right in case of

a female) of the applicant.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 7

APPLICATION FOR ADDITIONAL ENDORSEMENT ON ALL TYPES OF PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS

- 1. (a) Full name
 - (in block letters)
 - (b) Aliases, if any
- 2. Maiden name in case of a married weman/ widow/divorcee
- 3. Present address
- 4. Permanent address
- 5. Particulars of the passport/travel document
 - (i) Number
 - (ii) Date of issue
 - (iii) Authority and place of issue
 - (iv) Valid until
- 6. Country/Countries for which additional endorsement is required
- 7. Reasons for additional endorsement asked for :-
- 8. Amount of fee paid;
- 9. Mode of payment of fee:
- N.B.—Please enclose money order receipt if the fee was sent by money order.

Place.	•	•								,		
Date.				,								

Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.

SCHEDULE III PART I

(See rule 5)

FORM EA(P) 8

APPLICATION FOR MISCELLANEOUS SERVICES ON ALL TYPES OF PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS.

1. (a) Full name

(in block letters)

- (b) Aliases, if any (block letters)
- 2. Maiden name in case of a married woman/widow/divorcce
- 3. Present address
- 4. Permanent address
- 5, Particulars of the Passport/travel document
 - (i) Number
 - (ii) Date of issue
 - (iii) Authority and place of issue
 - (iv) Valid until
- 6. (i) Exact nature of service required
 - (ii) Reasons for request of the service

7.125 V		TAKE IN DEC. 5(1)								
7. Amount of fee paid		SCHEDULE III PART I								
8. Mode of payment	the total of the first series and	(See rule 5)								
N.B.—Please enclose money order rec by money order.	ceipt ii the ree was sem	FORM EA(P) 10								
Place Date		APPLICATION FOR THE ISSUE OF ALL TYPES OF DUP- LICATE A PASSPORTS/TRAVEL DOCUMENTS WHICH HAVE BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED								
\$ 6 6	Signature or thumb im- pression (left in case of a male and right in case of a female) of the appli- cant.	 (This application should be made in DUPLICATE and be accompanied three passport size photographs). 1. FEE 1. Amount paid 2. Date of payment 3. Mode of payment 								
SCHEDULE III P	ART I	3. Mode of payment								
(See rule 5)		N.B.—Please attach money order receipt if fee was sent by money order								
FORM EA(P)	9	II. PERSONAL PARTICULARS								
APPLICATION FOR ISSUE OF ADDITIONAL SHEETS WHEN PASSPORT (ALL TYPES) OR HELD BY THE APPLICAN	ALL THE PAGES OF TRAVEL DOCUMENT	1. (a) Full name (in block letters) (b) Aliases, if any (in block letters)								
(This application must be accompany photographs. If there is a change in the graphs should be duly attested on revent Notary Public).	he appearance, the photo-	2. Maiden name in case of a married wo-man/widow/divorcee3. Father's name								
1. (a) Full name (in block letters)		 Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee ' 								
(b) Aliases, if any		5. Permanent address in India								
(in block letters)		6. Present address								
2. Maiden name in case of a married	w.c.	7. Profession								
man/widow/divorcee 3. Present address		8. Height								
4. Permanent address		9. Place of birth								
5. Particulars of the passport/travel	do-	10. Date of birth								
cument	uo-	11. Colour of eyes								
(i) Number		12. Colour of hair								
(ii) Date of issue		13. Visible distinguishing marks, if any.								
(lii) Authority and place of issue										
(iv) Valid until		III, PARTICULARS OF THE CHILD/CHILDREN' INCLU- DED IN THE PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT								
6. Amount of fee paid		WHICH HAS BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED								
7. Mode of payment		Name Date of birth Place of birth Relationship								
N.B. Please enclose money order recommoney order.	eipt if the fee was sent by	1								
Place		3								
17410										
	Signature or thumb impression (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant.	 IV. PARTICULARS OF THE PASSPORT/FRAVEL DO- CUMENT WHICH HAS BEEN LOST, STOLEN OR DAMAGED. 1. Number 2. Date of issue 								
Two specimen signatures or thumb !		3. Authority and place of issue								
a male and right in case of a female) of	the applicant	4. Valid until								
		 State briefly the circumstances in which the passport/travel docu- ment was lost, stolen or damaged. 								

L (./1	भारत का राजपेतः प्रसाधारण								
N.B.— In case of lost or theft, please attach a copy Police report.	of the	IV. PARTICULARS OF PREVIOUS PASSPORT/TRAVEL DOCUMENT							
Place		1. Did you ever hold a passport/travel document ?							
Date		2. If so, please furnish the following particulars:							
Signature or thum		(a) Number (b) Date of issue							
pression (left in ca male and right in c		(c) Authority and place of issue :							
female) of the app		•							
Two specimen signatures or thumb impressions (left in of male and right in case of female) of the applicant.	n case	N.B.—The passport/travel document should be submitted together with this application (if not available, please state Reasons);—							
SCHEDULE III—PART I		***************************************							
(See rule 5)	,	V. DECLARATION BY APPLICANT							
` <u>.</u> .		(Required when applicant is a major)							
FORM EA(P) 11	n/\n T	T colombia desloss that .							
APPLICATION FOR INDIA-BANGLADESH PASSI		I solemnly declare that :							
This application form can be used by an adult for hitherself or by a parent/legal guardian for a person below 18	imseii/ 3 years -	 (i) I have not voluntarily acquired citizenship of any other country; 							
of age. (This application should be accompanied by four pa	ssport	(ii) I have not lost, surrendered or been deprived of my citizenship of India;							
size photographs duly attested by a Gazetted officer or a Public).	Notary	(iii) The information given by me in reply to the ques- tions in this form is true							
I. FEE		Place-							
Amount paid Date of payment		Date							
3. Mode of payment		***************************************							
II. PARTICULARS OF THE APPLICANT/MINOR WHOM THE PASSPORT IS REQUIRED	FOR	Sighature or thumb impression (left in case of a male and right in case of female) of the applicant.							
 (a) Full name (in block letters) (b) Aliases, if any 		VI. DECLARATION BY PARENT OR LEGAL GUARDIAN IN CASE PASSPORT IS FOR A MINOR.							
(in block letters)		I solemnly affirm that I am the parent/legal guardian of							
 Maiden name in case of a married woman/widow/divorcee 		son/daughter of, whose particulars are given above.							
3. Previous name if you have ever changed your name4. Father's name		I solemnly undertake to be entirely responsible for his/her maintenance aborad and for payment of any expenditure in- curred by the Government of India on his/her repatriation.							
5. Husband's name in case of a married woman/widow/divorcee6. Permanent address in India		I solemnly affirm that he/she has not lost, surrendered or been deprived on his/her citizenship of India; that he/she does not hold citizenship of any other country; and that the infor-							
7. Present address		mation given in respect of him/her in this application is true.							
8. Profession		Place							
9. Height		Dtae							
10. Place of birth									
11. Date of birth		Signature or thumb impression (left in							
12. Colour of eyes 13. Colour of hair		case of a male and right in case of a female) of the parent/legal guardian.							
		Property of the second							
14. Visible distinguishing marks, if any III. PARTICULARS OF CHILD/CHILDREN BELOV		Two specimen signatures or thumb impressions (left in case of a male and right in case of a female) of the applicant/minor on hear totals and light in made.							
YEARS OF AGE TO BE INCLUDED IN PASSPOR		whose behelf application is made.							
Name Date of birth Place of birth Relation		1 2							
1									
2									
3									

SCHEDŪLĖ III—PART III

(Sec rule 5)

FORM EA(P) 12

APPLICATION FOR INDIA / SRI LANKA PASSPORT

(For repatriates-1964 and 1974 agreements)

(Three unmounted passport-size bust photographs, taken full face, of the applicant, should be enclosed with application. The photographs should have, on the reverse, the cerificate "true photo of......" signed by the Estate Superintendent in the case of applicants from estates, and by D.R.O., Gram Sevaka or M.P. for the area in the case of others)

CAUTION

Applicants are warned that if any of the information supplied by them below is found to be false or inaccurate, not only will their applications be liable to be rejected or their passports, if already granted be liable to be cancelled but they will render themselves liable to prosecution.

- Full name, with alias, if any (in block letters)
 (i) (a) Have you ever changed your name? if so, what was your previous name?
- 2. Are you married or single?
- 3. If married woman/widow, state maiden name.
- 4. Place (Village, town, district, etc.) and date of birth (attach documents in support, if possible).
- 5. Profession:
- 6. Educational Qualifications:
- 7. Present occupation:
- 8. (i) Personal Particulars of applicant:
 - (a) Height m.
- (b) Colour of eyes:(c) Colour of hair:
- (d) Visible distinguishing marks, if any:
- (ii) of Children below 15 years if to be included in the passport.

cm.

Full Name	Sex	Date of birth
1.		
2.		
3.		
4.		
5,		

- 9. Father's name and place and date of birth:
- If married woman or widow, husband's or late husband's nationality name and place of birth.
- 11. How long have you been continuously residing in Sri Lanka?
- Have you at any time resided in any other country including Pakistan? State countries and period.
- 13. What was your occupation while residing in the countries mentioned in col. 12?
- 14. Have you ever applied for a travel document and been refused? If so, when and under what circumstances?
- 15. Have you ever been issued with a passport which was later impounded or cancelled? If so give particulars.
- 16. Present address in Sri Lanka,

- Names and addresses of two responsible persons in India who would be prepared to youch for you.
 - (1)
 - **(2)**
- 18. Whether applicant prefers an India-Sri Lanka passport or an Emergency Certificate?

Two specimen signatures or thumb impressions of applicant thumb impressions of wife if to be included in passport.

I solemnly declare that I am an India citizen and that I have not lost, surrendered or been deprived of my Indian citizenship and that the information given by me in reply to the questionnaire is true.

Place: Signature or thumb impression of applicant Dtae:

I, the undersigned.....residing at....holder of India-Sri Lanka passport/Emergency Certificate No.....dated....hereby apply for the grant of passport towhose parent/legal guardian I am. I undertake to be entirely responsible for all his/her expenses.

Signature/Thumb impression of Parent/Gurdian

This certificate is required only when the application is made on behalf of a person below 18 years of age.

SCHEDULE III-PART III

(See rule 6)

FORM OF GUARANTEE

(To be executed on non-judicial stamp paper)

Whereas	son/wife/daughter of
is desirous of proceeding	abroad accompanied by his/
her	4.1 * 4.4

And it is hereby further agreed by me/us jointly and severally:-

- (i) that the Government of India shall be at liberty to grant to the said......such indulgence as it may think proper without discharging or impairing my/our liability hereunder; and
- (ii) that the authority to determine the costs, charges and expenses in such cases referred to above shall rest exclusively with the Government of India and that it shall be binding on mc/us and my/our heirs, executorts, administrators, and legal representatives as a continuing guarantee to pay such costs, charges and expenses as

NO. OF PASSPORT-NAME OF BEARER-

out any obje	mined by the Government of India, with- ection whatsoever. will remain subssiting until discharged by	ACCOMPANIED BY HIS WIF (MAIDEN NAME) AND————————————————————————————————————		
the Governm	ent in writing.	NATIONAL STATUS		
Signed by the guar	antor;—			
	1			
	Address:			
	(2)	(page DESCRIPTION	, 11/:£_	
	on theday of 198	Profession		
	in the presence of :	Place and date of birth	-	
Place of guarantee	(1)	Domicile		
	Address	Height———M.——— Cm.		
	(2)	Colour of eyes — — — — —	 -	
		Colour of hair		
	nes of wife/or wife and Children, if a joint		, ; 	
passport is to be is		Visible distinguishing		
	nust be accompanied by :	Marks	OREN	
	proof to the effect that the signatory/sig- income tax, property tax or agricultural or	Name Date of Birt	· ·	
(ii) a certificate	of solvency from any revenue authority,			
	e rank of a tehsildar, to the effect that the		ge 3)	
	s financially solvent to the extent of	PHOTOGRAPH	OF BEAKEK	
Rs. 10,000 o	r more.	(РНОТО)	SIGNATURE OF BEARE	
	not applicable in the form should not be the guarantee.	WIF	PE	
	he non-judicial stamp paper will be as speci- mp Act in force in a State when the Bond	(РНОТО)	SIGNATURE OF WIFE	
SC	CHEDULE IIIPART III	(page	•	
	(See rule 11)	Countries for which this passport is valid		
	FORM P-1		 -	
FORM	OF DIPLOMATIC PASSPORT (Front Cover)	Unless renewed the Validity of this Passport expires or		
	DIPLOMATIC PASSPORT	Issued at		
	Emblem			
R	EPUBLIC OF INDIA	Date		
	(Inside front Cause)	(Pag	ge 5)	
	(Inside front Cover) Emblem	Home address		
Those out to some		Permanent address in India :-		
•	c of India all those whom it may concern	(Including Village or Town, District and State)		
	to pass freely without let or hindrance, and			
	r every assistance and protection of which			
he or she may star	nd in need.	Name of Father/Husband and h	nis full address	
	Given at	(Including Village or Town, Dist	-	
	theday of19 BY ORDER OF THE PRESIDENT OF INDIA	OBSERVATIONS		
	(Page 1)			
This passport con	· ·	/7	20ge 6)	
		(Page 6) RÉNEWALS		
1.	DIPLOMATIC PASSPORT INDIA	RE)	. v 17 / B.E./ _{b.} J	
NO OF BASSBOR	•	(Ра	ge 7 to 29)	
NO. OF PASSPOR		VISAS		

(Pages 30-31)

Foreign Exchange for Travelling Expenses

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Stamp and Country of tra-Amount issued Date signature of vel for which or refunded Authorised exchange has (Sterling or Dealer sellrupee equivbeen sold ing exchange alent to nearest £ or Re.)

(Page 32)

RE GULATIONS

(In Hindi)

CAUTION

(In Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

Validity of Diplomatic Passports

- 1. A Diplomatic Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive a Diplomatic Passport. In such an event, a Diplomatic Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.
- 2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;
- (b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
 - 5. Passport should not be sent out of any country by post.

CAUTION

- 1. This passport is a valuable Document. It should not be allowed to pass into the possession of any unauthorised person. If lost or destroyed, the fact and circumstances should be immediately reported to the Ministry of External Affairs, New Delhi-Or (if the holder is abroad) to the nearest Indian Mission and to the Local Police.
- 2. This passport must not be altered or mutilated in any way nor any endorsement made on it by any person other than a duly authorised official.
- ... 3. This Passport may be cancelled or withdrawn at any time at the discretion of the Government of India in which event the holder must surrender the Passport to the nearest Passport issuing authority.
- 4. The Passport is a sure means of establishing the holder's identity and should, therefore be carried personally.

SCHEDULE III--Part III

(See rule 11)

FORM P-2

FORM OF OFFICIAL PASSPORT

(Front Cover)

OFFICIAL PASSPORT Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at......the....day of...19..
BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE

REPUBLIC OF INDIA

(Page 1)

This Passport contains 32 pages

SEAL

OFFICIAL PASSPORT

INDIA	
NO. OF PASSPORT	
NAME OF BEARER	
ACCOMPANIED BY HIS WIFE.	
(MAIDEN NAME)	
ANDCHI	LDREN
NATIONAL STATUS	
(Page 2)	
DESCRIPTION	Wife
Profession	
Domicile	M

CHILDREN

Visible distinguishing

Colour of eyes.....

Colour of hair.....

Name	Date of Birth	Male/Female		

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

(РНОТО)	SIGNATURE OF BEARER
WIFE	

(PHOTO) SIGNATURE OF WIFE

[भाग 🏗	-—खण्ड 3(i)] 		भारत का
		(Page 4)	- , <u> </u>
Countri	les for which this Par	ssport is valid	
Linless		ty of this Passport e	vniras on
	at.,.,		
	(Page 5)	
	Ноп	ne Address	
	ent address in India ing Village or Town,		
	of Father/Husband a ing Village or Town,		
			·
		ge 6)	
	•	EWALS	
	(Pag	ges 7 to 29)	
	·	· <u> </u>	
FOREI	•	ges 30-31) FOR TRAVELLING	EXPENSES
	entries to be made o in foreign exchange	n this page except by a	n authorised
Date	Country of travel for which ex- charge has been sold	(sterling or rupes the	ure of Au
	(Page 32)	· -,
		ULATIONS	
		Hindi)	
	CA	UTION	

(In Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

VALIDITY OF OFFICIAL PASSPORTS

- 1. An Official Passport will automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to receive an Official Passport. In such an event, an Official Passport will have to be surrendered to the Ministry of External Affairs, New Delhi, or to an Indian Mission empowered to issue Passports to Indians abroad.
- 2. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4, but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not

- exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 3. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;
- (b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 5. Passport should not be sent out of any country by post.

CAUTION '

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITH-DRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.
- 4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THEREFORE BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III—Part III

(See rule 11)

FORM P-3

FORM OF ORDINARY PASSPORT

(Front Cover)

PASSPORT

Emblem

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of the President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her, every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at	the
day of	19
BY ORDER OF THE PR	ESIDENT OF
THE REPUBLI	C OF INDIA

(page 1)

This Passport contains 32 pages

PASSPORT

INDIA

ACCOMPANIED BY HIS WIFE.
(MAIDEN NAME)
ANDCHILDREN
······································
(Page 2)
DESCRIPTION Wife
Profession
Place and date of birth
Domicile
HeightMCmMCm
Colour of eyes
Colour of hair.
Visible distinguishing
marks
CHILDREN Name Date of Birth Male/Female
Name Date of Birth Male/Female
(Page 3)
DIIOTOOD ADII OE DEAD DD
PHOTOGRAPH OF BEARER
SIGNATURE OF BEARER
(11010)
WIFE
(PHOTO) SIGNATURE OF WIFE
(Page 4)
Countries for which this Passport is valid
Unless renewed the validity of this Passport expires on
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Issued at
date
(Page 5)
Home Address
Permanent address in India :
(Including Village or Town, District and State)

Name of Father/Husband and his full address (Including Village or Town, District and State)

OBSERVATIONS

(Page 6)
RENEWALS

(Page 7 to 29) VISAS

(Pages 30-31)

FOREIGN EXCHANGE FOR TRAVELLING EXPENSES

No entries to be made on this page except by an authorised dealer in foreign exchange.

Date

Country of travel for which or refunded nature of Auexchange has (Sterling or thorised Dealer
been sold

rupee equivalent selling exchange
to nearest £

or Re.)

(Page 32)
REGULATIONS (IN HINDI)
REGISTRATION (IN HINDI)
CAUTION (IN HINDI)

(Inside back cover)

REGULATIONS

- 1. This Passport is available for travel only to the countries specified on page 4 but may be endorsed for additional countries. The possession of a Passport so endorsed does not exempt the holder from compliance with any immigration laws in force in any country or from the necessity of obtaining a visa where required.
- 2. (a) Even if particulars of the wife of a Passport holder are included in his Passport, she cannot travel on it alone;
- (b) Children who are above fifteen years of age require separate Passports.
- 3. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
 - 4. Passport should not be sent out of any country by post.

REGISTRATION

It is most important that Indian citizens resident abroad should at the earliest opportunity register their names and addresses at the nearest Indian Mission. Changes of address or departure from that country should also be notified to them.

CAUTION

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED, THE FACT AND CIRCUMSTANCES SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERD OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITH-DRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE

GOVERNMENT OF INDIA. IN WHICH EVENT THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURF MEANS OF ESTABLISH-ING THE HOLDER'S IDENTITY AND SHOULD, THERE-FORE, BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III-Part 111

(See rule 11)

FORM P-4

FORM OF EMERGENCY CERTIFICATE

(Front Cover)

GOVERNMENT OF INDIA

Emblem

EMERGENCY CERTIFICATE

	(Page 1)	
	Emblem	
ЕМЕ	RGENCY C	ERTIFICATE
	Certificate and t	nas applied to me for the that I have no reason to f Issuing Authority
	(Page 2)	
=	SCRIPTION	
(d) Place and date of (e) Address in India (f) Visible distinguishable (g) Height (h) Colour of hair (i) Colour of eyes	birthe mark, if any	
whose particulars are sh	•	
Particulars	s of child/child	ren
S. No. Name	Date of birth	Sex
2		
	i. !	Photograph of Bearer
		Signature of Bearer
		ourney to
1050 G1/80~-7		

Unless renewed	the	val	ıdity	of	this	COI	tificate	ехр	ires	on		
							. .				٠.	٠
Renewed up to	-											
Issued at												
Date												
				_							~~~	_

(Pages 5 and 6)

VISAS

N.B.—The possession of this Emergency Certificate does not exempt the holder from compliance with any immigration regulations in force in the country of destination or from the necessity of obtaining a visa when required.

SCHEDULE III-Part III

(See rule 11)

FORM P-5

FORM OF IDENTITY CERTIFICATE

(Front Cover)

GOVERNMENT OF INDIA

Emblem

IDENTITY CERTIFICATE

(Inside front cover)

Emblem

IDENTITY CERTIFICATE

This certificate is issued for the sole purpose of providing the holder with identity papers in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the national status of the holder. If the holder obtains a national passport, this certificate ceases to be valid and must be surrendered to the nearest Indian Passport Issuing Authority.

This certificate is valid for travel to Countries mentioned at page 5 and its validity expires on.....

> Signature & seal of the Issuing Authority

PraceDate.,	٠

(Page 1)

This Identity Certificate contains 13 pages

IDENTITY CERTIFICATE INDIA

No.	of	Identity	Certificate
Nam	c of	holder	
Natio	onali	ty of orig	in,.,

(Page No. 2)

Personal Description

Profession
Date of birth
Place of birth
Name of father/husband
Name of mother
Height
Colour of Hair
Colour of eyes

							
(page No. 3)	(Page 1)						
Distinguishing marks	This Passport contains 32 pages						
Present occupation	GOVERNMENT OF INDIA						
Last permanent address abroad	PASSPORT						
Present address	This Passport is valid for direct travel between India and Bangladesh and may not be used for travel to any other country.						
(Page No. 4)	No. of Passport						
· •	Name of Bearer						
The holder is accompanied by a child/children whose particulars are given below:	Permanent Address in India						
Particulars of Children	Village or Town						
S. No. Name Date of birth Sex	Police Station						
1	Accompanied by						
	•						
2	National Status						
3							
4	(P. 2)						
5	(Page 2)						
	DESCRIPTION						
Phot \graph	Profession						
of Holder	Place, district and State of birth						
	Domicile						
(Signature of Holder)	Height MCm.						
	Colour of Eyes.						
(Page No. 5)	Colour of Hair						
ENDORSEMENTS	Vicible Distinguishing Marks						
	CHILDREN						
(Pages No. 6 and 7)							
RENEWALS	Name Date of Birth Male/Female						
(Pages 8 to 13)							
VISAS	2.						
	3						
SCHEDULE-III PART-III	4						
(See Rule 11)	(Page 3)						
FORM P-6	PHOTOGRAPH OF BEARER						
FORM OF INDIA-BANGLADESH PASSPORT FOR TRA- VEL BETWEEN INDIA AND BANGLADESH	(PHOTO)						
(Front Cover)	Signature of bearer						
INDIA—BANGLADESH PASSPORT	ODGERNATIONG						
Seal	OBSERVATIONS						
REPUBLIC OF INDIA	(Dans 4)						
REPUBLIC OF INDIA	(Page 4) Unless renewed the validity of this Passport expires on:						
	Offices renewed the validity of this Passport expires on :						
(Inside front cover)	RENEWALS						
These are to request and require in the Name of the President	KLINDWALK						
of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford	(Page 5)						
him or her every assistance and protection of which he or she	Name of Father and his full address						
may stand in need.	(including village or town, district and State):—						
Given at							
thedate of19.							
By order of the President of the Republic of India							

residence by post.

_		—					
	older is a married lady or a widow, name, occupation ress or last address of husband.	SCHEDULE III PART III (See Rule 11)					
		FORM P-7					
		FORM OF INDIA-SRI LANKA PASSPORT (Front Cover)					
•••••		INDIA-SRI LANKA PASSPORT Emblem					
	· ····	REPUBLIC OF INDIA					
	(Pages 6 to 16)						
	VISAS	(Inside front cover)					
	(Pages 17 to 30)	These are to request and require in the Name of the President					
	ENDORSEMENT -	of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance, and to afford him or her very assistance and protection of which he or she					
	(Pages 31 and 32)	may stand in need.					
FOREIG	IN EXCHANGE AND TRAVELLING EXPENSE	Given at					
No e	ntries to be made on this page except by an authorised	theday					
	foreign exchange.	Scal of					
Date	Amount issued or refun- Stamp and signature c	(Page 1)					
	ded (Sterling or rupe:s Authorised Dealer selling equivalent to nearest exchange	This Paesport contains 32 pages.					
	£ or Rc.)	GOVERNMENT OF INDIA					
 ·		PASSPORT					
	<u></u>	This Passport is valid only for direct travel between India					
	(Inside back cover)	and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.					
	Hindi Version	No, of Passport					
	IMPORTANT	Name of Bearcr					
and may be revol	nis passport is the property of the Government of India, y, at the discretion of that Government, at any time, ked, and where the passport is so revoked, it shall be or that Government to retain its possession if it is in its on and to recover its possession if it is not in its on.	Permanent Address in India/Sri Lanka Village or Town Police Station District State Province Accompanied by Children National Status					
2. In	case of loss of this passport, that fact and the circums adding to the loss must be reported immediately to the	(Page 2)					
issuing a while in	nuthority and the nearest police station or, if loss occurs Bangladesh, to the nearest Indian Diplomatic Mission	(Page 2) DESCRIPTION Profession					
and the	local police.	Place and Date of Birth.					
3. Tł	nis passport must not be altered or mutilated in any	Domicile					
	any endorsement made on it by any person other tuly authorised official.	Heightm					
man a c	igny authorised official.	Colour of eyes					
	REGULATIONS	Colour of hair					
1 4.	oplication for renewal must be made before the date	Visible distinguishing marks					
of expiry	y of the passport and normally not more than three before such expiry.	Name of father and his address					
		If married lady or a widow name and address of husband					
bearer fr	ne possession of this passport does not exempt the rom compliance with Visa and Emigration regulations ladesh and emigration rules of India.						
	A separate passport must be aken out for each person above fifteen years of age.	CHILDREN					
(ii) (Children under fifteen years of age may be included in the passport of either parent whom they accompany.	Name Date of birth Male/Female 1.					
		2. 3,					
4. Tl	his passport should not be sent out of the country of	··· A					

4.

(Page 3)

PHOTOGRAPH OF BEARER

рното

Signature of bearer OBSERVATIONS

Signature of Bearer

(Page 4)
Unless renewed the validity of this Passport expires on

RENEWALS

(Page 5)

RENEWALS

(Pages 6 to 16)

VISAS

(Pages 17 to 31)

ENDORSEMENTS

(Page 32)

REGULATION (in Hindi)

CAUTION (in Hindi)

(Inside back cover)

REGULATIONS

- 1. This Passport is only available for travel to Sri Lanka.
- 2. The possession of this Passport does not exempt the bearer from compliance with Visa & Immigration regulations of 3ri Lanka and the emigration regulation of India.
 - (i) A separate Passport must be taken out for each person above fifteen years of age;
 - (ii) Children under fifteen years of age may be included in the Passport of either parent whom they accompany.
- 4. A Passport can be revalidated at any time after the expiry of its existing validity but within its total life.
- 5. This Passport should not be sent out of the country of residence by post.

CAUTION

- 1. THIS PASSPORT IS A VALUABLE DOCUMENT. IT SHOULD NOT BE ALLOWED TO PASS INTO THE POSSESSION OF ANY UNAUTHORISED PERSON. IF LOST OR DESTROYED THE FACT AND CIRCUMSTANCES HOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST "PASSPORT ISSUING AUTHORITY" IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS IN SRI LANKA) TO THE IN DIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE.
- 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A D.J., Y AUTHORISED OFFICIAL.
- 3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR WITH-DRAWN AT ANY TIME AT THE DISCRETION OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH EVENT, THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPORT TO THE NEAREST PASSPORT ISSUING AUTHORITY.

4. THE PASSPORT IS A SURE MEANS OF ESTABLISHING THE HOLDER'S INDENTITY AND SHOULD, THEREFORE, BE CARRIED PERSONALLY.

SCHEDULE III—PART_III (See Rule 11)

FORM P-8

FORM OF INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(FOR REPATRIATES_1964 AND 1974 AGREEMENTS)
(Front Cover)

INDIA-SRI LANKA PASSPORT

(FOR REPATRIATES—1964 AND 1974 AGREEMENTS)
EMBLEM

REPUBLIC OF INDIA

(Inside front cover)

Emblem

These are to request and require in the Name of The President of the Republic of India all those whom it may concern to allow the bearer pass freely without let of hindrance and to afford him or her every assistance and protection of which he or she may stand in need.

Given at	 	 ٠.	 		
the					
of	 	 	 		 1

BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

(Page 1)

This Passport contains 16 pages.
GOVERNMENT OF INDIA

PASSPORT

This Passport is valid only for direct travel between India and Sri Lanka and may not be used for travel to any other country.

No.	of	Passport	 ٠.	 •			•	-	 •	•	•	•	 -	•	٠.	•	•	,	 •	٠	٠.	•	
Nam	ie o	f bearer	 ٠.		٠.			,											 				

In India	In Sri Lanka
=	

Address

National Status Citizen of India

(Page 2)

DESCRIPTION

Profession
Place and date of birth
Domicile
Height Cm.
Colour of eyes
Colour of hair
Visible distinguishing marks

If married lady or a widow name of husband.....

Rs. 50/- for five years or Rs. 10/- per year or part

taereof.

2. Renewal of ordinary passport

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		'-:-'							
	CHILDRE		, –	es 12 to 15)						
		3.6-1.161-	`	VISAS						
Name	Date of birth	Male/female	<u> </u>	ige 16)						
				TIONS (in Hin	di)					
				ION (in Hindi)						
				iside back eover)						
5 , ,	****************	************	RI	EGULATIONS						
6			 This Passport is only 	y avail able for to	avel to Sr. Lanka.					
	—-· (Page 2)		The possession of the from complience with Vis Lanka and the immigratio	sa & İmmigrati	on regulations of Sri					
	PHOTOGRAPH OF I		3.(i) A Separate Passpo							
			above fifteen years of age		out for each person					
	PHOTO SIGNATURE OF BE	ARER	(ii) Children under fi the Passport of either pare		ge may be included in					
	OBSERVATIONS		4. A Passport can be	•						
,			of its existing validity but							
	(Page 4))	5. This Passport shou	ld not be sent	ot be sent out of the country of					
Unless ret	newed the validity of this Pa	assport expires on:	residence by post.		-					
				CAUTION						
	RENEWALS		1. THIS PASSPORT		DIE BOOKES					
-	(Dag. 5)		IT SHOULD NOT BE	ALLOWED TO	D PASS INTO THE					
	(Page 5) OBSERVATIO	ANT.	POSSESSION OF AN	Y UNAUTHO:	RISED PERSON. IF					
mall	OBSERVATIO COMMISSION OF INDIA		LOST OR DESTROYED, BE IMMEDIATELY I	THE CIRCUM REPORTED T	STANCES SHOULD					
HIGH	COMMISSION OF INDIA	IN IN SKI LANKA	"PASSPORT ISSUING .	AUTHORITY"	IN INDIA OR (IF					
ASSISTAN	F HIGH COMMISSION ((SRI LANKA)	OF INDIA, KANDY	THE HOLDERS IS IN SRI LANKA) TO THE I MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. 2. THIS PASSPORT MUST NOT BE ALTERED							
	Certificate of Registration	1								
(India-S	fri Lanka Agreements, 1964		MUTILATED IN ANY WAY NOR ANY ENDORSEMENT MADE ON IT BY ANY PERSON OTHER THAN A DULY							
•	fied that the person whose p	•	AUTHORISED OFFICIA	AL.	- 1.2 - 2.2					
this Passport the provision	has been registered by me as s of Section 5(1) (b) Citi dated	a citizen of India under ze iship Act, 1965 vide	3. THIS PASSPORT MAY BE CANCELLED OR V DRAWN AT ANY TIME AT THE HOLDER DISCRI OF THE GOVERNMENT OF INDIA, IN WHICH E THE HOLDER MUST SURRENDER THE PASSPO							
	Third Secretary/Attach	e/Competent Authority,	THE NEAREST PASSPO							
,	(Pages 6 to		4. THE PASSPORT LISHING THE HOLD	IS A SURE N ER'S IDENTII	MEANS OF ESTAB- TY AND SHOULD.					
		·· —	THEREFORE, BE CAR	RIED PERSON.	ALLY.					
		SCHEDULE-I	V							
		(See rule-8)								
	Schedule of fees p		cations for passports and tra	vol documents						
S. No.	Particulars of applicar	— — — — — — — — — — — — — — — — — —		Scale or fees						
J. 140.	Tarriogians of approac	,,,,,,,								
			India	Cat: 'A' Countries	Abroad Cat. 'B' Countries (Please see note 2 at the end)					
1	2		3	4	5					
1. Ordinary		initial validity of five years	Rs, 50/-	. Rs. 50/-	Rs. 50/-					

1400/0	THE GAZETTE OF IND!A : EXTRA		[P.	ART II—SEC. 3(i)]
1	2	3	 <u>-</u>	5
	passport in lieu of the ordinary passport on the ground that len, damaged, destroyed or for any other such reason	t Rs. 50/	Rs. 50/-	Rs. 50/-
4. Emergency Certific	cate with an initial validity of six months		R . 15/-	R. 10/-
5. Renewal of Emerg	ency Certificate (two renewals for three months at a time)	_	R. 7.25	R . 5/-
	ncy Certificate in licu of the Emergency Certificate that len, damaged or destroyed		Rs. 15/-	Rs.10′~
7. Certificate of Indea	ntity with a maximum initial validity of two years	Rs. 20'-	Rs. 30 -	Rs. 20 -
8. Renewal of Certific	cate of Identity (per year or part thereof for two years)	Rs. 10 -	Rs. 15 -	Rs. 10 -
	ate of Identity in liqu of the Certificate of Identity that an en, damaged or destroyed	Rs. 20 -	Rs. 30 -	· Rs. 20 -
	lorsement or other miscellaneous service on ordinary seing a miscellaneous service referred to in item (ii) of this		Rs. 30	- Rs. 20 -
(ii) Ad ling supplic passport are u	nentary booklet when all the pages in an existing ordinary used up	Rs. 10 -	Rs. 15	- R _S . 10 -
Cortificate		_	Rs. 7.2	5 Rs. 5 -
Identity	dorsement or miscellaneous service on a Certificate of	Rs. 10,-	Rs. 15	Rs. 10/-
	Passport for travel between India and Bangladesh with validity of three years	a Rs. 15/-	_	Rs. 15/- (In Bangladesh)
12. Renewal of India-	Bangladesh passport	Rs 15/- for 3 years or Rs. 5/- per year or part thereof		Rs. 15/- for 3 years or Rs. 15/- per year or part thereof (In Bingladesh)
	te passport in lieu of the India-Bangladesh passport whic	h		
has been lost, stole	en, damaged or destroyed	Rs. 15/-	_	Rs. 15/- (In Banglidesh)
14. Miscellaneous serv	ices on an India-Bangladesh passport	Rs. 5/-		Rs. 5/- (In Bungladesh
15. Issue of a now boo passport are exhau	klet when all the pages in an existing India-Bangladesh usted	Rs. 10/-	_	Rs. 10/- (In Bught esh)
16. India-Sri Lanka Pa	ssport with a maximum initial validity of four years	Rs. 8/-	-	Rs. 8/- (In Sri Lanka)
17. Renewal of India-	Srí Lanka passport	Rs. 8/- for four years or Rs. 2/- per year or part theroof	~-	Rs. 8, - for four years or Rs. 2/- per year or part thereof (In Sri Lau'ea)
18. Miscellaneous serv	ices on India-Sti Lanka passport	Rs. 2/-		Rs. 2/- (In Sci-Lanka)
 Issue of fresh Indi damaged or destro 	a-Sri Lanka passport in lieu of on`lost, stolen, yed	R/s. 8/-	_	Rs. 8/-
				(In Sti-Lanka)
20. Issue of new Indus- exhausted	Sri-Lanka passport when all pages in existing passport are	Rs. 5/- —		Rs. 5/- (In Sri Lanka)
21. Additional passpo validity of one ye	rt for any country under the proviso to rule-13 upto initia	rl Rs. 1)/-	Rs. 10/-	Rs. 10/-
·		•		ipto a total period of
יהי יהי אינת זוטינו טו ג אמוומו	y or readmonar passiport referred to in mem-21	tanger per year or	part moteur (shed a total bound of

ten years.

_--- ---- .

- 2. Category 'A' countries are:
- (a) All countries in North and South America;
- (b) all countries in Furope including U.S.S.R.;
- (c) all countries in West Asia and North Africa (Excluding Peo, le's Democratic Republic of Yeman, Yeman Arab Republic, Sudan and Somalia;
- (d) Australia, New Zealand, Japan, Hongkong and Singapore. Category 'B' Countries are:

All countries excluding countries mentioned under category 'A'

SCHEDULE-V

(See rule 19)

CONDITIONS RELATING TO THE ISSUE OF PASS-PORTS AND TRAVEL DOCUMENTS

- A Passport or travel document is available for travel only to the countries specified therein and must not be utilised for travel to other countries.
- 2. A Passport or travel document must not be utilised for travel to countries not recognised by the Government of India.
- 3. A Passport or travel document should not be sent out of any country by post.
- 4. A Passport or travel document should not be allowed to pass into the possession of any unauthorised person.
- 5. The holder of a Passport or travel document is personally responsible for its safe custody. It must not be wilfully lost, damaged or destroyed. In case of an unintentional loss or destruction, the fact and circumstances of such loss or destruction should be immediately reported to the nearest passport authority in India or (if the holder of the passport is abroad) to the nearest Indian Mission or Post and to the local police.
- 6. A Passport or travel document must not be altered or mutiliated in any way nor any endorsement made in it by any person other than a duly authorised official.

- 7. If the particulars of children are included in the passport or travel document of parent or guardian, as the case may be, the children shall not travel alone.
- 8. Children, whose names are included in the passport or travel document of their parent or legal guardian, should apply for a separate passport on utaining the age of 15 years.
- 9. When a citizen of India abroad is to be repatriated to India at the expense of Government of India, he shall surrender his passport or travel document to the Indian Mission or Post repatriating him and obtain in Emergency Certificate for direct return to India.
- 10 The holder of an Emergency Certificate, on arrival in India, shall surrender it to the Immigration Check Post.
- 11. The passport or travel document should be surrendered to the passport authority if he ceases to be eligible to hold one.
- 12. A diplomatic or official passport shall automatically cease to be valid if the person to whom it was issued ceases to exercise the functions which rendered him eligible to received a diplomatic or official passport. In such an event, the passport shall be surrendered to a passport authority.

[NO. VI/402/2/18/76]

M.K. MANGALMURTI, Joint Secy.